

# C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. X, Fourth Session, 2015/1937 (Saka)  
No. 32, Friday, May 08, 2015/Vaisakha 18, 1937 (Saka)**

<b><u>S U B J E C T</u></b>	<b><u>P A G E S</u></b>
<b>WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM REPUBLIC OF KOREA</b>	10
<b>ORAL ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
*Starred Question Nos. 601 to 603	17-41
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos. 604 to 620	42-91
Unstarred Question Nos. 6889 to 7718	92-592

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

<b>OBSERVATION BY THE SPEAKER</b>	593
<b>PAPERS LAID ON THE TABLE</b>	594-642
<b>COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS</b>	
Minutes	643
<b>COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE</b>	
Minutes	643
<b>STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT</b>	
9 <sup>th</sup> Report	643
<b>MESSAGES FROM RAJYA SABHA</b>	644
<b>STATEMENTS BY MINISTERS</b>	
(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Defence	
(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Defence on 'Threat Perception and preparedness of the Forces including incursion on borders, coordination mechanism with the Central Armed Police Forces and Border connectivity through Road, Air and Rail', pertaining to the Ministry of Defence	
<b>Shri Manohar Parrikar</b>	645
(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation	
<b>Shri Chaudhary Birender Singh</b>	647

<b>COMPENSATORY AFFORESTATION FUND BILL, 2015</b>	646
<b>SUBMISSION BY MEMBERS</b>	
(i)Re: Extension of the sittings of the House	648-659
(ii)Re: Statement of the Home Ministry about locating a wanted terrorist	661-663
<b>MATTERS UNDER RULE 377</b>	676-686
(i) Need to rehabilitate all the residents living in and around BCCL Colliery area in Dhanbad district, Jharkhand as per the approved plan for the purpose	
Shri Pashupati Nath Singh	676
(ii) Need to handover the ownership and management of Mahabodhi Mahavihar in Bodhgaya, Bihar to Buddhists	
Shri Nana Patole	677
(iii) Need to set up a Sub-Regional Office of Employees' Provident Fund Organisation in Jhunjhunu, Rajasthan	
Shrimati Santosh Ahlawat	677
(iv) Need to set up a Super Speciality Hospital in South Delhi Parliamentary Constituency	
Shri Ramesh Bidhuri	678
(v) Need to establish a Defence University in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana	
Shri Rattan Lal Kataria	679
(vi) Need to expedite completion of irrigation projects in Santhal Pargana region of Jharkhand	
Shri Nishikant Dubey	680

- (vii) Need to take necessary measures to provide water, toilet and electric facilities in all the girls schools particularly in Shahjahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shrimati Krishna Raj 681

- (viii) Need to provide adequate medical facilities to the teachers/staff members of Navyug Schools

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 682

- (ix) Need to allocate funds to Tamil Nadu for providing assistance to fishermen during the period of ban on fishing activities

Shri J. J. T. Natterjee 683

- (x) Need to provide environmental clearance for establishment of car depots at Charkop and Mankhurd under Mumbai Metro Line 2 on Charkop-Bandra-Mankhurd route

Shri Rahul Shewale 684

- (xi) Need to expedite the execution of Information Technology Investment Region Project in Telangana

Shri Kotha Prabhakar Reddy 685

- (xii) Need to take necessary measures to give impetus to flagging industrial sector in Kandi and border areas of Punjab

Shri Prem Singh Chandumajra 686

**APPROPRIATION ACTS (REPEAL) BILL, 2015**

Motion to Consider	690
Shri D.V. Sadananda Gowda	690-691

**MOTION RE: TENTH AND ELEVENTH REPORTS  
OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'  
BILL AND RESOLUTIONS**

697

**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION**

Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir	698-727
Shri Nishikant Dubey	698-717
Shri Pralhad Singh Patel	718-722
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	723-727

**PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced**

727-740

(i) Special Financial Assistance to the State of Kerala Bill, 2015 <i>By Shri M. K. Raghavan</i>	728
(ii) Waterways Development Council Bill, 2015 <i>By Shri M. K. Raghavan</i>	728
(iii) Eastern Region Tourism Promotion Board Bill, 2015 <i>By Shri Rajesh Ranjan</i>	729
(iv) Flood and Drought Control Bill, 2015 <i>By Shri Rajesh Ranjan</i>	729
(v) National Food Security Authority Bill, 2015 <i>By Shri Rajesh Ranjan</i>	730
(vi) Clinical Establishment (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2015 (Substitution of new section for section 7, etc.) <i>By Shri Ravneet Singh</i>	730
(vii) Compulsory Sports Education and Infrastructure Development in Schools Bill, 2015 <i>By Shri Rajeev Satav</i>	731

(viii)	Preservation and Protection of Historical Heritage Bill, 2015 <i>By Shri Rajeev Satav</i>	731
(ix)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 348) <i>By Shrimati Darshana Vikram Jardosh</i>	732
(x)	Identification of Callers Using Public Telephone Bill, 2015 <i>By Shrimati Darshana Vikram Jardosh</i>	732
(xi)	Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 72) <i>By Shrimati Darshana Vikram Jardosh</i>	733
(xii)	Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 4) <i>By Shrimati Poonam Mahajan</i>	733
(xiii)	Girl Child (Provision of Extra Amenities) Bill, 2015 <i>By Shri Pralhad Joshi</i>	734
(xiv)	Private Drivers (Welfare) Bill, 2015 <i>By Shri Maheish Girri</i>	734
(xv)	Commission for the Formation of the State of Bundelkhand Bill, 2015 <i>By Shri Bhairon Prasad Mishra</i>	735
(xvi)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015 (Substitution of new section for section 326A) <i>By Shri Meenakashi Lekhi</i>	735
(xvii)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 357A) <i>By Shri Meenakashi Lekhi</i>	736
(xviii)	Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 1, etc.) <i>By Dr. Sanjay Jaiswal</i>	736
(xix)	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 2) <i>By Shri Nana Patole</i>	737

(xx) Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Bill, 2015 (Amendment of section 2, etc.) <i>By Shri Baijayant Jay Panda</i>	737
(xxi) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new articles 112A and 202A) <i>By Shri J.C. Divakar Reddy</i>	738
(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 330) <i>By Shri Anandrao Adsul</i>	738
(xxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 25) <i>By Shri Chandrakant Khaire</i>	738
(xxiv) Technology Bank of India Bill, 2015 <i>By Shri Chandrakant Khaire</i>	739
(xxv) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 304B) <i>By Shri Rabindra Kumar Jena</i>	739
(xxvi) Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of article 16) <i>By Shri Anandrao Adsul</i>	740
(xxvii) Indian Penal Code (Amendment) Bill , 2015 (Amendment of section 370A) <i>By Shri Rabindra Kumar Jena</i>	740
<b>COMPULSORY VOTING BILL, 2014</b>	741-770
Shri Vinod Kumar Sonkar	741-743
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	744-745
Shri Dushyant Chautala	746-748
Shri C.R. Chaudhary	749-751
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	752-754
Shri Ramesh Bidhuri	755-756
Shri Chandrakant Khaire	757-759
Shri T.G. Venkatesh Babu	760-761

Shri Nana Patole	762-763
Shri Sankar Prasad Datta	765-766
Shri Sharad Tripathi	767-768
Dr. Manoj Rajoria	769-770

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	793
Member-wise Index to Unstarred Questions	794-799

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	800
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	801-802



**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Sumitra Mahajan

**THE DEPUTY SPEAKER**

Dr. M. Thambidurai

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

**SECRETARY GENERAL**

Shri Anoop Mishra

## LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

-----

Friday, May 08, 2015/Vaisakha 18, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM  
REPUBLIC OF KOREA**

HON. SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Chung Ui-Hwa, Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea and the members of the Korean Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

They arrived in India on Friday, 8<sup>th</sup> May, 2015 and are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. India has had very good relations with the Republic of Korea. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament, the Government and the friendly people of the Republic of Korea.

---

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रिविलेज मोशन उठाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे बाद में देखेंगे।

... (व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय सदस्य राहुल गांधी जी ने फूड पार्क... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन बाद में देखेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो रहा है। बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। बाद में देखेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, his remarks should be expunged. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। क्यों चिल्ला रहे हैं?

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shrimati Ranjeet Ranjan, Shri Rajesh Ranjan, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Anto Antony, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri K.C. Venugopal, Shri M.K. Rahavan and Shri Ravneet Singh. The matters, I know, are important enough, but they do not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunity which I will definitely give. I always give you the opportunity.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, 'Zero Hour'. ...  
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, my request is that under Rule 389, you have got a residuary power to suspend the Question Hour and listen to us.

माननीय अध्यक्ष : आजकल नहीं है। By rule, it is not there.

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपने जो बुक दी है, उसमें है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सस्पेंशन का रूल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Under Rule 388, you can suspend the Question Hour. Under Rule 389, you have the power to suspend ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सस्पेंशन का रूल खत्म हो गया।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, it is learnt that you are going to extend this House for another three days. ... (*Interruptions*) Madam, I am talking about Rule 389. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, Rule 389 is not about Suspension of Rules.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने जो बुक दी है, उसमें है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सस्पेंशन का रूल समाप्त हो गया।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, the Government is going to extend the House for three days without taking the House into confidence. ...  
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, it is not about Suspension of Question Hour.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, Rule 388 talks about Suspension of Rules, but you have got residuary powers to suspend any Rule on your own. ...

(*Interruptions*) Madam, you are the authority for it. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नियम 388 आप भी समझ लेना।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, you are the supreme authority of this House. ... (*Interruptions*) You are the custodian, and you can safeguard our interest and the interest of the Members. ... (*Interruptions*) You have got that power. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, the power is there, but Rule 388 states that : “Any Member may, with the consent of the Speaker ...”. आगे भी सुनिए।

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I am seeking your consent. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, please listen to me.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Rule 388 states that : “Any Member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being.” यहां कोई मोशन है ही नहीं। यहां तो अभी प्रश्न काल है।

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, it is very important to run the House. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, आप यह देखिए कि आप तीन दिन इस सदन को और चलाना चाहती हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसका अभी कुछ नहीं है। बाद में देखेंगे। आप कृपया अभी बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The Government has made a proposal. ...  
(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, please allow me to speak. I have given a notice. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा न कि मैं बाद में आपकी बात सुनूंगी। अभी प्रश्न काल में कुछ नहीं सुनूंगी। बारह बजे बोलिएगा। आप कृपया बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, this is important. ... (Interruptions)  
We have to run the House. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, this is not allowed.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We can postpone the Question Hour, Starred Questions ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will not allow it without any notice or motion.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं बारह बजे सबकी बात सुनूंगी। कृपया आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, we want to know whether the Government is going to extend the House. ... (Interruptions) Many Members will leave from here on Friday. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, not now. I will not allow it now.

... (Interruptions)



**11.08 hrs**

*At this stage, Shri K. C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, why cannot you suspend the Question Hour? ... (*Interruptions*)

**11.08 ½ hrs.**

**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

**HON. SPEAKER :** Q. No. 601, Shri Dushyant Chautala.

**(Q. 601)**

**श्री दुष्यंत चौटाला :** माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जवाब के एनैक्सचर 2 के अंदर सरकार कहती है कि 606 करोड़ रुपया ...(व्यवधान)

**11.09 hrs**

*At this stage, Shri Prasun Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन ऑवर में कैसे हो सकता है? मैं बारह बजे सबकी बात सुनूंगी। अभी नहीं। आप सभी बैठिए।

...(व्यवधान)

**HON. SPEAKER:** No, I am not suspending the Question Hour.

... (Interruptions)

**श्री दुष्यंत चौटाला :** माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कहती है कि 606 करोड़ रुपया सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के अंदर अनयूटिलाइज्ड रहा। ...(व्यवधान) और दूसरी ओर जो सरकार की एनुअल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में प्वाइंट नं. 4.3 में अचीवमेंट के अंदर सरकार बताती है कि “Under National AYUSH Mission Scheme, no grant has been released till date.” ...(व्यवधान) अगर सरकार की अचीवमेंट्स यह है कि एक रुपया ग्रांट का नहीं दिया गया तो फिर यह 606 करोड़ रुपया सरकार द्वारा क्यों बचाया गया? ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये का जो एक प्रोजेक्ट लगना था, ...(व्यवधान) आज तक सरकार द्वारा उसके लिए कोई धनराशि रिलीज नहीं की गई। ...(व्यवधान) आने वाले समय में जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी आयुष संबंधित कोई इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर नहीं है, ...(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी आने वाले समय

में जो यह 606 करोड़ रुपया बचा है, इसके तहत हरियाणा की धरती के अंदर भी क्या कोई योगा, होम्योपैथिक या आयुष संबंधित कोई इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम करेंगे?

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका विवरण यह है कि हमें जो बजट मिला है और हमने जो खर्च किया है, इसका टेबल हमने दिया है। आयुष मिशन को सरकार ने मान्यता दी है और इसी मिशन के अंदर सरकार के पास जो परपोज़ल्स आए हैं, उनके मुताबिक हमने फण्ड दे दिया है।...(व्यवधान) कम से कम 27 राज्यों से परपोज़ल्स आए थे। हरियाणा सरकार से यदि कोई प्रपोज़ल आया है तो हम उसकी निश्चित तौर से जांच करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि यदि उनका 15 करोड़ रुपये का प्रपोज़ल है तो उस पर हम निश्चित तौर से विचार करेंगे।...(व्यवधान)

**श्री दुष्यंत चौटाला:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनुअल रिपोर्ट संख्या 8.4.2.3 के अंदर लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक रिसर्च सेंटर बनना चाहिए था।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग हमारी धरती से शुरू हुआ है। यू.एन. ने भी 21 जून को "वर्ल्ड योग दिवस" मनाने की बात कही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका विभाग आने वाले समय में योग के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने के लिए महाभारत की धरती, भगवान श्रीकृष्ण की धरती हरियाणा में योग का इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम करेगा? आज हमारे देश में योग के एक्सपर्ट्स हैं, उनके सर्टिफिकेशन के लिए कोई आथोरिटी नहीं है।...(व्यवधान) क्या आने वाले दिनों में सरकार उनके सर्टिफिकेशन के लिए कोई आथोरिटी या यूनिशन बनाने का काम करेगी?...(व्यवधान)

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। उनकी जो डिमांड है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमने सीसीआईएनवाई से सौ बिस्तर का योग और नेचुरोपैथी का अस्पताल बनाने का सैंक्शन दिया हुआ है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सैंटर वहां बनेगा।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** योग और नेचुरोपैथी पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी दीर्घश्वसन कीजिए, इसको समझिए और शांति प्राप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न काल के बाद आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will listen to what you have to say after the Question Hour and not now. Please go back to your seats.

... (Interruptions)

**डॉ. मनोज राजोरिया:** अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए 1272 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मैं स्वयं भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और जयपुर में होम्योपेथी की प्रेक्टिस करता हूँ। मैंने होम्योपेथी के सफल चिकित्सक के रूप में कार्य किया है।...(व्यवधान) मेरा होम्योपेथी में बहुत बड़ा विश्वास है कि होम्योपेथी के माध्यम से यदि मरीजों का इलाज किया जाए तो न सिर्फ यह सस्ती चिकित्सा पद्धति है बल्कि बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से विशेष तौर पर होम्योपेथी डाक्टर्स की देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्तियां दे कर आम जनता को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराने के लिए मंत्री जी का क्या विचार है?...(व्यवधान)

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** महोदया, माननीय सदस्य ने होम्योपेथी और होम्योपेथी डाक्टर्स के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि आयुष मिशन में हमारी जो स्कीम्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या डाक्टर्स को उसमें सम्मिलित करने का, उसमें जो डाक्टर्स होम्योपेथी की प्रेक्टिस कर रहे हैं, उनका सहभाग हम आयुष मिशन के तहत करना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है कि होम्योपेथी और आयुर्वेद के डाक्टर्स जिनके पास नौकरी नहीं हैं, उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहां-जहां मौका मिले वहां उनकी सेवाएं ले सकते हैं।...(व्यवधान) हमने आयुष मिशन में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक अस्पताल बनाने का प्रावधान किया है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट से अस्पताल बनाने का प्रपोज़ल आप भेज दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** पी. करुणाकरण जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN: No. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30 a.m.

**11.14 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past  
Eleven of the Clock.*

---

**11.30 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past  
Eleven of the Clock.*

*(Hon. Speaker in the Chair)*

HON. SPEAKER: Q. No.602 – Shri S.P. Muddahanume Gowda.

... *(Interruptions)*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is very important. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने निर्णय पर कायम हूँ। मैं 12 बजे मौका दूँगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने एक बार निर्णय दे दिया है।

... (व्यवधान)

**11.31 hrs.**

**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS-Contd...**

HON. SPEAKER : Q. No.602-Shri S.P. Muddahanume Gowda.

**(Q. 602)**

HON. SPEAKER: Please put the supplementary question.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam, the House is not in order....

*(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Do you not want to ask the question?

... *(Interruptions)*

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: The House is not in order. ...

*(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Shri Raghav Lakhanpal – Not present.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : श्री नाना पटोले जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

**11.31 ½ hrs**

*At this stage, Shri Deepender Hooda, Shri K.H. Muniyappa and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

...(व्यवधान)

**श्री नाना पटोले:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा स्पेशिफिक प्रश्न यह है कि गरीबों के लिए योजनाओं के बारे में मंत्री महोदय ने यहाँ पर जो जवाब दिया है,...(व्यवधान) वह मेडिकल केयर पॉलिसी के संबंध में है। ...(व्यवधान) क्या सरकार देश के सभी लोगों को बीमा अधिनियम के माध्यम से आरोग्य सेवा उपलब्ध करा सकती है? ...(व्यवधान)

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** मैडम स्पीकर, हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो कार्यक्रम चल रहा है, ...(व्यवधान) उसके लिए सरकार कमिटेड है कि उसमें हम राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज़ को फेज़ मैनर में एसिस्ट करेंगे। ...(व्यवधान) इसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐडेक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग है, ...(व्यवधान) उसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होगी, वे सारी दी जाएंगी। ...(व्यवधान) नैशनल हेल्थ मिशन के तहत हमारी कोशिश है कि हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करें और हॉस्पिटल्स में जो गैप्स

हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, ...(व्यवधान) दूसरा ह्यूमैन रिसोर्सेज़ का गैप है, तीसरा इक्विपमेंट्स का गैप है ...(व्यवधान) और चौथा इक्विपमेंट्स के मैनेजमेंट का गैप है तथा ड्रग एंड डायग्नोस्टिक्स के सपोर्ट का जो गैप है, ...(व्यवधान) सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन सारे गैप्स को फाइनेंशियली एसिस्ट करके स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोग्राम देती है। ...(व्यवधान) इस तरह से हम यह प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि गरीब लोगों को इससे एक्सेस मिले और उन्हें यह फैसिलिटी मिले। ...(व्यवधान) इसमें फ्री सर्विसेज़ के तहत बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ...(व्यवधान) हम प्रति वर्ष दो करोड़ साठ लाख बच्चों को वैक्सीन्स की इम्यूनाइजेशन कराते हैं। ...(व्यवधान) बचे हुए बच्चों का भी इम्यूनाइजेशन कराते हैं। ...(व्यवधान) उसी तरीके से एक स्त्री जब से प्रिग्नेंट होती है, तब से लेकर बच्चे की डिलीवरी और उसके बाद सभी प्रकार के केयर्स को नैशनल हेल्थ मिशन के तहत सपोर्ट किया जा रहा है। ...(व्यवधान) हमारी कोशिश है कि हम इन गैप्स को फुलफिल करें और ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ के अंदर लाये। ...(व्यवधान)

It is to be done in a phased manner. It is a continuous process. We are trying to see to it that the State Governments also respond in the same circumstances. For example, if we give money, it should not go down the drain. उसके लिए उनके पास रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। ...(व्यवधान) ड्रग प्रोक्योरमेंट, ह्यूमैन रिसोर्सेज़, इक्विपमेंट और डिलीवरी को इंश्योर करके हम उनको पैसा दे रहे हैं, जितनी आवश्यकता होगी, उतना पैसा दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

DR. J. JAYAVARDHAN: Hon. Speaker, Madam, health insurance is a must for the poor and the down-trodden masses of India. In our State Tamil Nadu, Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme under the able guidance of our hon. *Makkal Mudalvar Puratchi Thalaivi Amma*, so far ten lakh poor patients have availed treatment which amounts to Rs.2,110 crore and through the scheme the Government hospitals have earned Rs.764.20 crore which has been used for improving the infrastructure of these Government hospitals. Apart from providing coverage up to Rs.1,00,000 per family per year and for certain specified ailments and procedure of critical nature, it is up to Rs.1,50,000. The empanelled private hospitals under the scheme are made mandatory to do one free health screening camp per month in the district. This approach has been substantially useful in curing, screening and preventing diseases. Will the same holistic approach be adopted by the Union Ministry for the entire country?



SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: In Tamil Nadu they have a good system and it should be appreciated. At the same time, we are also giving support in that very manner. We are also seeing to it that many States are taking our help. Some of the States are not taking help because they have got their own systems. Tamil Nadu has got a good system, I must appreciate, but we are also trying to supplement whatever, whenever and whichever State needs it.

**डॉ. सत्यपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2003 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने एक फुल पेज सप्लीमेंट निकाला था, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में कहा गया था कि they are not health-giving industries, they are disease-inducing industries. हमारा जो आयुर्वेद है, ...(व्यवधान) आयुष है, वह कहता है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो दीघार्थू हों, स्वस्थ हों और समाज का नाम करें। लुकमान ने कहा है कि बुढ़ापा और मौत को छोड़कर, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसका इलाज वनस्पतियों में और आयुर्वेद में न हो। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास यह डाटा अवेलेबल है, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम हमारे पास है तो आयुष को बढ़ाने के लिए लोगों में जन-जागृति के लिए प्रयास करें। अभी मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि the foetus is the father of the man. जब से महिला माता बनने वाली हो, ...(व्यवधान) क्या ऐसा कुछ साहित्य का निर्माण करने वाले हैं, जिससे जन-जागृति हो सके? ...(व्यवधान)

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** महोदया, माननीय सदस्य के दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न ड्रग्स के बारे में है। ड्रग्स में हमने एसेंसियल ड्रग्स को एनकरेज किया।...(व्यवधान) जेनेरिक ड्रग्स...(व्यवधान) उसके लिए एक ड्रग्स लिस्ट बनानी पड़ेगी, ...(व्यवधान) एसेंसियल ड्रग्स लिस्ट भी चाहिए और साथ ही जेनेरिक ड्रग्स लिस्ट भी चाहिए।...(व्यवधान) जो स्टेट्स ऐसा कर रही हैं, जेनेरिक ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको हम फाइव परसेंट फाइनेंशियल इन्क्रीज दे रहे हैं।...(व्यवधान) जहां तक आयुष का सवाल है, वैसे यह विषय आयुष मंत्रालय देखता है, लेकिन हमारे एम्स में भी हमने आयुष का सेंटर सेट-अप किया है, ताकि अगर कोई उसका फायदा लेना चाहे तो ले सके। ...(व्यवधान) हमारा प्रयास है कि किसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाकर, उसमें किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, उसकी दृष्टि से हम आगे स्टडी करेंगे और इस काम को कराने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान) परन्तु, एम्स में हमने आयुष का एक सेंटर बनाया है। (इति)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 603, श्री नारणभाई काछड़िया - उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण ।

## (Q. 603)

**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:** अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि सरकार को देश के साइबर स्पेस के लिए मौजूद खतरों से पूरी तरह सचेत होना चाहिए, खासकर चीन से लगातार हो रहे साइबर अटैक से गंभीरता से निपटना चाहिए। मीडिया और कुछ सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पर होने वाले अधिकांश साइबर अटैक चीन स्थित ग्रुप की ओर से होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि चीन के हैकरों ने देश की सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं चुराने की घटनाएं सामने आई हैं, इस संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**SHRI MANOHAR PARRIKAR:** The hon. Member is basically talking about defence sector networks being hacked. I can assure him that armed forces networks are air-gapped, enhanced and segregated from the main network and it does not run on the internet. So, there is no hacking of the network used by defence for its own operational purpose.

**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :** महोदया, बढ़ते हुए खतरों के बावजूद भारत साइबर सिक्योरिटी पर काफी खर्च करता है और भारतीय एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह साइबर सिक्योरिटी का बजट कम से कम दस गुना बढ़ाने के बारे में विचार करेगी या नहीं?

**श्री मनोहर पर्रिकर:** आर्मी का जो नेट है, उसमें हैकिंग होने का चांस नहीं है, क्योंकि वह इंटीग्रेटेड नेटवर्क इंडिपेंडेंट है और Armed Forces are airgapped from the Internet. ... (Interruptions)

आप जो साइबर सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं, उसके लिए काफी एक्सरसाइज चालू है, जिसके कारण साइबर अटैक का चांस कम ही है।

As far as the Armed Forces are concerned, we have taken all the steps to ensure that आर्म्ड फोर्सों के एक भी ऑपरेशनल नेटवर्क में हैकिंग नहीं हो सकती, इसकी पूरी जवाबदेही है। एन.आई.सी. में फायरवाल्ड जैसे कई प्रावधान हैं।

**SHRI K. PARASURAMAN:** Hon. Speaker Madam, cyber insecurity is prevalent in all sectors, particularly sometimes it becomes a very big challenge to the defence sector also. ... (Interruptions)

Recently, the personal details of over 50,000 Army officers including the Chief of Army Staff are believed to have been compromised following the hacking of the website of the Office of the Principal Controller of Defence Accounts. This Office manages the accounts pertaining to salaries and other remuneration of Army officers. ... (*Interruptions*)

What is the present status of the inquiry into this hacking? Has the Government identified the location? ... (*Interruptions*) What kind of actions have been taken in this issue? ... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: We have taken action on the issue. We have already secured the website and hosted it on the NIC network. ... (*Interruptions*) It was a case of a private server which was used on outsourcing. We have ensured that the information has been blocked, the site has been blocked. ... (*Interruptions*) It has now been hosted on the NIC-secured network. We have issued instructions not to take private servers for hosting Army websites. ... (*Interruptions*) I can assure the Member that no operational matter of the Army, Air Force or Navy is on the Internet. It is all on intranet. ... (*Interruptions*) It is within the force-specific network for Army, Air Force and Navy. It is airgapped from the Internet. It cannot be hacked because it is not on the Internet. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at twelve o'clock.

**11.44 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve  
of the Clock.*

---

**12.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.*

*(Hon. Speaker in the Chair)*

**OBSERVATION BY THE SPEAKER**

HON. SPEAKER: Hon. Members, at the sitting of the Business Advisory Committee held today, it has been decided that Lok Sabha Session would be extended up to 13<sup>th</sup> May, 2015 in order to transact essential items of Government Business. Accordingly, Lok Sabha Session is extended up to 13<sup>th</sup> May, 2015. During the extended period, Question Hour and Matters under Rule 377 will not be taken up.

*... (Interruptions)*

HON. SPEAKER: I will allow you after Papers Laid.

---

**12.02 hrs**

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

Gen. V.K. Singh – Not present.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND  
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN  
JAITLEY): Madam, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2573/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (cost records and audit) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 425(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> July, 2014.
- (ii) The Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 01(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> January, 2015.
- (iii) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 37(E) in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> January, 2015.

- (iv) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 42(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> January, 2015.
  - (v) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 43(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> January, 2015.
  - (vi) The Companies (Declaration and Payment of Dividend) (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 121(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> February, 2015.
  - (vii) The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 122(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> February, 2015.
  - (viii) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 206(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> March, 2015.
  - (ix) The Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 210(E) in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2015.
  - (x) The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 207(E) in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2015.
  - (xi) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 241(E) in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> March, 2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2574/16/15]

(5) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 504(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> February, 2015 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 2575/16/15]

(6) A copy of the Notification No. S.O.891(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> March, 2015, regarding delegation of powers to the Regional Directors under Section 94(5) read with Section 458 of Companies Act, 2013 under sub-section (2) of Section 458 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2576/16/15]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) The Chartered Accountants (First Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. 1-CA(7)/167/2014 in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> January, 2015.
- (ii) G.S.R. 837(E) published in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> November, 2014, making certain amendments in the Notification No. G.S.R. 38(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 2577/16/15]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

- (i) The Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. CWR(I)/2014 in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> November, 2014.
- (ii) Notification No. EL-2015/1 to Notification No. EL-2015/9 published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> February, 2015, regarding election to the Councils and the Regional Councils 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2578/16/15]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2579/16/15]

- (2)(एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2580/16/15]

- (3)(एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2581/16/15]

- (4)(एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2582/16/15]

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह) :** अध्यक्ष जी, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-



- (1) (एक) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर, गुडगांव के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर गुडगांव के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2572/16/15]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, with your permission, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2583/16/15]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2584/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 18 of the Pharmacy Act, 1948:-

- (i) The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) Course Regulations, 2014 published in Notification No. 14-154/2010-PCI in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> December, 2014.

- (ii) The “Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014” published in Notification No. 14-163/2010-PCI in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> November, 2014.
  - (iii) The Pharm. D (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. 10-1/2012-PCI (Pt.-I) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> August, 2014.
  - (iv) The Master of Pharmacy (M. Pharm) Course Regulations, 2014 published in Notification No. 14-136/2014-PCI in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> December, 2014.
  - (v) The Bachelor of Pharmacy (Practice) Regulations, 2014 published in Notification No. 14-117/2014-PCI in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> December, 2014.
  - (vi) The Pharmacy Practice Regulations, 2015 published in Notification No. 14-148/2012-PCI in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> January, 2015.
  - (vii) The Education (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. 10-1/2012-PCI (Pt.-I) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> August, 2014.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- [Placed in Library, See No. LT 2585/16/15]
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2586/16/15]

(7) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year, mentioned therein:-

S.No.	Name of the Institutions	Accounting Year(s)
1.	Medical Council of India, New Delhi	2013-14
2.	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	2013-14
3.	All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar	2013-14
4.	All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh	2013-14
5.	All India Institute of Medical Sciences, Raipur	2013-14
6.	All India Institute of Medical Sciences, Patna	2013-14
7.	All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur	2013-14
8.	All India Institute of Medical Sciences, Bhopal	2013-14

[Placed in Library, See No. LT 2587/16/15]

(8) A copy of the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-62/FSSA/2014-DFQC in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> March, 2015 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 2588/16/15]

(9) A copy of the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 107(E) in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> February, 2015 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 2589/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND  
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT  
SINGH): With your permission, Madam, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-  
(i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Defence for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2590/16/15]

- (ii) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2591/16/15]

- (iii) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronic Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2592/16/15]

- (iv) Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2593/16/15]

- (v) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2594/16/15]

- (vi) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2595/16/15]

(2) A copy of the Notification No. S.R.O.7 (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 24<sup>th</sup> January, 2015 declaring that for a period of five years from the date of publication of this notification, service or duty in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands shall be 'active service' within the meaning and for the purpose of the Navy Act, 1957 issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2596/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I rise to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

- (1) The Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2015 published in Notification No. G.S.R. 227(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2597/16/15]

- (2) The Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2015 published in Notification No. G.S.R. 227(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2598/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I rise to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970:-

- (1) The Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015 published in Notification No. 18-12/2012.Siddha (Syllabus-PGDip) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2599/16/15]

- (2) The Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Unani Medicine) Regulations, 2015 published in Notification No. 11-77/2012 U (P.G.D. Regl.) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2600/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, with your permission, I rise to lay on the Table”-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the GAIL (India) Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2601/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

- (i) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for city or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (ii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for city or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (iii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (iv) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (v) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.



- (vi) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (vii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (viii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (ix) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (x) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xi) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.

- (xii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xiii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaration or authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xiv) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xv) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xvi) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xvii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Code of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xviii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for Development of Technical Standards and Specifications including

Safety Standards) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.

- (xix) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meeting of the Board) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. L-MISC/VI/I/2007 in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2014.
- (xx) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS AMEND-2015 in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> February, 2015.
- (xxi) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. M(1)/T4S/CGD/1/2010 in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> December, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2602/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): With your permission, Madam, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2013-2014.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2603/16/15]

- (3) A copy of the Central Pollution Control Board (Qualifications and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 221(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> March, 2015 under sub-section (3) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

[Placed in Library, See No. LT 2604/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):  
Madam Speaker, I rise to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (1) The Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. CEI/1/2/2015 in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2605/16/15]

- (2) The Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. 502/11/DP&D/2015 in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2606/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अर्थ के भीतर “नियत दिन” होगा, से स्थापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2607/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Respected Madam, I wish to lay on the Table:-

- (1)
  - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication, Mumbai, for the year 2013-2014.
  - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication, Mumbai, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2608/16/15]

- (3)
  - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2013-2014.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2013-2014.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2609/16/15]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the PEC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2610/16/15]

(ii) Memorandum of Understanding between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2611/16/15]

(iii) Memorandum of Understanding between the STC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2612/16/15]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(i) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2015 published in Notification No. S.O. 939(E) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> April, 2015.

(ii) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2015 published in Notification No. S.O. 914(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015.

- (iii) S.O. 998(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> April, 2015, making certain amendments in the Notification S.O. 477(E) dated 25<sup>th</sup> July, 1991.

(रु॒)[Placed in Library, See No. LT 2613/16/15]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2614/16/15]

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर):** अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2615/16/15]

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2616/16/15]

(तीन) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2617/16/15]

(चार) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Librar,. See No. LT 2618/16/15]

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 से 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2619/16/15]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2620/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-



- (1) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2621/16/15]

- (2) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Scooters India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2622/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2623/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

- (i) S.O. 641(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> March, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 6 (New NH 53) in the State of Chhattisgarh.
- (ii) S.O. 2967(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 6 (New NH 49) in the State of Odisha.
- (iii) S.O. 430(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> February, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 30 in the State of Chhattisgarh.
- (iv) S.O. 325(E) published in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (New NH 146) (Sanchi-Sagar Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (v) S.O. 286(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (New NH 146) (Sanchi-Sagar Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (vi) S.O. 431(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> February, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 12 in the State of Madhya Pradesh.

- (vii) S.O. 429(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (New NH 146) (Sanchi-Sagar Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (viii) S.O. 326(E) published in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (New NH 146) (Sanchi-Sagar Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (ix) S.O. 729(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Visakhapatnam-Bhubaneswar Section) in the State of Odisha.
- (x) S.O. 700(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Visakhapatnam-Bhubaneswar Section) in the State of Odisha.
- (xi) S.O. 698(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 42 (Cuttack-Angul Section) in the State of Odisha.
- (xii) S.O. 751(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 42 (Cuttack-Angul Section) in the State of Odisha.
- (xiii) S.O. 1580(E) published in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.

- (xiv) S.O. 796(E) published in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xv) S.O. 255(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> January, 2014 containing corrigendum (Hindi version only) to the Notification No. G.S.R. 3076(E) dated 9<sup>th</sup> October, 2013.
- (xvi) S.O. 1060(E) published in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xvii) S.O. 1720(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xviii) S.O. 2285(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xix) S.O. 2431(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.
- (xx) S.O. 2507(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora to Sambalpur Section) in the State of Odisha.

- (xxi) S.O. 2280(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69 (Betul-Pandhurna Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxii) S.O. 2459(E) published in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (Bhopal to Sanchi Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxiii) S.O. 1311(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 (Biramitrapur-Barkote Section) in the State of Odisha.
- (xxiv) S.O. 256(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Gwalior to Shivpuri Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxv) S.O. 857(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (Bhopal to Sanchi Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxvi) S.O. 2700(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Gwalior to Shivpuri Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxvii) S.O. 2701(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (Bhopal to Sanchi Section) in the State of Madhya Pradesh.

- (xxviii) S.O. 2457(E) published in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxix) S.O. 1294(E) published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxx) S.O. 849(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxxi) S.O. 1242(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxxii) S.O. 1137(E) published in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxxiii) S.O. 1240(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxxiv) S.O. 2715(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6

(New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.

(xxxv) S.O. 628(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (New No. 146) (Sanchi-Sagar Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxxvi) S.O. 3432(E) published in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> November, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.

(xxxvii) S.O. 3461(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New NH 53) (Aurang-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.

(xxxviii) S.O. 3546(E) published in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> December, 2013, making certain amendments in the Notification No. S.O. 713(E) dated 15<sup>th</sup> March, 2013.

(xxxix) S.O. 3549(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Baharagora-Sambalpur Section) in the State of Odisha.

(xl) S.O. 2953(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 in the State of Assam.

(xli) S.O. 536(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 12 (Jaipur-Tonk-Deoli Section) in the State of Rajasthan.

- (xlii) S.O. 507(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 458 in the State of Rajasthan.
- (xliii) S.O. 540(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Fatehpur Section) in the State of Rajasthan.
- (xliv) S.O. 331(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 148D (Asind Section) in the State of Rajasthan.
- (xlv) S.O. 1433(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 458 in the State of Rajasthan.
- (xlvi) S.O. 279(E) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 14 (Pali Section) in the State of Rajasthan.
- (xlvii) S.O. 503(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 758 (Rajsamand to Bhilwara Section) in the State of Rajasthan.
- (xlviii) S.O. 2407(E) published in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building,



maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Bikaner-Phalodi Section) in the State of Rajasthan.

- (xlix) S.O. 1265(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 112 in the State of Rajasthan.
- (l) S.O. 1654(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) in the State of Rajasthan.
- (li) S.O. 442(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Rajasthan/Gujarat Section) in the State of Rajasthan.
- (lii) S.O. 500(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 758 (Rajasthan-Bhilwara Section) in the State of Rajasthan.
- (liii) S.O. 2409(E) published in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> September, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2377(E) dated 6<sup>th</sup> August, 2013.
- (liv) S.O. 3011(E) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Barmer-Sanchor Section) in the State of Rajasthan.
- (lv) S.O. 2936(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 123 (Uncha Nagla-Dholpur Section) in the State of Rajasthan.

- (lvi) S.O. 2904(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Barmer-Sanchor Section) in the State of Rajasthan.
- (lvii) S.O. 2264(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 112 (Jodhpur-Barmer Section) in the State of Rajasthan.
- (lviii) S.O. 2610(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 112 (Bar-Bilara-Jodhpur Section) in the State of Rajasthan.
- (lix) S.O. 2903(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Barmer-Sanchor Section) in the State of Rajasthan.
- (lx) S.O. 3051(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Jaisalmer-Barmer Section) in the State of Rajasthan.
- (lxi) S.O. 2902(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Barmer-Sanchor Section) in the State of Rajasthan.
- (lxii) S.O. 2887(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 112 (Jodhpur-Barmer Section) in the State of Rajasthan.

- (lxiii) S.O. 3050(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Jaisalmer-Barmer Section) in the State of Rajasthan.
- (lxiv) S.O. 2710(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 123 (Uncha Nagla-Dholpur Section) in the State of Rajasthan.
- (lxv) S.O. 2613(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 114 (Jodhpur-Pokaran Section) in the State of Rajasthan.
- (lxvi) S.O. 3082(E) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> December, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. in the State of Madhya Pradesh.
- (lxvii) S.O. 699(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8A (Ext.) (Mundra Village, Chhasra-Siracha Section) in the State of Gujarat.
- (lxviii) S.O. 1900(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway in the State of Gujarat.
- (lxix) S.O. 804(E) published in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Ahmedabad-Gujarat/MP Border Section) in the State of Gujarat.

- (lxx) S.O. 697(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Gir-Somnath Section) in the State of Gujarat.
- (lxxi) S.O. 1901(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway in the State of Gujarat.
- (lxxii) S.O. 859(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway (Vadodara-Mumbai Section) in the State of Gujarat.
- (lxxiii) S.O. 1899(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway (Vadodara-Mumbai Section) in the State of Gujarat.
- (lxxiv) S.O. 261(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Amreli Section) in the State of Gujarat.
- (lxxv) S.O. 1712(E) published in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ratanpur Border to Ahmedabad Section) in the State of Gujarat.
- (lxxvi) S.O. 908(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Vadodara Section) in the State of Gujarat.

- (lxxvii) S.O. 2428(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Rajkot Section) in the State of Gujarat.
- (lxxviii) S.O. 373(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Mumbai Section) in the State of Gujarat.
- (lxxix) S.O. 659(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8A (Ext.) (Kandla-Chandroda Section) in the State of Gujarat.
- (lxxx) S.O. 412(E) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Part of Gir Somnath Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxi) S.O. 409(E) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway (Vadodara-Mumbai Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxii) S.O. 366(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxiii) S.O. 365(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Junagadh Section) in the State of Gujarat.

- (lxxxiv) S.O. 361(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Gir Somnath Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxv) S.O. 255(E) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Part of Gir Somnath Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxvi) S.O. 393(E) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Part of Bhavnagar Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxvii) S.O. 3223(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Vadodara Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxviii) S.O. 143(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Part of Bhavnagar Section) in the State of Gujarat.
- (lxxxix) S.O. 2853(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.) (Gadu-Dwarka Section) in the State of Gujarat.
- (xc) S.O. 3096(E) published in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8D (Gir Somnath Section) in the State of Gujarat.

- (xci) S.O. 3228(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Amreli Section) in the State of Gujarat.
- (xcii) S.O. 2765(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Junagadh Section) in the State of Gujarat.
- (xciii) S.O. 2873(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Vadodara-Mumbai Expressway (Vadodara-Mumbai Section) in the State of Gujarat.
- (xciv) S.O. 2846(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.) (Porbandar Section) in the State of Gujarat.
- (xcv) S.O. 3182(E) published in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Biharsharif-Barbigha-Mokama Section) in the State of Bihar.
- (xcvi) S.O. 2682(E) published in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> October, 2014, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 30 in the State of Bihar.
- (xcvii) S.O. 109(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 81 (upto West Bengal-Bihar Border) in the State of West Bengal.
- (xcviii) S.O. 110(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 131A in the State of West Bengal.

- (xcix) S.O. 2858(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (c) S.O. 2889(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (ci) S.O. 2894(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Biharsharif-Barbigha-Mokama Section) in the State of Bihar.
- (cii) S.O. 3047(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> December, 2014, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 527C in the State of Bihar.
- (ciii) S.O. 3224(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 107 (Mahesh Khunt-Sonbarsa Raj-Saharsa-Madhepura-Purnea Section) in the State of Bihar.
- (civ) S.O. 367(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (cv) S.O. 2666(E) published in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> October, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management



and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.

- (cvi) S.O. 3029(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 19 (Chhapra-Hajipur Section) in the State of Bihar.
- (cvii) S.O. 2510(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.
- (cviii) S.O. 5(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa-Adda Section) in the State of Bihar.
- (cix) S.O. 3226(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 (Bakhtiyarpur-Mokama Section) in the State of Bihar.
- (cx) S.O. 3041(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Mahulia to Baharagora Section) and National Highway No. 6 (Baharagora to Chichira Section) in the State of Jharkhand.
- (cxi) S.O. 2890(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 in the State of Jharkhand.
- (cxii) S.O. 2379(E) published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 28 (Muzaffarpur-Barauni Section) in the State of Bihar.

(cxiii) S.O. 144(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.

(cxiv) S.O. 2965(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 28A (Piprakothe-Raxaul Section) in the State of Bihar.

(cxv) S.O. 2851(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad-Barwa Adda Section) in the State of Jharkhand.

(cxvi) S.O. 3273(E) published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 102 (Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur Section) in the State of Bihar.

(cxvii) S.O. 368(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, authorising the District Land Acquisition Officer, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 107 in the State of Bihar.

(cxviii) S.O. 2934(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. No. 33 (Mahulia to Baharagora Section) and National Highway No. 6 (Baharagora to Chichira Section) in the State of Jharkhand.

(cxix) S.O. 3032(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 8E (Part of Bhavnagar Section) in the State of Gujarat.

(cxx) S.O. 11(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> January, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2788(E) dated 14<sup>th</sup> September, 2013.

(cxxi) S.O. 2861(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Amreli Section) in the State of Gujarat.

(cxxii) S.O. 3291(E) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Part of Bhavnagar Section) in the State of Gujarat.

(cxxiii) S.O. 2893(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.)(Gadu Porbandar Dwarka Section) in the State of Gujarat.

(cxxiv) S.O. 2935(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Mumbai Section) in the State of Gujarat.

(cxxv) S.O. 3048(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Voadodara Section) in the State of Gujarat.

(cxxvi) S.O. 8(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Ahmedabad-Voadodara Section) in the State of Gujarat.

- (cxxvii) S.O. 2861(E) published in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> November, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Amreli Section) in the State of Gujarat.
- (cxxviii) S.O. 257(E) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Rajgarh Section) in the State of Rajasthan.
- (cxxix) S.O. 3294(E) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 758 (Rajsamand to Bhilwara Section) in the State of Rajasthan.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (lxvi) to (lxxx) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2624/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.319(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> April, 2015 under sub-section (3) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 2625/16/15]

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) :** महोदया, श्री विष्णु देव साय की ओर से, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 304(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2626/16/15]

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) :** महोदया, प्रो० रामशंकर कठेरिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2627/16/15]

- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2628/16/15]

- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2629/16/15]

- (7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2630/16/15]

- (9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2631/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2632/16/15]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

- (i) The Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Investors)(Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/20/1972 in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> December, 2014.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973 in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> December, 2014.
- (iii) The Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576 in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> September, 2014.
- (iv) The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577 in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> September, 2014.
- (v) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities)(Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/539 in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2015.
- (vi) The Securities and Exchange Board of India (Acquisition of Shares and Takeovers)(Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542 in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2015.
- (vii) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities)(Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/29/543 in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2015.



- (viii) The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/29/538 in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2633/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 30(E) in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> January, 2015.
- (ii) The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 120(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> February, 2015.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 183(E) in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> March, 2015.
- (iv) The Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R. 218(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2634/16/15]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

- (i) G.S.R.274(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of

Foreign Trade in terms of the Service Exports from India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

- (ii) G.S.R.273(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of Foreign Trade in terms of the Merchandise Exports from India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

[Placed in Library, See No. LT 2635/16/15]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

- (i) G.S.R.266(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty levied therein on imports of “Courmarin”, originating in, or exported from People’s Republic of China for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 22<sup>nd</sup> March, 2016, pending outcome of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (ii) G.S.R.267(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of “Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000”, originating in, or exported from Australia, European Union and Singapore for a period of five years pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (iii) G.S.R.268(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of “Poly Vinyl Chloride Paste Resin”, also known as “Emulsion Poly Vinyl Chloride Resin”, originating in, or exported from Norway and Mexico for a period of five years

pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

- (iv) G.S.R.308(E) published in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Barium Carbonate, originating in, or exported from People's Republic of China for a period of one year i.e. upto and inclusive of 22<sup>nd</sup> March, 2016, pending outcome of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (v) G.S.R.309(E) published in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to extend the anti-dumping duty levied therein on imports of 'Aceton', originating in, or exported from Japan and Thailand for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 8<sup>th</sup> April, 2016, pending outcome of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (vi) G.S.R.281(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping imposed on imports of 'electrical insulators of glass or ceramics/porcelain, whether assembled or unassembled', originating in, or exported from People's Republic of China for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty i.e. 16<sup>th</sup> September, 2014, pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (vii) G.S.R.282(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping imposed on imports of 'Recordable Digital

Versatile Disc', originating in, or exported from Thailand and Vietnam for a period of one year i.e. upto and inclusive of 11<sup>th</sup> April, 2016, pending outcome of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

[Placed in Library, See No. LT 2636/16/15]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

- (i) G.S.R.250(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Post Export EPCG duty credit scrip scheme of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (ii) G.S.R.251(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 33/2012-Central Excise, dated 9<sup>th</sup> July, 2012.
- (iii) G.S.R.303(E) published in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Central Excise, dated 17<sup>th</sup> March, 2012.
- (iv) G.S.R.272(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of Foreign Trade in terms of the Service Exports from India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (v) G.S.R.271(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of Foreign Trade in terms of the Service of the Merchandise Exports

from India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

- (vi) G.S.R.254(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the Advance Authorization Scheme of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

[Placed in Library, See No. LT 2637/16/15]

- (7) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 2638/16/15]

- (8) A copy of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 224(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> March, 2015 under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 2639/16/15]

- (9) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the third quarter of financial year 2014-2015, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 2640/16/15]

- (10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

- (i) G.S.R.269(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of Foreign Trade in terms of the Service Merchandise Exports from

India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

- (ii) G.S.R.252(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the Export Promotion Capital Goods Scheme of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (iii) G.S.R.258(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the provision in the Foreign Trade Policy 2015-2020 relating to export of an item, otherwise prohibited for export, under the Advance Authorization Scheme.
- (iv) G.S.R.259(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 104/2009-Cus., dated 14<sup>th</sup> September, 2009.
- (v) G.S.R.256(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the Advance Authorization Scheme for Annual Requirement of the Foreign Trade Policy, 2015-2020.
- (vi) G.S.R.270(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted by the Directorate General of Foreign Trade in terms of the Service Exports from India Scheme under Chapter 3 of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (vii) G.S.R.253(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide for usage of the duty credit scrips granted in terms of the Post Export EPCG duty credit scrips scheme of the Foreign Trade Policy 2015-2020.

- (viii) G.S.R.257(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the Advance Authorization Scheme for Deemed Exports of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (ix) G.S.R.255(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum giving effect to the Duty Free Import Authorisation Scheme of the Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (x) G.S.R.242(E) published in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 26/2011-Cus., dated 1<sup>st</sup> March, 2011.
- (xi) G.S.R.243(E) published in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> March, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17<sup>th</sup> March, 2012.
- (xii) G.S.R.276(E) published in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated 23<sup>rd</sup> July, 1996.
- (xiii) G.S.R.302(E) published in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17<sup>th</sup> March, 2012.
- (xiv) S.O. 3241(E) published in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> December, 2014, together with an explanatory memorandum containing corrigendum to the Notification No. 115/2014-Cus.(N.T.), dated 17<sup>th</sup> December, 2014.

- (xv) S.O. 343(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> February, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 09/2015-Cus.(N.T.), dated 15<sup>th</sup> January, 2015.
- (xvi) S.O. 381(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> February, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xvii) S.O. 506(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> February, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3<sup>rd</sup> August, 2001.
- (xviii) S.O. 566(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> February, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xix) S.O. 623(E) published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> February, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3<sup>rd</sup> August, 2001.
- (xx) S.O. 679(E) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> March, 2015, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

[Placed in Library, See No. LT 2641/16/15]



(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962, Section 38 of the Central Excise Act, 1944 and section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R.294(E) published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 44/91-Cus.,(N.T.) dated 30<sup>th</sup> May, 1991.

(ii) G.S.R.295(E) published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> April, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 110/2014-Cus.,(N.T.) dated 17<sup>th</sup> November, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2642/16/15]

(12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 14 of 2015)-Performance Audit of Dual Freight Policy for Transportation of Iron Ore Traffic in Indian Railways for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2643/16/15]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 15 of 2015)-Railways Finances for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2644/16/15]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 16 of 2015)-Performance Audit of Nutrient Based Subsidy Policy for Decontrolled Phosphatic and Potassic Fertilizers, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2645/16/15]

- (iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government [Defence Services (Air Force)](No. 17 of 2015)-Performance Audit of Design, Development, Manufacture and Induction of Light Combat Aircraft for the year ended March, 2014.  
[Placed in Library, See No. LT 2646/16/15]
  - (v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government [Defence Services (Army and Ordnance Factories)](No. PA 19 of 2015)-Performance Audit of Ammunition Management in Army for the year ended March, 2013.  
[Placed in Library, See No. LT 2647/16/15]
  - (vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 20 of 2015)-Communications and IT Sector for the year ended March, 2013.  
[Placed in Library, See No. LT 2648/16/15]
- (13) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Appropriation Accounts (Part I- Review) of the Indian Railways for the year 2013-2014.
  - (ii) Appropriation Accounts (Part II- Detailed Appropriation Accounts) of the Indian Railways for the year 2013-2014.
  - (iii) Appropriation Accounts (Part II- Detailed Appropriation Accounts {Annexure-G}) of the Indian Railways for the year 2013-2014.  
[Placed in Library, See No. LT 2649/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.  
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2650/16/15]

- (3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Film Development Corporation Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2651/16/15]

---

**12.04 hrs****COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS  
Minutes**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Fifth to Eleventh sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

---

**12.05 hrs****COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM  
THE SITTINGS OF THE HOUSE  
Minutes**

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Second sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on 28 April, 2015

---

**12.06 hrs****STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT  
9<sup>th</sup> Report**

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I beg to present the Ninth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development on 'the Registration (Amendment) Bill, 2013'.

---

**12.07 hrs**

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 2) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29<sup>th</sup> April, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

“In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30<sup>th</sup> April, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

---

**12.08 hrs****STATEMENTS BY MINISTERS**

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Defence\*

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I beg to lay the following statement regarding:-

the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Ministry of Defence.

---

**12.08 ½ hrs**

(i) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Defence on 'Threat Perception and preparedness of the Forces including incursion on borders, coordination mechanism with the Central Armed Police Forces and Border connectivity through Road, Air and Rail', pertaining to the Ministry of Defence\*

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I beg to lay the following statement regarding:-

the status of implementation of the recommendations contained in the 22<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Defence on 'Threat Perception and preparedness of the Forces including incursion on borders, coordination mechanism with the Central Armed Police Forces and Border connectivity through Road, Air and Rail', pertaining to the Ministry of Defence.

---

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2652/16/15 and 2653/16/15 respectively.

**12.09 hrs**

**COMPENSATORY AFFORESTATION FUND BILL, 2015\***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR):  
Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the rest agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level at each of the State and Union territory Administration for administration of the funds and to utilize the monies so collected for undertaking artificial regeneration (Plantations) assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the rest agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level at each of the State and Union Territory Administration for administration of the funds and to utilize the monies so collected for undertaking artificial

---

\* Published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part II, Section- 2 dated 08.05.2015

regeneration (Plantations) assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto.”

*The motion was adopted.*

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, I introduce\* the Bill.

---

---

\* Introduced with the recommendation of the President.



**12.10 hrs.**

**STATEMENTS BY MINISTERS-Contd...**

**(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation\***

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Madam, I am making this statement on the status of implementation of recommendations contained in the 4<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Rural Development (2014-15) on Demands for Grants (2014-15) of Ministry of Drinking Water and Sanitation in pursuance of Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in pursuance of the Direction 73A of the hon. Speaker of the Lok Sabha.

The Standing Committee on Rural Development (Ministry of Drinking Water and Sanitation) (16<sup>th</sup> Lok Sabha) examined the Demands for Grants of the Ministry of Drinking Water and Sanitation for the financial year 2014-15 and laid its 4<sup>th</sup> Report in the Lok Sabha on 19<sup>th</sup> December, 2014. The report contained 17 recommendations.

The Ministry considered the report and submitted the Action Taken Replies on the comments/observations of the Committee contained in the 4<sup>th</sup> Report to the Standing Committee on Rural Development (Ministry of Drinking Water and Sanitation) on 09.03.2014.

The present status of implementation of the 17 recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my statement, which is laid on the Table of the House. To avoid wasting the valuable time of the House, I would request that the contents of the Annexure may be considered as read.

---

\* Published in Library. See No. LT 2654/16/15

**12.11 hrs**

**SUBMISSION BY MEMBERS**

**(i)Re: Extension of the sittings of the House**

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, मैं आपको समय भी दे रही हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर नहीं होगा, यह पहले से बना हुआ रूल है, कोई अभी नहीं बना है।

दूसरी बात यह कि वास्तव में कोई नोटिस नहीं दिया हुआ था, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने कहा था कि मैं 12 बजे आपको बोलने का समय दूंगी। इसलिए मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि I will allow you. मैंने मना तो नहीं किया था। तो फिर इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** धन्यवाद। आप तो इतना केयर लेते हैं कि जब तक हाउस का कार्यक्रम है, उसके खत्म होने तक इधर देखने का समय नहीं रहता, इसलिए हम कभी-कभी to draw your attention, we raise often and often.

**माननीय अध्यक्ष :** आप यह नहीं कह सकते। हर समय मैं हर एडजर्नमेंट मोशन पर ज़ीरो आवर में बात करने का समय देती हूँ। कई बार यहाँ से भी नाराज़गी हो सकती है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** आप तो जानती हैं कि मैंने आज तक एक एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं दिया।

**माननीय अध्यक्ष :** मगर जिस तरीके से स्लोगन लगाए, ऐसा नहीं होता है। Please understand me also.

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अब तक तो एक एडजर्नमेंट मोशन नहीं दिया। मैं जब भी पूछता हूँ, आपकी परमीशन लेकर ही पूछता हूँ, लेकिन आज का यह विषय इसलिए महत्व का है कि ऐसा इंप्रेसन बाहर भी नहीं जाना चाहिए और सदन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए कि हम अपोज़ीशन के लोग हाउस चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसा इंप्रेसन नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा सवाल ही नहीं है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आपके नेतृत्व में आज तक के सबसे ज्यादा बिल पास हुए हैं और हर दिन एक बिल पास होता है। हम सारे लोग कोआपरेट करते हैं। हम अपनी बात रखते हैं। हम यहाँ पर लड़ते हैं, बात रखते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं, उनको कमियाँ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिल स्मूथली पास हो रहे हैं। हमने आज तक कोई फाइनेंशियल बिल रोका नहीं है। जो कुछ भी एजेन्डा में था, बिज़नेस में था, वह चलता रहा है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो सेशन की डेट आप फिक्स करते हैं, तो पहले आपने एक डेट फिक्स की। राज्य सभा की डेट आपने 13 मई तक फिक्स की थी और

हमारी 8 मई तक थी। आज लास्ट डेट है। जब डेट फिक्स करते हैं तो शायद सरकार को यह मालूम होता है कि उनकी कौन-कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन-कौन से बिल वे यहाँ लाना चाहते हैं, किन-किन बिल्स को वे यहाँ पास कर लेना चाहते हैं। यह तो मालूम होता है। उसके बावजूद भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि रात के 10 बजे या 11 बजे आप उठकर यह कहते हैं कि हम हाउस एक्सटेंड कर रहे हैं। आप कौल एंड शकधर की बुक को रैफर कीजिए। आपको पावर है, लेकिन कब है? जब बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में एक निर्णय लिया जाता है, तब उस निर्णय को आप सदन में रखकर, सदन की कंसैन्ट लेकर, उसको बता देते हैं कि हाउस इतना चलेगा। लेकिन आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, गवर्नमेंट प्रैस में एनाउंस कर देती है, उसके बाद में उसे बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में रख देती है...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके नेता को बोलने नहीं देना है तो वैसे बोलो।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** There is no justification for extending the Session as, during the extended sittings, there will be no Question Hour. आपने अभी बोला, जीरो ऑवर भी नहीं है। फिर ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** जीरो ऑवर नहीं है, ऐसा नहीं बोला, 377 नहीं है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** और 377, ये सारी चीज़ें नहीं हैं और लोगों की जो ग़िवांसेज़ हैं, उनकी जो तकलीफ़ात हैं, उनको हाईलाइट करने का यह एक ही तरीका है कि सरकार को बताना और सरकार को कहना, वह इस सदन में ही कह सकते हैं, बाहर तो कह नहीं सकते। अगर बाहर कहें तो उसको कोई रैस्पोंस नहीं मिलता। जो डैमोक्रेटिकली लोकतंत्र में हमारे हक हैं, उन हकों को छीना जा रहा है, बुलडॉज़ किया जा रहा है और वे यह समझ रहे हैं कि हमारे पास मैजोरिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी बिल ले सकते हैं...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, ऐसा नहीं बोलें।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैडम, एक मिनट। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ नहीं। सरकार यह समझती है कि हमारी मैजोरिटी है, हम कोई सा भी विषय कभी भी ला सकते हैं, कोई सा भी बिल कभी भी लाकर पास करवा सकते हैं, यह हमारी मर्जी की बात है, सदन को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अरजेंट बिल उनके पास है तो ये पहले ही ला सकते थे। यह लैंड बिल पहले तो लाने की कोशिश है, वह आज एजेण्डा में गायब है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर आप थोड़े में करो तो समय मिल जायेगा।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आपकी ओर से सदन के लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि यह गवर्नमेंट किस ढंग से चल रही है और हम जो फाइट कर रहे हैं, यह हमारे हुकूक के लिए नहीं, जनता के हुकूक के लिए है, क्योंकि, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम यहां पर ऐसे सवाल उठाते हैं, किसी को ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं।

दूसरी चीज़, चाहे लैंड बिल हो या मनी बिल, ये सारी चीज़ें ये पहले ही ला सकते थे, लेकिन उनकी मंशा यह है कि मनडे के दिन हाउस में अटेंडेंस कम रहती है, इसीलिए किसी ढंग से इसको पास करवा लें, इसीलिए आज उन्होंने लैंड एक्वीजीशन बिल विथड्रा कर लिया है। अगर यह स्थिति है...(व्यवधान) यह उनका है, आपका नहीं। हम आपके पास आकर रिव्यूस्ट करते हैं, वह बात और है, लेकिन ये सारी चीज़ें वे कर रहे हैं, इससे आज क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, क्वश्चन ऑवर और 377, इन सबसे हम वंचित हो रहे हैं। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि जो हाउस बढ़ाने का डिंसीजन है, मनडे से लेकर वेन्सडे तक जो है, यह यूनीलेटरल डिंसीजन है। इस बारे में किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, सदन को विश्वास में नहीं लिया गया, अपोजीशन को विश्वास में नहीं लिया गया। वे निर्णय लेते हैं और बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में रख देते हैं। रखने के बाद यहां पर लाकर आपके थ्रू कहलवाते हैं तो हमें इसको कहना पड़ता है कि डेमोक्रेसी में ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, इसीलिए हम हाउस को, सदन को यह बताना चाहते हैं कि आप निर्णय लीजिए और अगर करना है तो उसका हम आल्टरनेटिव बता सकते हैं। अगर हाउस को चलाना है तो उसका आल्टरनेटिव हम बता सकते हैं, अगर आप हाउस एडजर्न करके हमको पूछेंगी कि किस ढंग से चलाना है, किस ढंग से दूसरे बिलों को पास करवाना है तो वह भी हम कह सकते हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट। तथागत जी, प्लीज़। मुझे लगता है कि आज बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में भी चर्चा हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वहां सदस्य उपस्थित थे।

...(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) :** मैडम, अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। किसी मंत्री ने बाहर नहीं बताया, इसलिए ऐसा पोलिटिकल आरोप करना उचित नहीं है। यहां काम करना पाप है क्या?... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No interruptions like these will go on record.

... (Interruptions)... \*

---

\* Not recorded.

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपने नेता से बड़े बन रहे हैं, बैठिये। सुदीप बंदोपाध्याय जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सब बैठिये। उनको बोलने दीजिए। यह क्या हो रहा है?

यह तरीका सही नहीं है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैठिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** जब आपकी बात रिकॉर्ड में ही नहीं जा रही है तो फिर चिल्ला कर अपना गला क्यों खराब कर रहे हैं? आपके नेता बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): In the Parliamentary democratic process, the Opposition always is in favour of running the Session for more days. The question is how the Government's side is scuttling the issue. Actually, all of us came to know only yesterday through television information that the House is going to be extended. Even today, in the BAC meeting, we expressed our views. We are confident that the Government is adamant and it will take forward the Session up to 13<sup>th</sup>. But Shri Venkaiah Naidu ultimately made the comment that he might reduce it up to 12<sup>th</sup>. You took special care to say: "Do not come again to me after that and do not again say it should be there on 13<sup>th</sup> also." So, a decision has been taken. The decision is not in the official form. It was your ultimate comment. What I would say is that all the Members of Parliament have important work. For example, in our State of West Bengal, the elections to the Municipalities and Corporations were held and all the bodies will be formed from Monday onwards. So, the Members of Parliament have a very important role to play in the setting up of the municipal bodies there. In our State, our Party has now come up in the elections. So, the responsibility of the Members of Parliament has gone up at its extreme height. I equally respond to what Shri Kharge has said that

Government should be more alert in future. This should not be a precedent for future. If the Government is adamant, there is not any political Party which will boycott the Session. Nobody is in such a mood. I hope that Government should be more articulate in their standpoints, in their announcements and they should be transparent. They should consult the opposition parties. The BAC is to be given more importance by which we can at least come to know about it before the television spokespersons announce the programmes of Parliament in future.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, all of a sudden, you are extending the House. We have no objection to extend the House. If at all Government wants to transact any important business, it can be done on Friday and Saturday. This is our stand.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): It is not that only the Government wants to do work and we want to obstruct. I am not associating myself with any other Party. I am only saying one thing that everybody wants to work. Everybody also has a commitment back home in the constituency. So, we are having to balance both sides. This sudden extension could have been avoided if a week or days earlier we had been informed. We would have told our people to do it accordingly. We have cooperated. Yesterday, the passing of the Constitution Amendment was a proof that under your leadership, the whole House voted as one. This is a unique thing. It should be appreciated. I am only saying that let the work continue. This is the 125<sup>th</sup> year of Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary. What I told you in the BAC is that let us celebrate that. Let us dedicate a seven-day or ten-day Session to Dr. B.R. Ambedkar, a great soul of this nation who is relevant even today. Let us have another Session some time in Mid-June before the Monsoon Session. Let us have a specific agenda. The Government can come up with an agenda. It can be a special Session. You can name it "Dr. B.R. Ambedkar Session." Let the people of this country know what the message the Parliament wants to give, what message the Ruling Party wants to give that it is with the backwards, it wants to bring the back to the front; it wants to help the people who

are economically and socially backward by highlighting their plight in the Parliament. It can be done. It should be done. I would request the Government to reconsider this. This will give a very good message to the country that all the parties are together in this ten-day Session.

We will support the Government wherever they are coming up with good things; we will oppose the Government wherever we find they are doing anti-people, anti-poor policies. We are open to that. So, we are with you. I am very much sure that as a Member of Parliament, Shrimati Mahajan also would like to go back to her constituency.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Today, actually I could not see the BAC papers. Early morning, at 8 o' clock, our CM had come. We had to send him off. I didn't know that the meeting of BAC was there. I would request Shri Meghwal to send some SMS also for future so that we know about the meetings of BAC.

However, I am really surprised as to why there is a discussion on this. Most of the people in India are waiting for us; we have only 543 Parliamentarians from the country. They want to pass some Bills; there is a lot of business which is pending here; there are a lot of issues back home also. This is more important. Every time we feel that there should be time for the business; we should cooperate; we should discuss here; we should pass the Bill; and take a lot of things back home. So, I feel that the extension of three days is a good one but only thing I would like to say is that we could come to know through the TV news scrolling that the House has been extended. हम लोग बी.ए.सी. में बैठते हैं, अगर हमसे सलाह लेते तो हमें अच्छा फील होता कि हमारी सलाह के ऊपर हाउस आगे तीन दिन बढ़ा दिया गया। इस तरह की प्रैक्टिस बनाकर हाउस को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Our Party, Telugu Desam Party, supports the extension of the House. Many important Bills are coming up, particularly, National Waterways Bill, Black Money Bill, Real Estate Bill, etc. Our Party supports the extension of the House for three days from Monday.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): We got the information through TV and newspapers not from the Business Advisory Committee. We have the List of Business a month back. So, we have planned our programme, not only the Members of the Opposition Parties, even the Government also planned its programme in accordance with the business. At the same time, all of a sudden, the TV and newspapers come out with the news that the Session is going to be extended. It is not a good practice. Of course, I agree that sometimes the Government has to extend the Session in order to transact its business. Here, the Opposition is cooperating in almost all the issues. We sat late till 8 or 9 p.m., without any food. At the same time, many times I witnessed that the Treasury Benches were empty. Even then, we cooperated. So, in such a situation, the Government has to take the views of the Opposition Parties into consideration. In the Business Advisory Committee, almost all the political parties have made the same view that Session should not be extended. It is very difficult. As far as I am concerned, I have not taken even a day's off when the Session is on. I hope, same is the case with many of the Members. At the same time, for the last four days, we have planned programmes in our constituencies, in our States. How can we address or answer to the people? It is the duty of the Government to manage the business. Now, six or seven Bills have come. I fully respect you, Madam, when you said that there would be no Question Hour; there would be no 'Zero Hour'; and there would be no Matters under Rule 377 or other businesses. Then, what is the use of extending the Session? So, it is better to have a Special Session, as stated by other hon. Members. That may be for seven or 10 days, which would be good. I am not really agreeing with the view of the Government; I am opposing the decision.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, जहां तक सदन का समय तीन दिनों तक बढ़ाने की बात है, हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल इसके पक्ष में है। मैं सत्यथी जी की बातों से सहमत हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए जो स्पेशल सेशन की बात इन्होंने कही है, उससे हम सहमत हैं। मैं यह



भी चाहता हूँ कि देश की अदालतों में डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान के निर्माता हैं, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वह एक अलग बात है।

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** मैं समझता हूँ कि इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। लोगे द्वारा चुने गये नुमाइंदे यह चाहते हैं कि हाउस का समय बढ़ाया जाना चाहिए। आपने उसे बढ़ाया है तो अच्छा किया है।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam Speaker, we made our Party's position clear in the BAC itself and we reiterate that we do not have any objection for extension of the Session because there are some important Bills. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I was really pained when Kharge *ji* made some remarks but I do not want to join issues with him. I would like to make one thing very clear. मैं सबसे पहले एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बार the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs met yesterday. That meeting was supposed to be at five o'clock. But as the House was sitting up to six o'clock, none of us, including the senior Ministers, could go. Some of us were preoccupied in Rajya Sabha; some of us were preoccupied here; we could not go. After the House adjourned, then we went; we had the meeting; we discussed the situation. ... (*Interruptions*) Kharge *ji*, please. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please, Kharge *ji*, let him speak.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I heard you patiently. It cannot be a one way traffic.... (*Interruptions*) You will always sit. You are a good boy in Parliament; everybody knows it. ... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, what does he mean by a good boy?... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I said he is a good man.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: What do you mean by a good boy in Parliament?... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He is a very good man. My problem is, in our area, when somebody does something good, the people say him a good boy. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Go ahead, please.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He is more active than all of you. He sits from morning to evening till the end of the Session. So, he is a very good man, a very good elderly man.... (*Interruptions*) Let us show some maturity and have some repartee in Parliament. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा लाइटली भी रहें।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The issue what I want to clarify to the Hon. House is that the announcement of extension of the Session was not made outside. It was reported by the media – Madam, media has got its own way of functioning, we have seen in the recent days also – that there is going to be uproar in Parliament; there is going to be bedlam in Parliament; there is going to be very serious protest in Parliament. Who told them this? That is their speculation. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down. Every now and then, this will not be allowed.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

... (*Interruptions*)... \*

---

\* Not recorded.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is the way you function; the party with 50 years' experience. ... (*Interruptions*) Leaking is your habit. What can I do?

On the other hand, this matter was mentioned on 6<sup>th</sup> May in the Business Advisory Committee by my colleague. Today is 8<sup>th</sup> May. But, some of the Members said, "Do not extend." Some Members said, "We have some problems also." But my point is, on 6<sup>th</sup> May, Members have been informed in a casual manner because nobody can inform the Members without the Cabinet Committee taking an official decision. The official decision was taken. The first person to be communicated about the decision was the hon. Speaker of the House.

Then, I wrote a letter as per the procedure and protocol. Subsequently, I started contacting Members of Parliament and the Leaders of different political parties. But as there was a serious business going on in the Rajya Sabha, I was there – if I am correct – up to 9 or 9.05 in the night. After I came out of Rajya Sabha, I started talking to different leaders. I could get some of them immediately; and I could not get some of them immediately. Some of the people whom we were not able to contact yesterday, were contacted this morning.

Then, we made a request to the hon. Speaker also to call a meeting of the Business Advisory Committee and then take everybody into confidence. The Business Advisory Committee was called in the morning; and then, the Government's intention was conveyed through the Speaker to the hon. Members. Some Members have different opinion.

Madam, the general thing is that the people say that the Government always want to curtail the Session. But it is surprising that the Government wants to extend the Session and some friends do not want to have the Session... (*Interruptions*)

Madam, if you permit, we can go through the proceedings of the Parliament from earlier times up till now. In so many years, there have been rulings by the Chair; there were announcements by the Ministers; and without even holding a BAC meetings earlier, many times, announcements were made. I am not

justifying it... (*Interruptions*) I have got the authenticated papers with me by the previous Minister of Parliamentary Affairs, which have been communicated also. If you want, I can give them to you... (*Interruptions*) But at the same time, I am of the view... (*Interruptions*)

Karunakaranji, please. Give others also the chance to speak. You say that we are bulldozing; and you do not even allow the Minister to speak!

HON. SPEAKER: Karunakaranji, please sit down. Let us hear him

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If you say that this is democracy, then I leave it to you... (*Interruptions*)

Madam, I have not cancelled anything. I have not taken any decision. If the hon. Speaker wants to allow 'Zero Hour', I have no problem; if the hon. Speaker wants to allow discussion on any important issue including discussion under Rule 193, which is already there, that item can be taken up. There are umpteen examples, where Question Hour was cancelled with a short notice because of paucity of time, where Members have to give notice, which had been admitted. So, all these things are known. They are all in parliamentary practice for years together, right from 1957 onwards. This has been happening. It is nothing new, which is happening.

So, I would request all the friends here that the public will be watching us. Let us do the work; and then rise to the expectation of the people. I would like to thank the Opposition for their support.

HON. SPEAKER: Thank you.

I have already said that the Lok Sabha Session is extended up to 13<sup>th</sup> May, 2015. I have already declared it.

---

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please maintain silence.

Let us take up other issues in Zero Hour, now.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Madam, the Secunderabad Cantonment is the most populated cantonment in the country's 62 cantonments. The area is spread over 40 square kilometres with about 10,000 acres of vacant land. In the entire area, around 27 per cent is the private land; and the rest is either Government land or Defence land. The areas around the Secunderabad Cantonment Board have been developed by the Cantonment Board. .

Madam, most of the lands given on lease, are not being used for their intended purposes. Approach roads to the city are not in good condition. Even sewerage facilities are inadequate to the present day needs. Limited water supply network and a large number of illegal connections are also posing big power supply problems in the entire cantonment area. The infrastructure development initiatives, which were earlier made by various agencies, have not been taken forward.

Madam, in view of this, I would request the Government to take up a comprehensive development in the Secunderabad Cantonment area in collaboration with the State Government at the earliest. Thank you.

**श्री जुगल किशोर (जम्मू) :** स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य में बीएसएनएल की सेवाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। राज्य में बीएसएनएल की सेवा बहुत ही खराब स्थिति में है। दूरदराज के क्षेत्रों में सिग्नल का न आना समझ में आता है लेकिन यही स्थिति शहरों की भी हो, यह समझ में नहीं आता। शहरों में भी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। राज्य में 2-जी, 3-जी की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां अभी तक 3-जी सेवा शुरू नहीं हो पाई है। क्या इसका कारण राज्य में टॉवरों की कम संख्या का होना है या इसकी कोई और वजह है? इस क्षेत्र में जो निजी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं। वहां बीएसएनएल की सेवा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बीएसएनएल की सेवाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। जम्मू-कश्मीर की जनता बीएसएनएल के नेटवर्क से बहुत परेशान है। इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता को राहत मिल सके।

**श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :** अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी से संबंधित अत्यंत पुरानी योजना ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना कई वर्षों से काफी धीमी गति से चल रही है। इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है वह विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गया है, उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उद्योग भी स्थापित नहीं हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां के युवाओं को रोजगार के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इस परियोजना के शीघ्र संपन्न होने से नए-नए उद्योगों का सृजन होगा वहीं दूसरी ओर युवाओं का पलायन भी रुकेगा। मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री, प्रभु जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र संपन्न कराया जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सिंगरौली से भोपाल और दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू की जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**12.42 hrs.**

### **SUBMISSION BY MEMBERS ... Contd.**

#### **(ii)Re: Statement of the Home Ministry about locating a wanted terrorist**

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :** अध्यक्ष महोदया, दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जिसने वर्ष 1993 के मुंबई ब्लास्ट में मास्टर माइंड का रोल अदा कर 300 निर्दोष लोगों की हत्या करा दी थी। विश्व में हम आतंकवादियों के बारे में जो डोजिअर देते हैं उसमें भी उस व्यक्ति का नाम है। इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन्स का स्पेशल नोटिस उसके विरुद्ध आज भी जारी है। तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को न केवल यह पता है कि वह पाकिस्तान में है बल्कि उसके आवास के बारे में भी पता है। इस सबके बावजूद बहुत आश्चर्यजनक रूप से गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी द्वारा संसद में एक प्रश्न के जवाब में लिखित वक्तव्य आया कि वह शख्स कहां है इसका कुछ पता नहीं है और उसके प्रत्यर्पण के बारे में तभी सोचा जाएगा जब हमें मालूम होगा कि वह कहां? ...(व्यवधान) इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार के मंत्री द्वारा अप्रत्याशित वक्तव्य दिया गया, उसके आधार पर आज पाकिस्तान हमें आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। ...(व्यवधान) पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने स्वयं कहा है कि इस्लामाबाद का कथन कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य से उसकी बात की पुष्टि होती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को जो डोजिअर हमने दिए हैं, उसे पाकिस्तान के उच्चायुक्त सेल्फ सर्विंग डोजिअर बता रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री स्वयं कह रहे हैं

कि दाऊद कहां रह रहा है उन्हें मालूम नहीं। इससे ज्यादा निंदाजनक बयान नहीं हो सकता, जिसके आधार पर आद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात पूरी हो गयी है। जीरो ऑवर में इतना ही काफी है।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं 27 अप्रैल, 2014 को कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ट्रीट किया है, उसी तरह से भारत दाऊद को पाकिस्तान से यहां लेकर आयेगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि अगर यह यू-टर्न नहीं है, तो क्या है? प्रधान मंत्री जी कुछ कहते हैं और भारत सरकार के मंत्री कुछ और कहते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सिंधिया जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत ने कभी भी इनके प्रत्यार्पण के लिए लिखित रूप में मांग नहीं रखी। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है? तीसरा प्रश्न यह है कि यह सरकार अपने मंत्रियों पर काबू कब पायेगी? जहां एक तरफ साध्वी निरंजन ज्योति जी साम्प्रदायिक सद्भाव को चूर-चूर करती हैं, वही दूसरी तरफ वी.के. सिंह जी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रश्न करते हैं। ... (व्यवधान) गिरिराज सिंह जी, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और हरि भाई चौधरी जी भारत की विश्वसनीयता पर... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात पूरी हो गयी है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do you want to reply?

... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** वीरेन्द्र जी, आपको आज क्या हो गया है? मंत्री जी अगर बोलना चाहते हैं, तो बोलें। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी इनका उत्तर क्यों दे रहे हैं? जीरो ऑवर में जो भी बोलेगा, मंत्री जी क्या उन सबका उत्तर देंगे? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not forcing him. If he wants, he can reply.

... (Interruptions)

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, जब कोई नवयुवक बोलता है, तो मैं जरूर उसका ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Minister says.

... (Interruptions)... \*

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, ज्योतिरादित्य जी ने जो संबंधित मुद्दा उठाया है, उस संबंध में मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रश्न 7 मई, 2013 को भी उठाया गया था। जो उत्तर इस समय, यानी 5 मई, 2015 को हमारे राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी ने दिया था, वे दोनों उत्तर एक हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें स्थिति और स्पष्ट कर देनी चाहिए। उस समय हम लोगों ने आलोचना नहीं की थी। हम लोगों ने उस उत्तर को समझा था, लेकिन विडंबना यह है कि वही उत्तर, जो 7 मई, 2013 को दिया गया था, वह 5 मई, 2015 को राज्य सभा में दिया गया, लेकिन उसके अर्थ को यह समझ नहीं पाये। इस संबंध में एक डिटेल्ड ...(व्यवधान) आप सुनिये। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वास्तव में जीरो ऑवर में उत्तर नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको दिलवा रही हूं। उसके बावजूद भी टोका-टाकी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह :** इस संबंध में, मैं आपकी इजाजत से सोमवार को एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

---

\* Not recorded.



ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak in 'Zero Hour'. Madurai-Kochi National Highway No.49 (new National Highway No.85) is passing through my constituency. There are two major cities in my constituency which require a bypass. The Government has proposed this bypass in 2006. The land for this purpose has already been earmarked and all survey proceedings have been completed.

Madam, estimated amount of Rs.2,900 crore and Rs.103 crore in respect of land acquisition for Muvattupuzha bypass and Kothamangalam bypass respectively is pending before the Ministry for approval. I urge upon the Government to include these two proposals – Muvattupuzha bypass and Kothamangalam bypass – in this year's annual plan and do the needful to construct the national highway through Kothamangalam and Muvattupuzha for the purpose of avoiding heavy traffic congestion there. Thank you, Madam.

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति लोक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देश के महानगरों में पर्यावरण के प्रदूषित होने से बच्चों के फेंफड़े खराब हो रहे हैं। देश के चार महानगरों में रहने वाले करीब 35 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े दूषित हवा से खराब हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व बेंगलुरु के 2373 स्कूली बच्चों पर हुए सर्वे से पता चला है कि इसमें दिल्ली के सर्वाधिक बच्चे शामिल हैं जिनकी संख्या 735 है। सर्वे में सामने आया है कि दिल्ली के 60 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े ही स्वस्थ हैं जबकि 40 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़े बहुत ही खराब हैं। हील फाउंडेशन ब्रीद ब्लू व क्लीन एयर इण्डिया मूवमेंट की ओर से सर्वे में 10 से 14 वर्ष में 2373 बच्चों को शामिल किया गया। इसमें दिल्ली के 735 बच्चे, मुंबई के 573, बेंगलुरु के 503 और कोलकाता के 562 बच्चे शामिल थे। मार्च-अप्रैल 2015 में हुए इस अध्ययन के बाद रिपोर्ट आई कि दिल्ली में 21 प्रतिशत बच्चों के फेंफड़ों की क्षमता बहुत खराब है। बेंगलुरु में 36 प्रतिशत, कोलकाता में 35 प्रतिशत और मुंबई में 27 प्रतिशत स्कूली बच्चों के फेंफड़ों पर असर पड़ रहा है। पीक फ्लो मीटर की मदद से सर्वे किया गया है और इससे पता चला है कि फेंफड़ा कितनी हवा नियंत्रित कर सकता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि फेंफड़ा कितनी तेजी से हवा को अंदर-बाहर स्थानान्तरित कर सकता है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं और इस लिहाज से यह जरूरी हो गया है कि

हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में गंभीरता से काम किया जाए और 'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत स्वच्छ हवा अभियान को जोर शोर से चलाया जाए।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन करने वाले स्कूली बच्चों के पहले जो स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाते थे, उनको फिर से प्रारंभ कराकर बच्चों के कल को सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा के उचित प्रबंधन कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम. पटेल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री पी.पी. चौधरी, को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर में की गई थी। 63वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों का काम बहुत बढ़ गया। जिला परिषद मैम्बर, पंचायत समिति मैम्बरों के नए ढंग से चुनाव शुरू हुए। अब देश के हर राज्य में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। नागौर में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सेंट्रल पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागौर में खोला जाए जिससे पंचायती राज को हमेशा के लिए याद रखा जा सके।

वास्तव में पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत समय से मांग हो रही है। भारत में कई जगह इंस्टीट्यूट होंगे। राजस्थान राज्य में पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम यहां सेंट्रल पंचायती राज इंस्टीट्यूट और पंचायती राज रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बनना ही चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पी.पी. चौधरी को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि कल एक चैनल ने दो घंटे का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। हम कॉलिंग अटेंशन में इस विषय को उठाते रहे हैं और यह देश के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर्स इंसान को बचाने के लिए भगवान का रूप होते हैं। जब डॉक्टर्स के पास कोई इलाज कराने जाता है तो अपना तन, मन, धन सब कुछ दे देता

है और उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या इलाज हो रहा है। अब आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। चाहे लैब हो, डाइग्नोस्टिक सेंटर हो या प्राइवेट अस्पताल हो, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल लोगों को मनमाने ढंग से लूटने रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में, एम्स जैसे संस्थान में इतनी भीड़ है कि कम से कम एक दिन में 50,000 मरीज आते हैं। मेरा मकसद किसी एक की शिकायत करना नहीं है। पिछले साल भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। अगर इलाज में 50,000 रुपए लगने होते हैं तो 16,000 रुपए लिए जाते हैं, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है। 50 परसेंट का मार्जन दलाली का होता है, डॉक्टर्स के कमीशन का होता है। आईसीयू में मरे हुए मरीज को रखकर इलाज के लिए पैसे लिए जाते हैं, पैसे ँंठे जाते हैं। सर्वे से पता चलता है कि गरीब आदमी की 70 प्रतिशत आमदनी इलाज में जाती है।

आखिर सरकार इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, डॉक्टर्स और लैब मनमानी कर रहे हैं, बिहार में तो अधिकतर लैब्स में नर्सिंग एक्ट ही लागू नहीं है। जिस तरह से फर्जी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, पिछले साल जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कल मैं भी उस चैनल में थी, डॉ. अग्रवाल भी उस चैनल में थे, उन्होंने कहा कि एमसीआई इसकी जांच कर रही थी, फिर हैल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले को ले लिया और हैल्थ मिनिस्ट्री ने इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया है, एक साल बीत गया है। डॉ. हर्षवर्धन जी का आ रहा था कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कार्रवाई नहीं होने के कारण ही आज लैब वाले हों या डाइग्नोस्टिक सेंटर वाले हों, चाहे एमआरआई करने वाले हों, चाहे इलाज करने में मनमानी करने वाले हों, उन्होंने यह तय कर लिया है कि हम जो भी करना चाहते हैं, हम करेंगे। यह देश के मरीजों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि दूसरे देशों में अगर आप देखें तो हैल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अपने देश के लोगों की हैल्थ के साथ सौदा नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे देश के अस्पताल और खासकर प्राइवेट अस्पताल किस ओर जा रहे हैं कि एयरपोर्ट में भी उनके दलाल और जो कमीशनखोर वहां पर होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मनमानी को, इलाज करने वाले ऐसे फर्जी डॉक्टर्स को मनमाने तरीके से इलाज करने से हम कैसे रोकेंगे? इस पर आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि यह हमारे देश के लोगों के और उन 70 प्रतिशत गरीबों के संबंध में हैं जिनकी खाल तक को इलाज के नाम पर लूट लिया जाता है। सरकार इस दिशा में जरूर कुछ ठोस कार्रवाई करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री निशिकांत दुबे को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :** माननीय अध्यक्ष जी, आजादी से पहले जो जोधपुर राज्य की सेनाएं थीं, उन सेनाओं ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बहुत सराहनीय काम किया था। उस समय के कई सारे मोन्यूमेंट्स जोधपुर में बने हुए हैं। आजादी के पहले के जोधपुर शहर के बाहर उस समय जो बाड़ हुआ करती थी, अब जोधपुर शहर के बीच में एक फायरिंग रेंज आई हुई है। उस फायरिंग रेंज के बीच में से आजादी से पहले से एक रास्ता था। जिस रास्ते से गांव के लोग अपने खेतों की तरफ जाते थे और वह रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड में भी रास्ते के रूप में दर्ज है। वर्तमान में अभी पिछले कुछ दिनों में सेना के अधिकारियों ने उस रास्ते के ऊपर दस फीट ऊंची मिट्टी की दीवार बना दी है। यह फायरिंग रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन उसके कारण से रेवेन्यू रास्ता बंद हो गया है। रास्ते के साथ साथ जो पीने के पानी की पाइप लाइन डाली हुई थी, वह पाइप लाइन भी उन्होंने तोड़ दी है, सीवर लाइन भी उन्होंने तोड़ दी है और साथ ही साथ जो नैचुरल पानी के बहने का रास्ता था, यानी बरसात के पानी के बहने का जो रास्ता था, उस रास्ते को भी सेना के लोगों ने बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है, इस समस्या का तुरंत समाधान कराया जाए ताकि जो सैकड़ों और हजारों लोग एवं किसान उस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके घर डूबने का खतरा इस कारण से खड़ा हो गया है, उनको इस समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री देवजी एम. पटेल और श्री विनोद खन्ना को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरबा संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने कोयले के क्षेत्र में उसके नियमों में जो परिवर्तन किया है जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा धनराशि 47000 करोड़ रुपये के करीब आबंटित की गई है। कोयला क्षेत्र के उत्पादन के साथ साथ वहां की जनता की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दस साल पहले उनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। शादी ब्याह जमीन बेचने के नाम पर रुका हुआ है। जिस जमीन का रेट 75000-76000 रुपये प्रति एकड़ था, आज उसका रेट कम से कम चार लाख है, पांच लाख है और अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। नये भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। हर परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और जो खदानें खुली पड़ी हुई हैं, उनका समतलीकरण होना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए तथा

यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मेरे क्षेत्र में वर्ष 1927 से कोयले की खदानें स्थापित हैं। सबसे ज्यादा कोयला खदानें उसी क्षेत्र में हैं, फिर भी वहां प्रगति रूकी हुई है।

**13.00 hrs**

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, day before yesterday, a horrendous incident had taken place at Braminbar Village, Pingla Police Station, West Midnapore District in West Bengal. A huge explosion occurred there in which scores of people lost their lives. The impact of that explosion was so huge that bodies were blown to pieces and some body parts have been found hanging from the tree tops. The local administration, it is reported, has been whisking away other dead bodies in order to hush up the horrific episode in that place. The local administration is also trying hard to dilute the matter.

I would request the Government that they should send a team of the National Investigation Agency because this case bears resemblance to the Khagragarh incident, which had been linked with the fundamentalist forces across the country.

HON. SPEAKER: Shri Abhijit Mukherjee and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): I wish to draw the attention of the House to a very important problem being faced by one of the thermal power plants at Vallur in North Chennai, which is under operation and producing 1,500 MW of power.

Madam Speaker, NTPC Tamil Nadu Energy Company Limited (NTECL) is a joint venture company of Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited and NTPC, which is a Central Public Sector Undertaking. NTECL Power Plant at Vallur in North Chennai has three units, each producing 500 MW of electricity. All the three units had started commercial operations. Tamil Nadu has been allocated about 1,045 MW out of 1,500 MW from this Power Plant. Unfortunately, due to shortage of coal supply to this power plant, which is due to non-availability of railway rakes, one of the three units of Vallur Power Plant is

always shut down. Though the plant is capable of producing 1,500 MW, the generation is restricted due to short supply of coal from Mahanadi Coalfields, Talcher, Odisha. This is attributed to the limited or non-availability of empty railway rakes to carry coal from the Talcher Coal Mines. Augmentation of coal supply to NTECL, Vallur Thermal Power Plant would greatly help the State of Tamil Nadu to meet the power demand of the State during the peak summer season.

Therefore, I would request the hon. Minister of Railways to personally intervene in the matter and instruct the officials concerned so that adequate supply of railway rakes is arranged and made available for carrying coal from Talcher to Vallur Plant in North Chennai, which will ensure production of maximum power to meet the energy demand of our State.

**श्री भरत सिंह (बलिया) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है।

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी सीट कहाँ है? आपको यहाँ से बोलने के लिए अनुमति लेनी चाहिए।

**श्री भरत सिंह:** अध्यक्ष महोदया, मेरी सीट पीछे है। आप कृपया मुझे यहाँ से बोलने की अनुमति प्रदान करें।

महोदया, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बेमौसम बारिश से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। लगातार तीन महीनों से बेमौसम बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से बलिया लोकसभा क्षेत्र विशेषकर बलिया, गाजीपुर, सलेमपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की साठ परसेंट खेती ही नहीं बल्कि 70, 80, 90 परसेंट तक फसल बर्बाद हुई है।

अध्यक्ष जी, बहुत भाग्य से हमें शून्यकाल में बोलने का मौका मिलता है इसलिए मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका दीजिए। हमारे यहाँ प्याज की बहुत खेती होती है। सीरिया, रऊआं, पिनावी, पुरार, निरुपद, बलौरी, मझौऊँआ आदि गांवों के किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। उनकी तिलहन, मसर, चने आदि फसलें बर्बाद हुई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दैवीय आपदा का मानक बदल दिया है और पचास परसेंट की जगह अगर 33 परसेंट नुकसान भी अगर होता है तो भी दैवीय आपदा में काउंट करने की बात कही है। इसके बावजूद भारत सरकार अन्य तरीकों से भी भरपूर सहायता दे रही है। भारत सरकार द्वारा खुले दिल से राहत देने की घोषणा के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से सौ रुपया, दो सौ

रुपया, पांच सौ रुपया का चेक दे रही है। बलिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैरिया तहसील में, मोहम्मदाबाद तहसील में किसानों के बहुत नुकसान के बावजूद चेक वितरित नहीं किए गए।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने इस बारे में उचित कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस विषय की जांच कराई जाए और माननीय गृह मंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इस बारे में स्वयं आश्वासन दें।

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूँ।

**SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA):** Madam, I request the Government to kindly evacuate the Non-Resident Indians stranded at Najran in the Kingdom of Saudi Arabia. Due to its geographic proximity to Yemen, Najran has become the target of the attack of Houthi rebels. Mortar shells and missiles fired by Houthi rebels across the Yemeni border have hit hospitals, schools and many buildings in Najran. As per reports, as many as 600 people residing in Najran have lost their lives, and about three lakh people have fled from the area. This is the present condition in Najran.

It is learnt that a lot of Indian nationals are still stranded in Najran. I have received e-mails from some of the nurses who are working at the Najran Armed Forces Hospital. I am informed that the hospital building has been destroyed and some of the staff members were killed in the shell attacks. The Hospital authorities are not providing any security to these nurses. This is not only the case of our nationals working at the Najran Armed Forces Hospital. In the similar manner, our nationals are stranded in various areas of Najran, and they are not in a position to communicate with each other.

The highest number of NRIs is from my Constituency. Most of them are from my Parliamentary Constituency. I seek your help to request the Government to urgently intervene in the matter to evacuate our nationals from Najran. It is an urgent matter. I would seek your help.

**माननीय अध्यक्ष :** एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री एम.के. राघवन, श्री एम.बी. राजेश और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वे अपना नाम देना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सभी लोगों को क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सदन में माननीय श्री भरत सिंह और उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद आजकल किसानों की समस्या के संबंध में काफी प्रश्न और चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, जो योग्य बात है।

### **13.09 hrs**

*At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

आपने जो चिन्ता व्यक्त की, उसी प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश के, विशेष तौर से अमेठी किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ। जो फूड पार्क है, ...(व्यवधान) देश में...(व्यवधान) अमेठी के जो मतदाता हैं, जो किसान हैं, भरत सिंह जी ने अपने यहां के किसानों के बारे में उचित चिन्ता व्यक्त की, लेकिन अमेठी के सांसद पन्द्रह साल जिस फूड पार्क की बात करते रहे और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, कल राहुल गांधी जी ने यहां पर सवाल उठाया...(व्यवधान) सात बार राहुल गांधी जी की सरकार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती गयी।...(व्यवधान) वास्तव में, मेरे पास सब डाक्यूमेंट्स हैं, राहुल गांधी जी ने सदन को मिसलीड किया है। ...(व्यवधान) मैंने प्रिविलेज मोशन भी दिया है।...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि अमेठी के फूड पार्क के बारे में जो सांसद महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान) उनकी सरकार ने फरवरी, 2014 में इस फूड पार्क को 31 मार्च, 2014 की मुदत दी, 31 मार्च, 2014 तक कुछ कर नहीं पाए और अब गलत जानकारी दे रहे हैं।...(व्यवधान) वह जो कंपनी है, ...(व्यवधान) मेरे पास जानकारी है...(व्यवधान) शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार से कहा कि हमें सस्ते दाम में गैस दीजिए। ...(व्यवधान) 13 जून, 2013 को उस सरकार ने इन्कार कर दिया, उस समय अमेठी के सांसद महोदय क्या कर रहे थे?...(व्यवधान) तब अमेठी के सांसद ने आवाज क्यों नहीं उठाई।...(व्यवधान) वह तो यूपीए के नेता थे। ...(व्यवधान) अगर किसान के लिए काम करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन



किसान के नाम पर राजनीति करना बन्द कीजिए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में सब जानकारी दे, स्पष्टीकरण करे और इनकी राजनीति की दुकान बन्द करे। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी.चौधरी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुनील कुमार सिंह, कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) :** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं इसके बारे में मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगी।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बाद में मन्डे तक स्टेटमेंट दे सकती हैं।

### **13.12 hrs**

*At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members went back to their seats.*

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करती हूँ। मैं आज क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूँ, मन्डे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप मन्डे को भी स्टेटमेंट दे सकती हैं।

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** अध्यक्ष जी, मेरी कल भी तैयारी थी, आज भी तैयारी है, मैं अभी भी क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ, मन्डे तक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ... (व्यवधान) मन्डे को दुबारा कर लेंगे।... (व्यवधान)

मैडम, अपोजिशन के लोग बौखलाए हुए हैं, ... (व्यवधान) मुझे इस बात का बहुत दुख है कि राजनीति की जा रही है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुझे समझने तो दीजिए कि वह क्या कहना चाहती हैं।

**SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL:** I have got the right to speak on an issue which has been raised about my Ministry. ... (*Interruptions*)

### **13.13 hrs**

*At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

Madam, the leader has tried to mislead the nation and mislead the people of his Constituency. I would like to set the record straight because the Congress Party which has no issues is now practising the politics of deception and this deception

needs to be cleared for the people of the nation to know that Mr. Rahul Gandhi does not do his homework and then speaks untruth to the people of the nation. ... (Interruptions) Please allow me to lay the facts on the Table. Let them refute the facts if I am wrong. ... (Interruptions) Madam, I appeal to you, let me lay the facts on the Table. If I am wrong, they have a right to protest. How can they protest when their own leader is wrong and they are not allowing me to lay the facts on the Table? So, I appeal to you to let me lay the facts on the Table. ... (Interruptions) जो लीडर विदेशों से फाइव स्टार छुट्टी मनाकर फर्स्ट क्लास में जहाज से वापस आए हैं, वह संसद सदस्य किसानों के आलू की बात करते हैं, उनकी सच्चाई आनी चाहिए।... (व्यवधान) जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री और नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।... (व्यवधान) विपक्ष की पार्टियों के लीडर्स के ऊपर भी बराबर की जिम्मेदारी होती है कि गलत बात न बोलें।... (व्यवधान) सबसे पहली बात, वह कहते हैं कि अमेठी में एक फूड पार्क लग रहा था और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। ये उनके शब्द हैं।... (व्यवधान) वह फूड पार्क कहाँ लग रहा था और कैसे आगे बढ़ रहा था, उसके बारे में फैक्ट्स में आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूपीएसआईडीसी से 800 एकड़ जमीन इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी को एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए दी गयी। उस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए दी गई 800 एकड़ जमीन में से, इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर कंपनी के ओनर आदित्य बिरला ग्रुप ने वहाँ एक मेगा फूड पार्क लगाने के लिए एप्लाइ किया। वर्ष 2010 में उनको मेगा फूड पार्क लगाने की परमीशन दी गयी।... (व्यवधान) मैडम, 2010 से 2014 तक इस कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।... (व्यवधान) राहुल गांधी की सरकार थी, लेकिन जो फूड पार्क दो साल में लगना चाहिए था, वह चार साल तक नहीं लग सका।... (व्यवधान) सन् 2012 में इनकी सरकार ने, इनके मंत्री ने उसी कम्पनी को शोकॉज़ नोटिस दिया कि दो साल में आपने गड़्ढा भी नहीं खोदा, एक भी ईंट नहीं लगाई, क्यों न इसे कैंसिल किया जाए।... (व्यवधान) मैडम, 31-3-2013 में उस कम्पनी के लोगों ने आकर मंत्रालय में बताया कि हमें जमीन UPSIDC ने सब-लीज के लिए नहीं दी थी कि हम फूड पार्क लगाते, हमें तो फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए मिली थी। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लिखा है कि हमें गैस सस्ते रेट पर दी जाए पावर प्लांट के लिए, वह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम यह लगा नहीं सकते ... (व्यवधान) सन् 31-3-2013 को प्रमोटर्स बैकआउट कर गए, लेकिन राहुल गांधी जी... (व्यवधान)...

---

\* Not recorded as ordered by the Chair.

HON. SPEAKER: That will not go on record.

... (Interruptions)... \*

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** मैडम, ये जो हाउस को मिसलीड कर रहे हैं,...(व्यवधान) 18-6-2013 को पेट्रोलियम मिनिस्टरी ने...(व्यवधान) एक चिट्ठी लिखी कि हम सस्ते रेट पर गैस नहीं देंगे और 07-10-2013 को, इलेक्शन से चंद महीने पहले राहुल गांधी जी ने जाकर फाउंडेशन स्टोन रख दिया। यह जानते हुए कि जमीन नहीं है, पावर प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को मिसलीड करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि पांच साल में इन्होंने यह मुद्दा कितनी बार उठाया और आज राजनीति की बात करते हैं, पोलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन तो ये खेल रहे हैं...(व्यवधान) यह देखिए, मैडम हमारे मंत्रालय ने 11-7-2014 यानि करीब दस महीने पहले उस कम्पनी को कैंसिलेशन के बारे में इंफार्म कर दिया था। क्या दस महीने तक ये सो रहे थे...(व्यवधान) आज आवाज़ उठा रहे हैं, बदले और बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव तो हम लाना चाहते हैं, बदला ये लेना चाहते हैं, काम किया नहीं, जो चीज दो साल में शुरू हो जानी चाहिए, वह चार साल में शुरू नहीं हो सकी...(व्यवधान) मैं सोमवार को इस पर लिखित स्टेटमेंट सदन में दूंगी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

**13.17 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes  
past Fourteen of the Clock.*

---

\* Not recorded.

**14.22 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Twenty-Two Minutes past Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Sir, we have given a notice....

(*Interruptions*) Sir, I am on a point of order.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

**14.23 hrs****MATTERS UNDER RULE 377 \***

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

**(i) Need to rehabilitate all the residents living in and around BCCL Colliery area in Dhanbad district, Jharkhand as per the approved plan for the purpose**

**श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) :** झारखण्ड राज्य के धनबाद जिला में बी.सी.सी.एल. के कोलयरी क्षेत्र में करीब एक लाख परिवार निवास करते हैं जिसमें 50 हजार मकान बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों के हैं । झरिया कोलफिल्ड में कोलयरियों में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है जिसकी वजह से एक लाख परिवारों को विस्थापन करना है । बी.सी.सी.एल. अपने कर्मचारियों को अपने ढंग से विस्थापित कर रही है लेकिन गैर बी.सी.सी.एल. परिवारों को एक्शन प्लान के अनुसार सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है । इधर बड़े पैमाने पर ओपन कॉस्ट के द्वारा कोयला का उत्पादन भी तेजी से प्रारंभ किया गया है जिससे झुग्गी-झोपड़ी को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गैर बी.सी.सी.एल. के लोगों को विश्वास में लेकर ही विस्थापित किया जाए जिससे जनमानस में आक्रोश उत्पन्न न हो ।

---

\* Treated as laid on the Table.

**(ii) Need to handover the ownership and management of Mahabodhi Mahavihar in Bodhgaya, Bihar to Buddhists**

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश में बोध गया के महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन भारतीय बौद्धों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है । महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन का कार्य बोधगया मंदिर प्रबंधन बिहार सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1949 के आधार पर किया जा रहा है । इस अधिनियम के अनुसार नियुक्ति समिति में महाबोधि प्रबंधन हेतु 3-3 वर्षों के लिए 4 हिंदू एवं 4 बौद्ध सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिसका अध्यक्ष गया का जिलाधिकारी नियुक्त होता है और सचिव हिंदू सदस्यों में से ही नियुक्त होता है । इस अधिनियम से 60 वर्षों से बौद्धों के मौलिक अधिकार का हनन होकर भारतीय संविधान की समतामूलक भावना आहत हो रही है । भारतीय संविधान की धारा 25 और 26 के आधार पर बौद्धगया के महाबोधि महाविहार (बोध गया मंदिर) का पूर्ण प्रबंधन संचालन एवं स्वामित्व बौद्धों को प्रत्यार्पित करने के लिए केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार का बोध गया मन्दिर प्रबंधन 1949 अधिनियम को रद्द करके महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की आवश्यकता है । इस लंबित मांग के संबंध में अखिल भारतीय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति कई वर्षों से देश में आंदोलन कर रही है और अभी अप्रैल 2015 में जंतर-मंतर पर विशाल धरना आयोजित करके आंदोलन किया है । इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा आंदोलन समिति की माँग को मंजूर करके इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

**(iii) Need to set up a Sub-Regional Office of Employees' Provident Fund Organization in Jhunjhunu, Rajasthan**

SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT (JHUNJHUNU): In my Parliamentary Constituency Jhunjhunu, there are a number of Government employees. So, there is a need to open a Sub-Regional Office of the Employees' Provident Fund Organisation at Jhunjhunu in Rajasthan.

**(iv) Need to set up a Super Speciality Hospital in South Delhi Parliamentary Constituency**

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** मैं सरकार का ध्यान दिल्ली राज्य में अस्पतालों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पाँच सितारा अस्पतालों की कमी नहीं है। लेकिन दिल्ली में 75 प्रतिशत गरीब लोग गाँवों में अनियमित कालोनी व झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं जो उन पाँच सितारा अस्पतालों में इलाज कराने की सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधा इतनी महँगी है कि गरीब का आशियाना भी बिक जाए तब भी वे उनका बिल नहीं चुका सकते। अगर कोई गरीब भर्ती हो भी जाए तो जीवन भर उस कर्ज को नहीं चुका सकता जो कर्जा लेकर बिल भरते हैं।

माननीय वित्त मंत्री साहब ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में करेंगे व 50 करोड़ रुपये मद के पहले चरण में बजट में व्यवस्था की थी लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार राज्य सरकार एनसीआर के रूप में संज्ञान ले तथा उक्त अस्पताल के कार्य को प्रारंभ करायें जिससे दक्षिणी दिल्ली देहात व कालोनियों के लोग अपना इलाज करा सकें व स्वास्थ्य लाभ ले सकें क्योंकि दक्षिणी दिल्ली लोक सभा में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है तथा क्षेत्र की आबादी लगभग 36 लाख है व गाँवों से तथा क्षेत्र से लगभग 15 से 20 किलोमीटर गरीब लोगों को सफदरजंग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ भागना पड़ता है तथा सड़कों पर जाम से जूझना पड़ता है। कुछ भयंकर बीमारी जैसे हृदय गति या सड़क दुर्घटना के मामले में तो मरीज की अस्पताल पहुंचने के समय तक मौत हो जाती है। कृपया उन गरीब परिवारों की समस्या को देखते हुए सरकार इस ओर ध्यान दे।

**(v) Need to establish a Defence University in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana**

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** मेरा संसदीय क्षेत्र अंबाला (हरियाणा) सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधान सभा क्षेत्र अंबाला छावनी पूरे का पूरा सेना बेस है। यहाँ पर सेना में विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा और रक्षा के लिए 70 प्रतिशत से अधिक हथियार व अन्य सामग्री विदेशों से मँगवाते हैं। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री ने विश्व के सशस्त्र निर्माताओं से भी अनुरोध किया है कि वे भारत में आयें और यहाँ पर हथियार बनाने के कारखाने स्थापित करें। उन्होंने हमारे रक्षा उद्योग में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति भी दे दी है जिसके परिणाम निकट भविष्य में आयेंगे परंतु अगस्त, 2014 के पश्चात जो स्थिति है वो कोई अति उत्साहजनक नहीं है। मात्र 96.1 करोड़ एफडीआई ही आ पायी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को सैनिक प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र अंबाला में डिफेंस यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि हमें अपने देश की रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी टेक्नॉलाजी पर निर्भर न रहना पड़े।



**(vi) Need to expedite completion of irrigation projects in Santhal Pargana region of Jharkhand**

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I would like to draw the attention of the Government towards the early completion of the following long pending irrigation projects in Santhal Pargana region of Jharkhand. I am keenly following this matter in the concerned ministry and department of Government of India and requires speedy action from Jharkhand government for completion of the long pending irrigation projects.

Bateshwarsthan Pump Canal Yojana in Godda : This 370 crore project was is 90% funded by Government of India and 10% fund is shared jointly by Bihar and Jharkhand.

Punasi Dam Pariyojana at Deoghar: This project was started with a budgeted cost of 26 crores only in 1982, but due to long pending work on this front, now the estimated budget is Rs.1000 crores.

We demand:

- Evaluation of quality and quantity of available water in the river Ganga and the basins of the region.
- Evaluation of water demand for domestic, irrigation and industrial purposes,  
along with
  - Bhurbhuri Reservoir, Deoghar
  - Kalipur Reservoir, Deoghar
  - Bishunpur Reservoir, Deoghar
  - Sarkunda Reservoir, Deoghar
  - Sugga Bathar Reservoir, Godda
  - Burahi Reservoir, Deoghar

**(vii) Need to take necessary measures to provide water, toilet and electric facilities in all the girls schools particularly in Shahjahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

**श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):** माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' को भारत की केन्द्र सरकार तथा सभी राज्यों ने भी अपना लिया है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्धजन भी इस अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं।

स्वच्छता अभियान के दूसरे पक्ष की ओर भी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अनेक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था तो है परंतु सफाई के लिए जलापूर्ति पर्याप्त नहीं है अर्थात् शौचालय की सफाई के लिए जल प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान जो देश में वर्षों से चल रहा है, के लिए केन्द्र व राज्यों का धन प्रबंधन अनुपात 65:35 होते हुए भी आज असफल सा प्रतीत होता है, जिसे दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान में आज भी शिक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, फलस्वरूप गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ स्वैच्छिक संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान "सबका साथ सबका विकास" को आदर्श मानकर भागीदारी व्यवस्था स्वीकार कर कम खर्च में बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से एन.सी.आर. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्थापनार्थ प्रयासरत है। एन.सी.आर. क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभागों का दायित्व है किंतु विभागीय मापदण्डों के अनुसार विद्यालयों में शौचालय निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जलापूर्ति की अनुमति नहीं है। फलस्वरूप कुछ बालिका विद्यालयों की स्थापना वर्षों से लंबित है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ कि:

1. बालिकाओं के लिए प्रस्तावित सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बुनियादी आवश्यकताएं, जलापूर्ति एवं विद्युत कनेक्शन आपूर्ति में वरीयता दी जाए।
2. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित बालिका शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए; तथा
3. देश के सभी एन.सी.आर. राज्यों में शिक्षण संस्थान स्थापनार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं नलकूप निर्माण हेतु लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए तथा शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही जलापूर्ति की माँग को नलकूप निर्माण, हैण्ड पम्प आदि लगवाकर शीघ्र पूरा किया जाए।

**(viii) Need to provide adequate medical facilities to the teachers/staff members of Navyug Schools**

DR. RAMESH POKHRIYAL NISHANK (HARIDWAR): I would like to draw the attention of the Government towards a very sensitive matter regarding non-availability of medical facility and medical allowance for Navyug School Education Society (NSES). In respect of staff of Navyug School (run by NSES), I wish to bring to your kind notice the following facts:-

- (1) Till December 2005, Medical Allowance of Rs. 75/- was given;
- (2) In the year 2006, option was asked — whether Medical Allowance or Medical Facility to be availed by teachers/staff members;
- (3) The teachers and staff members opted Medical Facility. Since then they have not all been receiving Medical Allowance;
- (4) While Medical Facility in other schools of NDMC is already available, *the staff of Navyug Schools* has been neglected;
- (5) Total number of affected employees is more than 600. Since the staff is ageing, they are vulnerable to health problems. For working in any organization good health is essential but the critical area of ensuring good health has not been addressed.
- (6) Employees are not issued any medical cards, so the initial amount paid for treatment is not according to CGHS rates;
- (7) Presently the status is that the amount incurred as part of medical expenses is subsequently claimed by the employees, the amount is reimbursed as per CGHS rules, though the actual medical expenses are many times higher than CGHS rates.

I, therefore, urge upon the Minister concerned to look into the matter and resolve it at the earliest.

**(ix) Need to allocate funds to Tamil Nadu for providing assistance to fishermen during the period of ban on fishing activities**

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): In order to facilitate the breeding of fish and to conserve fish stock in the marine ecology, every year the Government of Tamil Nadu imposes 45 day annual ban on fishing by mechanized boats. Fishermen are instructed not to venture out into the sea to avoid disturbances caused by fishing boats during the breeding season. From April 15 to May 29 the ban comes into effect. In order to compensate the loss of livelihood to the fishermen a monthly assistance of Rs. 2000 and 4000 is provided to each of the 16,433 fishermen family and 17,193 beneficiaries. In a systematic manner application for assistance is obtained from the fishermen who need the relief amount. This is directly deposited into the bank account of the fishermen through National Electronic Fund Transfer. 30,265 members enrolled in 25 co-operative societies are receiving the benefits. Since there is no source of income during the ban period, considering the cost of living the centre may come forward to uniformly increase the compensation amount to Rs. 5000 per mensem. Centre may allocate funds through special assistance package as the livelihood of these fishermen are also affected by Sri Lankan Navy every now and then. I also request that this money is paid in the month of May to benefit all the fishermen families.

**(x) Need to provide environmental clearance for establishment of car depots at Charkop and Mankhurd under Mumbai Metro Line 2 on Charkop-Bandra-Mankhurd route**

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): There is delay in environmental clearance for establishment of car depots at Charkop and Mankhurd under Mumbai Metro Line 2 from Charkop-Bandra-Mankhurd.

It is a matter of urgent importance that long back Mumbai Metropolitan Region Development Authority had requested to establish car depots at Charkop and Mankhurd for the Charkop-Bandra-Mankhurd Corridor under Mumbai Metro Rail project. The corridor consisting of 27 stations is the second corridor providing West to East connectivity in Mumbai covering a length of more than 37 kms. The Maharashtra Coastal Zone Management Authority has already forwarded the proposal for the establishment of car depots at Charkop and Mankhurd to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. The Ministry has granted CRZ clearance partially, which is of no use and hampering the establishment of Car depots there.

I request the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change to grant CRZ clearance in full as demanded and allow maintenance facility in CRZ I and CRZ III both at Charkop and Mankhurd as it is a public project.

**(xi) Need to expedite the execution of Information Technology  
Investment Region Project in Telangana**

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): The Union Government has given in-principle approval on 8<sup>th</sup> September, 2012 for the Information Technology Investment Region (ITIR) Project for development of self-contained integrated knowledge clusters for growth of IT and electronic hardware manufacturing in 50,000 acres in and around Hyderabad. The Project is aimed at attracting an investment in the IT, ITES and Electronics sectors and providing direct employment to 1.5 million people which is very essential for newly formed Telangana State.

Under the mega project, Special Economic Zones (SEZs), industrial parks, free trade zones, warehousing zones and export-oriented units would come up in three corridors around the city which includes the areas of Madhapur, Gachilbowli, Uppal Kalan, Mamidipalli, Raviryal, Adibatla and Maheswaram and Pocharam. The Government proposed to develop the infrastructure of ITIR at an estimated cost of over Rs. 2.19 lakh crore. Though the Project was announced with such a big object, it is lacking in execution.

In view of the above, I sincerely request the Central Government to expedite the execution of the above ITIR Project at Hyderabad at the earliest.

**(xii) Need to take necessary measures to give impetus to flagging industrial sector in Kandi and border areas of Punjab**

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Major reason for declining industrialization in Punjab is geographical disadvantage. The state has only those industries that rely on raw materials imported from other states. There is stiff competition from industries in other states having abundant natural resources or which are located close to ports.

Division of the country, the era of terrorism, Post independence Indo-Pak wars and Tax breaks given by New Delhi to industrial units in the nearby hill states of Himachal Pradesh and Uttarakhand have resulted in flight of industry from Punjab into the hill states.

Trade between India and Pakistan has been blocked or banned since the war of 1965 and existing trade is limited to relatively few items. This has deprived Punjab of the usual gains of international trade.

The only way to revive this industry is to introduce freight equalization. I pray for tax incentives, subsidies and benefits in Kandi areas and border areas of Punjab on the pattern provided in the neighbouring hill states.

---

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.31.

... (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): No, Sir. We have given a notice.... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I would like to bring to your kind notice, I need not say that you are an experienced and one of the senior-most Members of this House. You also have a long record of being the Deputy Speaker of this House.

In the morning session, on the issue of food processing, which was raised by Rahul Gandhi ji yesterday... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is raising a point of order.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Please refer to Rule 352. On that issue another Member of this House not only raised certain objections but also used defamatory, insulting and unparliamentary words to another Member. Though you are well aware, I will just read and bring to your kind notice, Rule 352 says:

“A Member while speaking shall not-  
(I) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending; (This is not applicable)  
(ii) make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other Member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto;”

So, he raised it in Zero Hour. It is not only that. He made allegations unnecessarily and used defamatory words. This is unparliamentary and unheard in the history of House proceedings. Who is he? He is not a Minister. A Minister can at least make a *suo motu* statement regarding food processing units. Already hon. Home Minister replied that if there is any such thing, he will get it verified. When he had promised, he kept quiet and we kept quiet. But a Member who has nothing to do with this issue unnecessarily spoke.



So, I request you to expunge all unparliamentary words. Apart from that, there was no need for the hon. Minister for Food Processing to intervene. She also provoked; she made allegations like....\*. When I say .....\* Shri Nishikant Dubey and others used to say that this is unparliamentary. Words like ....\*.and other words were used.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I have a point of order to raise here.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will give my ruling and then you can raise your point of order. He is speaking on his point of order now.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Such words should not be used and this House has often reminded me not to use such words. They are using such words. They are instigating people and they are disturbing the smooth proceedings of the House.

Therefore, I request you Sir to expunge all unparliamentary words, things which are not necessary and irrelevant statements. These things should be taken off from the proceedings.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge, you have raised your point of order. A Point of Order may be raised in relation to the business before the House at the moment. This is what the rule says.

As you yourself know, it had happened in the morning before the House adjourned. At that time, hon. Speaker was presiding over the House. She is aware of all that had happened.

I will bring whatever is happening to the notice of the hon. Speaker so that she may go through it. What else can I do?

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will bring the matter to the notice of the hon. Speaker.

... (*Interruptions*)

---

\* Not recorded.

**14.24 hrs**

*At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

HON. DEPUTY SPEAKER: At that time, hon. Speaker was presiding over the House. I will bring this matter to the notice of the Speaker. I will pass on the message as to what is happening now to the hon. Speaker.

... (Interruptions)

---

**14.25 hrs**

**APPROPRIATION ACTS (REPEAL) BILL, 2015**

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to move:

“That the Bill to repeal Appropriation Acts (including Appropriation (Railways) Acts, be taken into consideration.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to repeal Appropriation Acts (including Appropriation (Railways) Acts, be taken into consideration.”

... (Interruptions)

**14.26 hrs**

*At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members went back to their seats.*

---

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): As far as removal of unparliamentary words is concerned, we have no objection.. But it cannot be removed in toto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already I informed the hon. Members that I would bring this matter to the notice of the hon. Speaker because she was presiding over the House at that time Whatever concerns you have expressed about the unparliamentary or provocative expressions, I will bring to the notice of the hon. Speaker to go through the records. Then, she will take the decision.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): My only request is that such things should not be allowed. It will become a practice. There should not be hit and run thing. मार दो और भाग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already I told you that I am going to bring this matter to the notice of the hon. Speaker. She was presiding over at that time.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You are presiding over the House. You can give the ruling. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. You have raised the matter. As you said, that happened before 1.30 p.m. Please listen to me.

... (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): As far as we are concerned, it is a continuing thing. The House adjourned then.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House was adjourned then. You have brought certain issue before the House. You are raising the issue of expunging certain words. I am going to bring this matter to the notice of the hon. Speaker. Definitely she will take a decision.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: What are you expecting from me, I do not know.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there have been precedents. Whenever a Member raises some issue, if the Minister is there and if the Minister is willing to give a reply, he responds to it. This is exactly what the hon. Speaker allowed. The Minister wanted to respond to a particular subject which was raised in this House. The hon. Speaker also went to the extent of saying: "If you want to make a statement, we can also allow you to make a Statement on Monday." The Member had asked a particular question.... (*Interruptions*) It was in reference to a point made by the hon. Member Shri Rahul Gandhi that the hon. Minister said that the facts were with him and he was prepared to reply. So, the hon. Speaker allowed the reply to take place.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: That matter is over. That is not the matter now.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I can tell you that there was no mention of any such thing which was beyond the purview of this House or the purview of what was asked of her. I think the hon. Minister gave a reply which was pertinent, which was relevant and which was about the issue which was raised by the hon.

Member. I think it was well within the norms and there is nothing in the speech which needs to be reviewed or expunged.... *(Interruptions)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, इसीलिए तो मैंने नोटिस दिया है। I have given notice because I know that this would come up. This issue was raised before 2 p.m. So, you need not take up because that is over. I know it may come up. That is why, I have given in writing under Rule 352 saying that I may be permitted to raise the matter regarding the conduct of the Members in the House. Based on that only, I am raising it. One thing is that provocative and derogatory words were used. It is not only that. All these things, for example, like use of offensive expressions about the conduct of the proceedings of Parliament or any statement made, are there in the Rule Book. On the one side, they are humiliating the Members. On the other side, it has nothing to do with them. They are raising the issue provoking the Members. Therefore, you can take a decision. That is not overruling the Speaker.... *(Interruptions)*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I would just like to raise this issue. The hon. Minister did mention something to which the hon. Speaker immediately said that that would not go on record but she did not make any such observation about the whole reference made by the hon. Minister. This was in response to the issue raised by the hon. Member and the hon. Minister made a comprehensive reply because she felt that this was a reference to her Ministry, and some facts which were placed by the hon. Member were wrong, and this is why she came with an explanation; and explained it to the House, and to the country that a particular Member has made a wrong reference; and she told the exact reference which was required. ... *(Interruptions)*

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Another thing is, as the Chair rightly said, it will be brought to the notice of the Speaker, and if there is any unparliamentary words, it would be looked into by the Speaker. You too are also demanding that the unparliamentary words should be removed. We never said that. The Deputy Speaker has given his ruling wherein he said that the unparliamentary words

would be removed. ... (*Interruptions*) We can't expunge everything. ... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: If they are not ready to listen, then, we can start the discussion on the subject but they have to listen to what we have to say. We heard them peacefully. You have given a ruling. ... (*Interruptions*) The point of reference here is that an issue was raised by the hon. Member. The hon. Minister wanted to make a response. The hon. Minister made a response, and clarified all the situations. If there was anything which needed to be addressed, the hon. Speaker has already addressed that these two words would not go. But she has made a complete reference to the entire issue raised by the hon. Member about a particular issue. Let the proceedings come out but you cannot look into other aspects which were facts, and it is the property of the House. Those are facts. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Minister of State for Parliamentary Affairs told that he misquoted the Speaker actually. We are also present in this House. We never heard such words from the Speaker's mouth. While the Member is speaking, and making an allegation against another Member of this House, we are only asking to expunge. If there is any unparliamentary words, it should be expunged. That is what is our demand. This is a genuine demand. ... (*Interruptions*) You are misquoting Speaker. ... (*Interruptions*) We already verified it. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Venugopal, please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): You are not Mr. Rudy, you are rude. ... (*Interruptions*) As a Minister, you are very rude.

HON. DEPUTY SPEAKER: Already you have raised the issue by stating that there are some unparliamentary words. At that time, the Speaker was presiding over. If at all she said that word, there is no problem. I will bring it to the notice of the hon. Speaker that you have raised this issue.

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever you have raised, I am going to bring before the Speaker. That is all.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Once again I am repeating, whatever you have raised, I will bring that matter to the attention of the hon. Speaker. Let the hon. Speaker take a decision. That is all.

... (*Interruptions*)

**14.41 hrs**

*At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

HON. DEPUTY SPEAKER: For your sake only, I have given the observation. Already, I have made it. What can I do? Only to get you justice, I have made the observation.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3 p.m.

**14.42 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till  
Fifteen of the Clock.*

---



**15.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.*

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Private Members' Bills and Resolutions.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We have no objection to that because this is the right of the hon. Members and we cooperate. But my only request to you is that all derogatory and defamatory words should be removed from the record.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already told that. I have also conveyed it to the hon. Speaker.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Okay, we will see it tomorrow.

**15.01 hrs**

**MOTION RE: TENTH AND ELEVENTH REPORTS OF  
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 36 – Shri Rattan Lal Kataria.

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I beg to move :

“That this House do agree with the Tenth and Eleventh Reports of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on 29 April and 6 May, 2015, respectively.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Tenth and Eleventh Reports of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on 29 April and 6 May, 2015, respectively.”

*The motion was adopted.*

---

**15.02 hrs**

**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS**

**Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from  
Kashmir - Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.37. Further discussion on the following resolution moved by Shri Nishikant Dubey on the 20th March, 2015:-

“This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition.”

Shri Nishikant Dubey may continue.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने चर्चा कश्मीर के विस्थापितों के लिए स्टार्ट की। यहां तीन तरह के विस्थापन की मैं चर्चा करना चाहूंगा और मैं सारे लोगों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि हो सकता है कि मेरी कुछ बात बुरी लगे तो आप चर्चा के क्रम में उसका जवाब दे दें। फैक्ट्स को मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। तीन तरह के जो विस्थापन हैं, उनमें एक विस्थापन वह है, जो कि हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं और पिछले 40, 50, 60 साल से वे अपने ही देश में परेशान हैं। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा, जहां ऐसा उदाहरण होगा। दूसरा विस्थापन वह है, जो कि 1946, 1947 में हमारे यहां आ तो गये, लेकिन आज तक उनको कोई नागरिकता नहीं दी गई। तीसरा विस्थापन वह है, जो एरिया हम कहते तो हैं कि हमारा है, लेकिन उस एरिया में क्या हो रहा है, उन लोगों की क्या दशा है, उन लोगों की क्या दुर्दशा है, उसके बारे में हम कभी खोज-खबर नहीं रखते हैं या हमारी नीतियों के कारण वे परेशान हैं और उसके अलावा हम उनको बुलाने का काम करते हैं।

इसकी प्रेरणा मुझे कल मिली, जब बंगलादेश का लैंड बाउंड्री एक्ट पास हो रहा था और पूरी पार्लियामेंट जब एक साथ थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बातचीत करने के लिए यह एक बड़ा अच्छा मौका है और कम से कम कश्मीर के बारे में बात करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन टू नेशनल थ्योरी के आधार पर हुआ तो उसमें से 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा गांधी जी का ही सबसे बड़ा प्रयास था, पूरा देश उनको इसके लिए याद भी करता है। जो सिचुएशन डेवलप हुई, उसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के आधार पर कोई देश नहीं चल सकता और दूसरा सवाल यह है

कि आइडियोलोजी के तौर पर यदि आप आजाद देश भी बना लेते हैं तो जिस तरह से दुनिया में बर्लिन की दीवार टूट गई, जैसे ईस्ट जर्मनी और वैस्ट जर्मनी मिल गये, यह कहा जा सकता है कि आज भी ऐसा हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश से लेकर अफगानिस्तान तक फिर से पूरा हिन्दुस्तान एक हो जाये। इसके लिए भविष्य में जो सम्भावनाएं हैं, उनको कोई नहीं देख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वह एरिया है, जिसे आज 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं। 'आज़ाद कश्मीर' का जो पॉपुलेशन है, वह लगभग 20 लाख के आस-पास है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I object. We cannot say 'Azad Kashmir'. It should be 'Pak Occupied Kashmir'. ... (*Interruptions*) Do not say 'Azad Kashmir' in this Parliament ... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे : मैंने यह कहा कि जिसे आज आज़ाद कहते हैं, उसे पाकिस्तान वाले 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं।... (व्यवधान) हम 'पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' कहते हैं।... (व्यवधान) 'पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर' - इसे इस ढंग से लिया जाए।... (व्यवधान) मैं सुधार लेता हूं।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : बी.जे.पी. के 'ऑर्गेनाइज़र' पेपर में ही उसका नक्शा बदला है।... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : 'पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' तो ठीक शब्द है।... (व्यवधान)

सर, वहां का सिचुएशन यह है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने वर्ष 1974 में जो एक्ट पास किया है, उसके आधार पर वह हिन्दुस्तान का अंग होते हुए भी आज की तारीख में वह पूरा-का-पूरा पाकिस्तानी दबाव में है या उनके प्रशासन में है और वहां हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

दूसरा भाग, जिसे 'नॉर्दर्न टेरीटरी' कहते हैं। मैं इतिहास से बताऊंगा कि आज तक भारत ने कभी भी कोई एग्रेसिव प्रयास नहीं किया कि वह 'नॉर्दर्न टेरीटरी' जम्मू-कश्मीर का पार्ट हो। तीसरा जो पार्ट है, वह पाकिस्तान में गिलगित और बालतिस्तान का एरिया है, उसमें से लगभग 37,550 वर्ग किलो मीटर यानी 5,180 वर्ग मील की जगह उन्होंने दे दी है। कुछ ऐसे जगह हैं, जिस पर न उनका अधिकार है और न ही हमारा अधिकार है। आज जो भारत के साथ है, जो भारत का भाग है, जिसे हम 'जम्मू-कश्मीर' कहते हैं, वह लगभग 2,22,336 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आपको अच्छी स्थिति में नहीं देखता है और उसे लगता है कि इस देश में जो कानून बना

हुआ है, उसके अन्तर्गत हम विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन आया और वह पेटिशन श्री बच्चन लाल कल्लोत्रा ने दिया। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा-

“We are the most unfortunate section of the population of the sub-continent while India's Independence struggle of centuries blossomed into a new independent India followed by history's most barbarous communal holocaust, it landed us into the hell, that Jammu and Kashmir turned out to be for us. We are all Hindus and were living in West Punjab before partition. We had to migrate to J&K State to save our lives, honour and faith from rabid communal hounds of West Pakistan in 1947. ”

यह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उस जजमेंट की तारीख है 20 फरवरी, 1987। उसमें उन्होंने कहा-

“In the circumstances, in view of the peculiar Constitutional position obtaining in the State of Jammu and Kashmir, we do not see what possible relief we can give to the petitioner and those situated like him. All that we can say is that the position of the petitioner and those like him is anomalous, and it is up to the Legislature of the State of Jammu and Kashmir to take action to amend legislation such as the Jammu & Kashmir Representation of the People's Act. ”

यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूजी के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि कल जो हाउस में घटित हुआ, मुझे उससे प्रेरणा मिली। 22 फरवरी, 1994 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक रिजॉल्यूशन पास किया। यह यूनैनिमस रिजॉल्यूशन है। इसे सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया।

It says:

“This House note with deep concern Pakistan's role in imparting to the terrorists in camps located in Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir, the supply of weapons and funds, assistance in infiltration of trained militants, including foreign mercenaries into Jammu and Kashmir with avowed purpose of creating disorder, disharmony and subversion:...

On behalf of the People of India,

Firmly declares that-

- (a) The State of Jammu and Kashmir has been, is and shall be an integral part of India and any attempt to separate it from the rest of the country will be resisted by all necessary means;
- (b) India has the will and capacity to firmly counter all designs against its unity, sovereignty and territorial integrity; and demands that;
- (c) Pakistan must vacate the areas of the Indian state of Jammu and Kashmir, which they have occupied through aggression; and resolves that;
- (d) all attempts to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely.”

यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। रेजोल्यूशन एडॉप्ट हो जाता है, हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज तक उन विस्थापितों का, तीनों तरह के विस्थापितों के बारे में हमने कोई काम नहीं किया। मैंने पिछली बार भी अपना भाषण देते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने वर्ष 2008 में 1,618 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन आज तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस कारण से मैं इस पूरे केस की तह तक जाना चाहता हूँ कि फाइनली कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? विस्थापितों को हम ले जाने की बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, क्रक्स ऑफ दी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 1990 के बाद से बेहताशा लोग भागे। आज आप देखिए कि कोई भी उठकर कह देता है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद, कोई कहता है कि कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, कोई कहता है कि भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त है। वर्षों-वर्षों से ऐसा हो रहा है, यह आज की कोई नई घटना नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ही सब कुछ करेगी तो पार्लियामेंट क्या करने वाली है? यह पार्लियामेंट और सारे राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है।

कई प्रकार की चर्चा हो रही है कि हम कोई कॉलोनी कश्मीरी पंडितों की नहीं बनने देंगे। वे कहते हैं कि जैसे पहले रह रहे थे, आप वैसे ही रहिए, आपका उस तरह से स्वागत है। क्या सुरक्षा की कोई गारन्टी दे रहा है? मैं बताऊंगा कि किस तरह से बिना सुरक्षा की गारन्टी के लोग मारे जा रहे हैं या मरने को विवश हुए हैं या लोग भाग गए हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर के रिफ्यूजी हैं और पार्टिशन के बाद उनका जो दर्द है, वह उनके कैम्प में आपको बार-बार दिखाई देगा। यदि आप जम्मू के कैम्प में जाएंगे, दिल्ली के कैम्प में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह की भी सिचुएशन भी किसी कंट्री में हो सकती है। हम सब स्वास्थ्य की खूब बात करते हैं, विकास की खूब बात करते हैं, लेकिन जो लोग विस्थापित हैं, जिनकी दुर्गति हो रही है, जो माइग्रेटिड हैं, विस्थापित हैं, उनके बारे में हम कभी भी खुलकर चर्चा करने का प्रयास नहीं करते हैं।

कश्मीर का एक बड़ा इतिहास रहा है। कश्मीर में जितने भी लोग इस कंट्री में पॉवरफुल हुए, उन्होंने कश्मीर को या तो कब्जा करने का प्रयास किया या वहां के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया या वहां के जो ट्रेजर हैं, जो टूरिज्म है या जो वहां की आबोहवा है या जो वहां चीजें हैं, यदि आप देखेंगे तो कल्हण की राजतरंगिणी से नजर आता है कि 2449 बी.सी. में वहां जरासन्ध का राज हुआ करता था। इसका मतलब जो महाभारतकालीन चीजें वहां होती थीं, 2449 बी.सी. में उनका भी वहां ...(व्यवधान)

**श्री भर्तृहरि महताब:** जरासन्ध मगध का नरेश था।

**श्री निशिकान्त दुबे:** सॉरी, महाभारत की बात कर रहे हैं, मगध का नरेश था। मगध के नरेश के बाद 273 से लेकर 232 बी.सी. तक अशोक डायनेस्टी वहां रही। ...(व्यवधान) वह मगध के राजा की बात कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम मैथिलोंजी में न जाकर जो आम चीजें हो रही हैं, उसके बारे में कहें। 273 से 232 बी.सी. तक अशोक का राज रहा। उसके बाद कुषाण आया। यदि मैं गलती कर दूं तो महताब भाई आप मुझे बताते रहेंगे। इसके बाद 631 से लेकर 855 तक तक्षशिला का जो निर्माण हुआ, उसमें कश्मीर ने बड़ा रोल प्ले किया। मैं इस चीज को बड़ा करीब से जानता हूं, क्योंकि मेरा गांव विक्रमशिला है। उस समय तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे - नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मुझे गर्व है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं। आज भी विक्रमशिला मेरा गांव है। एक जमाने में विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालयों से बड़ा विश्वविद्यालय था। आज जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात माननीय कौशलेन्द्र जी और उनके मुख्यमंत्री करते हैं, एक जमाना ऐसा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक इकाई के तौर पर वह काम करता था। अधीर जी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि बंगाल के पाल वंश के राजा ने उसकी स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 855-939 तक का समय ऐसा रहा कि अवन्तीपुरा की स्थापना हुयी। इस देश को बनाने में, कश्मीर में जितने भी राजा, महाराजा, हिन्दू या जो भी गये, उन्होंने इसको बनाने का काम किया और वर्ष 855 से लेकर वर्ष 939 तक वह अवन्तीपुरा बना, जिसके अवशेष आज भी कश्मीर में दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वर्ष 1389 के बाद आया। जब सिकन्दर वर्ष 1389 के पहले वहां के राजा हुए, वहां कोई मुस्लिम शासन नहीं कर रहे थे। वहां सारे के सारे हिन्दू थे। थोड़े दिन पहले तक बुद्धिस्ट व्हीन चेंग वहां राज कर रहा था। यह सारी घटना वर्ष 1389 के बाद घटित होनी शुरू हुयी। सिकन्दर ने सबसे पहले कश्मीर में विस्थापन स्टार्ट किया। ...(व्यवधान) यह यूनान का सिकंदर नहीं है।...(व्यवधान) वह अफगान का सिकंदर था।...(व्यवधान) सिकन्दर ने सबसे पहले कश्मीर के हिन्दुओं को भगाने का काम किया। इसलिए विस्थापन

का इतिहास वर्ष 1947, वर्ष 1989 या वर्ष 1990 नहीं है। यह इतिहास वर्ष 1389 से शुरू होता है। अशोका, कुषाण, हूण, अफगान, मुगल या ब्रिटिश हों, जितने राजा वहां हुए, जो भी लोग हुए, उन सबों ने कश्मीर पर राज करने का काम किया और लोगों को परेशान करने का काम किया। ... (व्यवधान) खड़गे साहब थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं उन चीजों के बारे में इसलिए जानता हूं।... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैं जानना चाहता हूं कि अशोक ने वहां पर कैसे तबाह किया है।

**श्री निशिकान्त दुबे :** अशोक ने तबाह नहीं किया। सबसे पहला जो तबाही स्टार्ट हुआ।... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** अभी आपने कहा कि वहां कौन-कौन से राजा हुए, इसको बनाने में उनकी जो मदद हो गयी, उनमें आपने अशोका का भी नाम लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

**श्री निशिकान्त दुबे:** नहीं, मैंने कहा कि वहां पर किन-किन लोगों ने राज किया। मैं साल में तीन-चार बार कश्मीर जरूर जाता हूं। मैं पहले प्राइवेट क्षेत्र में काम करता था। एक मात्र बी.पी.ओ. श्रीनगर में चलता है, वह मेरे द्वारा चालू किया गया है जिसमें आज भी डेढ़ हजार लोग नौकरी करते हैं। इसीलिए कश्मीर के साथ मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। यह मेरा सिर्फ भाषण नहीं है। मैं वहां साल में करीब चार बार जाता हूं। वहां के लोगों को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, शायद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते होंगे।

मार्तण्ड एक जगह है, जहां 'सन टेम्पल' है और वह ऐसी जगह है, जहां यदि आप तालाब में देखेंगे तो केवल मछली नजर आयेगी। वहां मुसलमान हो या हिन्दू हो, आज भी उन मछलियों को कोई नहीं खाता है। आपको घरों में मछलियां नालियों के माध्यम से जाती हुई नजर आयेंगी। सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। अवन्तीपुरा में विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षा दी जाती थी। वह पूरा का पूरा अवन्तीपुरा है, यदि आज आप वहां जायेंगे, यह जगह अनंतनाग कहलाता है, वहां हम सेन्द्रल यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, उस पूरे इलाके को देखेंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद लालीत्य देव एक ऐसा राजा थे, जिन्होंने यह कहा कि हम पूरे कश्मीर के बाउन्ड्री को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं न कहीं हमको परेशानी हो जाये और इसके माध्यम से हमारे विरोधी और दुश्मन यहां आ सकते हैं। सिकन्दर ने लालीत्य देव के टेम्पल को डेमोलिश कर दिया। इसके बाद जब मुगल आए, आप मुगल गार्डन देखिए, निशात गार्डन देखिए, मुगलों ने विरोध के लिए सबसे भारी गलती की। मुगल केवल वहां एसगाह बनाकर जाते थे, रहते थे या उन्होंने अपना महल बना रखा था। अफगान लार्ड को भारत की सभ्यता, संस्कृति के साथ मतलब नहीं था।

मैं एक किताब लेकर आया हूं -- *Kashmir - Behind the Vale*, एम.जे. अकबर की लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शेख अब्दुल्ला के दादा जी हिन्दू थे। इस किताब को आज तक न



उनकी फ़ैमिली और न ही किसी और व्यक्ति ने चैलेंज किया। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में रहने वाले आज जितने लोग हैं, वे कहीं न कहीं इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। वे इन्हीं सब कारणों से कन्वर्ट हुए।... (व्यवधान)

**श्री भर्तृहरि महताब:** इतिहास कहता है कि भारत भूखंड में कश्मीर ही एक जगह है जहां दो बार कन्वर्शन हुआ है। दो बार कन्वर्शन इस्लाम में हुआ है। पहली बार जैसे आपने कहा कि सैवन्थ सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ था, फिर दुबारा वे हिन्दू धर्म में लौटे थे। दूसरी बार 13वीं और 14वीं सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ। भारत में कहीं दूसरी जगह इस तरह नहीं हुआ।

**श्री निशिकान्त दुबे:** उपाध्यक्ष महोदय, आज की मॉडर्न हिस्ट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 9, 1846 ईस्वी और ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्च 16, 1846 ईस्वी को हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर कहता है --

“The British Government having demanded from the Lahore State, as indemnification for the expenses of the war, in addition to the cession of territory described in Article 3.....”

उसी के बाद 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ जिसमें उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने गिलगित बालटिस्तान को अपना कर्ज उतारने के लिए सौंप दिया। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उसमें से गिलगित पाकिस्तान चला गया। जो गिलगित बालटिस्तान उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, उसके इतिहास का कारण यह है कि गिलगित बालटिस्तान का एरिया हमें साउथ, सेंट्रल और ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यूरोप और एशिया का मिलन स्थल वही है। यही कारण है कि पाकिस्तान, भारत, चाइना और अफगानिस्तान जिस बार्डर पर आते हैं, वह गिलगित और बालटिस्तान का एरिया है। गिलगित और बालटिस्तान में जितने माइन्स और मिनरल्स हैं, शायद बहुत कम जगह होंगे। यही कारण है कि वह बोन ऑफ कंटेंशन है। चाइना या और देश हों जो इस देश को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं, वह इसके ऊपर निर्भर है। उसका एरिया 72,946 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें भारत सरकार की नीति रही है कि जब सेंट्रल एशिया रूस से परेशान हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि रूस भारत में घुसने का प्रयास करेगा तो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जॉन विडुलप को एक एडमिनिस्ट्रेटर को तौर पर वहां ऐप्वाइंट किया। उसने प्रयास किया कि हम किस तरह रूस को रोकें। गिलगित एजेंसी के नाम से मार्च 26, 1935 को महाराजा हरि सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया। वह एग्रीमेंट बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से देश या राज्य बेचने का काम हो रहा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी से पूछे लीज़ एग्रीमेंट हो गया। लीज़ एग्रीमेंट कहता है --

“The Viceroy and Governor General of India may at any time after ratification of this agreement assume the civil and military administration of so much of the Wazarat of Gilgit Province of the Jammu and Kashmir as lies beyond the right bank of the river Indus, but notwithstanding anything in this agreement the said territory shall continue to be included within the domain of His Highness the Maharaja of Jammu and Kashmir.”

लेकिन यह पूरा राइट ब्रिटिश लीज़ के तौर पर करेंगे क्योंकि गिलगित बालटिस्तान पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि वह हमारा पार्ट है या नहीं। जब 1949 में सीज़फायर एनाउंस हुआ, उससे पहले मैं बताऊं कि 4-5 ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कश्मीर प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सवाल हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का कितना अधिकार था, महाराजा गुलाब सिंह का कितना अधिकार है। मैं इस सदन में केवल दो उदाहरण देना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में अमरीका का अलास्का प्रांत उसने रूस से खरीदा। आज अमरीका का जो टैक्सास प्रांत है, वह स्पेन से खरीदा गया। इसलिए यह थ्योरी है कि खरीदी हुई जमीन पर क्या बात हो सकती है, उनका क्या अधिकार था, लोगों को क्या बातें दी गईं। हम यूएन में गए, उससे यह दो उदाहरण समझने के लिए काफी हैं कि अमरीका ने अलास्का प्रांत रूस से खरीद लिया और स्पेन से टैक्सास प्रांत खरीद लिया। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा होती है। उस चर्चा के पीछे ब्रिटिश जिम्मेदार हैं।... (व्यवधान) इसमें एक-दूसरे को भड़काने के लिए जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें वहां के आम हिन्दू परेशान होते हैं। कर्जन की थ्योरी - बांटो, राज करो या टू नेशन थ्योरी आदि किस तरह इम्प्लीमेंट हुईं। जब महाराजा हरि सिंह का बहुत ज्यादा राज था तो वहां मुस्लिम कौन्सिल का उदय हुआ। वहां मुस्लिम कौन्सिल एक पार्टी बनी।... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This part of the Private Member's Business will be over at 4.30 p.m. So, you should try to be brief so that others may also get an opportunity to participate in the debate.

**श्री निशिकान्त दुबे:** मुस्लिम कौन्सिल का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मार्च 26, 1938 का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम सतही डिस्कशन कर लेते हैं उसकी तह पर नहीं जाते। उन्होंने कहा --

“I reiterate today, that I have said so often, firstly we must end communalism by ceasing to think in terms of Muslim and non-Muslim when discussing our political problems.”

इस कारण मुस्लिम कौन्सिल से अलग होकर नेशनल कौन्सिल बना। मैं बता रहा हूँ कि इस देश में क्या-क्या हुआ। आपको पता है कि कश्मीर हमारे लिए कितना इमोशनल विषय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ कश्मीर में हुई। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. जोशी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और श्रीनगर पर झंडा फहराने का प्रयास किया।... (व्यवधान) इन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई और मुस्लिम कौन्सिल और नेशनल कौन्सिल बना तो उसमें जिन्ना ने सैपरेट होमलैंड और मुस्लिम लैंड की वकालत की। लीगल डोक्यूमेंट मार्च 22, 1940 का है। हिन्दुओं को बाहर करने के लिए किस तरह की पॉलिसी धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हुई, यह 22 मार्च, 1940 का डोक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में जिन्ना साहब कहते हैं कि "...autonomous national States." There is no reason why these States should be antagonistic to each other. That is why we need two nations." 22 मार्च, 1940 का मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भाषण है। इसके आगे उन्होंने कहा "Muslims of India cannot accept any Constitution, which must necessarily result in a Hindu majority Government. Hindus and Muslims brought together under a democratic system forced upon the minorities can only mean Hindu Raj." यह उनका माइंडसेट था और उसी से इस राज्य की नींव पड़ी। वर्ष 1944 को उन्होंने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया जिससे पता चलता है कि उस समय किस तरह से इस्लामाइजेशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि "I, after careful consideration, suggested that the *Mussalmans* should organize themselves under one flag and on one platform, not only my advice was not acceptable to Sheikh Abdullah but, as is his habit ...". बाद में यह सही साबित हुआ, जिन्ना साहब अब्दुल्ला साहब के बारे में जो बात कह रहे थे वह सही साबित हुआ। जिस तरह के अकॉर्ड हुए हैं, मैं सारे अकॉर्ड पर भी आऊंगा। यह बात साबित हो गई कि वर्ष 1944 में जिन्ना साहब ने कश्मीर के बारे में जो कहा था आज ठीक उसी तरह का सिचुएशन डेवलप हुआ है। जब पार्टिशन होने लगा तो उसमें पार्टियों का क्या रुख था? वहां एक बड़ी पार्टी किसान मजदूर कांग्रेस थी। उसने 5 सितम्बर, 1947 को एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया "The overwhelming majority of Kashmir's population is Muslim. The State is contiguous with Pakistan territories. All the three big highways and all the rivers of the State go into Pakistan. For these reasons the Working Committee is of the opinion that the State should cede to Pakistan." यदि सही में ऐसा था तो बंटवारे

के समय बांग्लादेश एक अलग देश कैसे हो गया? उसकी पाकिस्तान के साथ कोई सीमा भी नहीं जुड़ती है। एक कश्मीर सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 18 सितम्बर, 1947 को अपना रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि हम लोगों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए या मुस्लिम राज्य बना देना चाहिए। महाराजा ने एक लेटर भेजा, यह कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 26 अक्टूबर, 1946 को मारुंटबेटन को चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा “I wanted to take time to decide to which Dominion I should accede, or whether it is not in the best interests of both the Dominions and my State to stand independent, of course with friendly and cordial relations with both. I accordingly approached the Dominions of India and Pakistan to enter into Standstill Agreement with my State. The Pakistan Government accepted this Agreement. The Dominion of India desired further discussions with representatives of my Government. I could not arrange this in view ...”. इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन भारत ने नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो उन्होंने कहा वह बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पाकिस्तान से स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, वह एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन अब कश्मीर की क्या सिचुएशन है? कश्मीर का सिचुएशन यह है कि “With the conditions obtaining at present in my State and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. ... I am also to inform your Excellency's Government that it is my intention at once to set up an interim Government and ask Sheikh Abdullah to carry the responsibilities in this emergency with my Prime Minister.” पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, यह महाराजा का लीगल डॉक्यूमेंट कहता है। भारत ने कभी भी उसको ब्लैकट परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद इतिहास गवाह है कि हम लोग यूएन में चले गए। यू.एन. में जाने के बाद एक रेजोल्यूशन नये कश्मीर का आया। अब नया कश्मीर क्या कह रहा है, नये कश्मीर का रेजोल्यूशन क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि वहां किस तरह से इस्लाम डेवलप हुआ और किस तरह से हिन्दू भाग रहे हैं। नया कश्मीर कह रहा है कि—

“We the people of Jammu and Kashmir, Ladakh and the Frontier regions, including Poonch and Chenani Illaqas commonly known as Jammu and Kashmir State in order to perfect our union in the fullest equality and self-determination to raise ourselves and our children forever from the abyss of oppression and poverty, degradation and

superstition..., to propose and propound the following constitution of our State.”

This is the Constitution of Jammu and Kashmir only. उसका भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज किया। मैंने आपको बताया कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने भी 26 सितम्बर, 1947 को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप हमारी मदद के लिए आइये। जब भारत सरकार वहां पहुंची, तो कांग्रेस की गलतियों के कारण, क्योंकि मैं इसमें नेहरू-लियाकत पैक्ट की भी बात करूंगा। यूनाइटेड नेशंस में 13 अगस्त, 1948 को एक रेजोल्यूशन हुआ। धारा 370 के बारे में बात होती है कि किस तरह से भारत सरकार उस पर लागू नहीं हो सकती। यू.एन. का जो 13 अगस्त, 1948 का रेजोल्यूशन है, वह यह कह रहा है कि उसने सीज फायर का आर्डर किया कि दोनों पार्टिज सीज फायर करे। दूसरा उसने कहा कि --

“As the presence of troops of Pakistan in the territory of the State of Jammu and Kashmir constitutes material change in the situation since it was represented by the Government of Pakistan...”

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। निशिकांत जी हमें पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम उसे सुनेंगे, लेकिन हिस्ट्री में जो भी गलतियां हैं, उन्हें महताब साहब निकाल रहे हैं। वह ठीक हो रहा है और दुरुस्त भी हो रहा है, लेकिन आपका रेजोल्यूशन यह है --

“This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of Displaced Persons from Kashmir, who are living in various parts of the country in a pitiable condition.”

असल में आपका यह रेजोल्यूशन है। अगर आप हमें यह अवगत करा दें कि आपकी सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या मदद करने वाले हैं, किस ढंग से उनको मकान दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप इस बारे में हमें बताइये। अगर आप अकबर, बीरबल से लेकर पूरी कहानी बताते गये, तो उसे हम कब तक सुनेंगे? आपकी इंटेंशन डिसप्लेस्ड पर्सन्स को मदद करने की है, लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए 40 मिनट हो गये हैं। मैं आपकी तकरीर के बाद बाहर जाने के लिए सोच रहा था। (व्यवधान) मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। ... (व्यवधान) हम सोच रहे थे कि 40 मिनट में आपकी बात खत्म हो रही है, तो हम दो

मिनट बाहर जाकर फिर अंदर आयेंगे। लेकिन 40 मिनट तक आपकी हिस्ट्री ही चल रही है, रिहैबिलिटेशन नहीं चला। ... (व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** अभी हम वर्ष 1949 तक आये हैं। ... (व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** आजादी के बाद क्या हुआ, उस पर आप बोलिये। ... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप रिहैबिलिटेशन की बात कीजिए, झगड़े की बात मत कीजिए। ... (व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे:** मैं इसी पर आ रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि इतिहास में कहां-कहां भूल हुई। खड़गे साहब ने बड़ा अच्छा कहा और याद दिला दिया कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई? मेरे पास पूरा लैटर है, जो 22 दिसम्बर, 1947 को लियाकत खान और नेहरू के बीच डिसकशन हुआ। इस डिसकशन का कोई मतलब नहीं निकला। माउंटबेटन ने अपनी किताब में लिखा है। कई लोग कहते हैं कि जब अनुच्छेद 370 आ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया और अनुच्छेद 370 हो गया। इसके पीछे तथ्य यह है कि लियाकत अली खान और नेहरू जी के बीच जो डिसकशन चल रहा था, उसका लैवल इतना घटिया और नीचा था कि कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं लगा कि लियाकत अली खान और नेहरू जी एक टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। 1950 में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से निकलना पसंद किया। उनको लगा कि कश्मीर के लिए अलग लाइन लेनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ हुआ, इतिहास उसका गवाह है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, यदि आप नहीं चाहते तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। जब इस तरह की बातें हुई, नेहरू जी और लियाकत अली खान में से कोई बात करने को तैयार नहीं थे तो कहां गलती हुई। लियाकत अली खान और नेहरू जी का एग्रीमेंट 8 अप्रैल, 1950 को हुआ। यह एग्रीमेंट कहता है - “Complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to law and morality.” यह एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इस तरह की बात चल रही है कि हम कश्मीर में आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, हिंदुओं को नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या रुख है?

फरवरी, 1950 में नेहरू जी इससे भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा- “The Government of India and the Government of Pakistan hereby declare that they will not resort to war for the settlement of any existing or future dispute between them.” जब दोनों ने डिक्लेरेशन

किया तो बार-बार पाकिस्तान से बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब लियाकत अली खान और देश के प्रधानमंत्री से बातचीत हो गई तो आपने क्यों दोबारा बात करने का प्रयास किया? यह डिक्लेरेशन है। इसके बाद 1959 में ज्वाइंट डिफेंस की बात आई, अयूब खान ने कहा - “That it was of vital importance to Pakistan and India as independent sovereign States will collaborate a friendly atmosphere without any dispute.” मेरा कहना है कि जो डिस्प्यूट नहीं है, आप उसे उठाकर क्यों लाते हैं? आप समझौता कर सकते थे, आप पाकिस्तान को परेशान कर सकते थे, जहां की चीजें अपने हक में वापस ला सकते थे। आपने पीओजेके एरिया, पाकिस्तान के एरिया के लिए क्या किया? आपने 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन में कई चीजों को फोरफीट कर दिया। इसमें आपने कहा - “Non-interference in the internal affairs of each other” इसमें आपने हाजी पीर बल कश्मीर को कन्सीड कर दिया। जहां हम 1965 की वार जीते थे, 1966 की वार जीते थे, यहां की चीजें हमारे साथ आ सकती थी। यह इतिहास है। आपने मिलिटेंट्स को, जमात इस्लामी टाइप आर्मी को, गिलानी टाइप आदमी को, मौलवी फारुख जैसे आदमी को इस तरह से कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फारुख अब्दुला की सरकार, जिसके साथ आप वर्षों तक सरकार चलाते रहे हैं, ने 1989-90 की पालिसी इस तरह की कि 70 ड्रेडिट ट्रायल टेररिस्ट को छोड़ दिया। 500 ऐसे गांव थे, जिसका नामकरण हुआ, हिंदू गांवों का नाम चेंज हुआ। यह इतिहास कहता है।

यही कारण है कि 1990 के बाद वहां हिंदुओं का माइग्रेशन शुरू हुआ। इसके बाद 1972 का एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट की बहुत बात हुई। शिमला एग्रीमेंट के कारण पूरी सिचुएशन 1975 में खत्म हुई। उपाध्यक्ष जी, मैं शिमला एग्रीमेंट के समय की बात कर रहा हूं। आप उरी सैक्टर जब पहुंचे, उरी के बाद कौन सी ऐसी स्थिति थी कि आपने सीज फायर कर दिया? उरी के पास नहीं जाने के लिए आपको किन फोर्सों ने रोका? इसका जवाब मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार ने शिमला एग्रीमेंट के पहले उरी सैक्टर के बाहर जाने का फैसला क्यों नहीं किया? इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एटली साहब थे, उस वक्त के प्रधान मंत्री जी की उनके साथ क्या बातचीत हुई? क्या ऐसी चीजें थीं जो यू.एन. में जम्मू-कश्मीर के मामले को ले जाने के लिए आप तैयार हो गये? इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो स्थिति पैदा हुई, जिन्ना के बाद...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Deputy-Speaker, Nishikantji is touching upon a very soft nerve of this country, a very soft nerve. आप 1971 तक आ चुके हैं, आप आगे बढ़िए और पीछे मत जाइए।...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): देखिए, हमारे यहां वक्ता एक से एक बढ़कर हैं। इसलिए चुनौती मत दीजिए।...(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** इसमें जो 1975 था, महताब भाई, आपको पता होगा कि शेख अबदुल्ला साहब के साथ जो दो एकार्ड हुए तो दो एकार्ड की मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसी स्थिति थी जबकि आपको शेख अबदुल्ला साहब के साथ दो दो एकार्ड साइन करने पड़े ? इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या ऐसी स्थिति थी?... (व्यवधान) तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी साहब को अप्रैल 1921 में माननीय जगमोहन जी ने चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश को उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं तो मैं उसी पर आता हूं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा:

“Need I remind you that from the beginning of 1988, I had started sending warning signals to you about the gathering storm in Kashmir?”

ये जगमोहन साहब तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को लिख रहे हैं।

“But you and the power wielders around you had neither the time, nor the inclination, nor the vision to see these signals. They were so clear, so pointed, that to ignore them was to commit sins of true historical proportions. To recapitulate and to serve as illustrations, I would refer to a few of these signals.”

यह उन्होंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के बाद उन्होंने अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा: मैं पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वह 40-50 पृष्ठ की चिट्ठी है। उसके कुछ ही महत्वपूर्ण प्वाइंट्स मैं पढ़ रहा हूं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** आप वे 40-50 पेजेस पढ़िए न।...(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे:** मैं उनमें से कुछ ही पढ़ रहा हूं।

“You, perhaps, never cared to know that all the components of the power structure had been virtually taken over by the subversives. For example, when Shabir Ahmed Shah was arrested in September 1989, on the Intelligence Bureau’s tip-off, Srinagar Deputy Commissioner flatly refused to sign the warrant of detention.”

यह आप समझिए कि जम्मू-कश्मीर की हालत क्या थी?



“Anantnag Deputy Commissioner adopted the same attitude. The Advocate-General did not appear before the court to represent the state case.”

देश के प्रधान मंत्री को वहां के गवर्नर चिट्ठी लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सुनना ही नहीं चाहते। आप कश्मीर के विस्थापितों की क्या बात करेंगे जब वहां कोई आदमी लौटेगा ही नहीं, उसके कारण तक आप जाएंगे ही नहीं तो आप किस विस्थापित की बात करेंगे? वे तो जम्मू में रह रहे हैं, कैम्प में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पर उनका एडमिशन करवा दिया है तो कोई पुणे में पढ़ रहे हैं, मुम्बई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। कोई अमेरिका में रह रहे हैं। आप यह बताइए न कि किस कारण से ये गये और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने आगे लिखा। महताब साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात धारा 370 के लिए लिखी है और यह सब रिकार्ड का विषय है।

“You created a scene on March 7, 1990, at the time of the visit of the All Party Committee to Srinagar, and made it a point to convey to the people in 1986 I wanted to have Article 370 abrogated.”

At that critical juncture, when I was fighting the forces of terrorism with my back to the wall beginning to return to the corner after frustrating and sinister design of the subversaries from January 26, 1990 onwards. What I had really pointed out in August-September 1986 was: Article 370 is nothing but a breeding ground of the parasites at the heart of the paradise. It skins the poor. It deceives them with its mirage. It lines the pockets of power elites. It fans the egos of the new Sultans. In essence, it creates a land without justice, a land full of crudities and contradiction. It props up politics of deception, duplicity and demogogy. It breeds the microbes of subversion; it keeps alive the wholesome legacy of the two-nation theory. It suffocates the very idea of India and fogs the very vision of the great social and cultural crucible from Kashmir to Kanyakumari. My stand was that poor people of Kashmir had been exploited under the protective wall of Article 370 and the current position needed to be explained to them.’ यह जगमोहन साहब ने लिखा है।... (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम) :** जगमोहन साहब ने तो गोली चलाकर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को पूरा बिगाड़ दिया था। उन्हीं की कोटेशन आप पढ़ रहे हैं।... (व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे:** यदि जगमोहन नहीं होते तो यह देश आज ऐसा नहीं होता।... (व्यवधान)

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** सौगत राय जी, यह आपकी राय हो सकती है, यह देश की राय नहीं है।... (व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे:** वर्ष 1975 के बाद से रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दिया गया। सय्यैद अली शाह गिलानी जो कि आज भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, उसे बढ़ाने में उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, चाहे जम्मू-कश्मीर की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों सरकारों ने उसे बढ़ाने का काम किया। अभी जो गुलाम नबी फई अरेस्ट हुए, किस तरह से इन लोगों ने इंटरनेशनली इन चीजों को लाया, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे चाहते हैं और कहते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि वहां पूरा का पूरा इस्लाम पहुंच जाए। इसका कारण यह है कि वहां जो फंड आ रहा है चाहे वहाबी के नाम पर, चाहे साउदी के नाम पर जिस तरह के फंड आ रहे हैं, चाहे इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर अयातुल्ला खुमानी के आदमी आते हैं, जिस तरह से लोग पकड़ाते हैं, वह इसका पूरा उदाहरण है। जब गिलानी साहब अपनी चीजों को जमाते इस्लामी प्रूव नहीं कर पाए तो आजकल एक नया आर्गेनाइजेशन "जम्मू-कश्मीर लिबरेशन" बन गया है। कश्मीर के विस्थापितों को वहां जाने के लिए क्या-क्या कठिनाइयां हैं, मैं उनके विषय में बता रहा हूं।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने रविन्द्र महात्रे की हत्या की है। रविन्द्र महात्रे हमारे डिप्लोमेट थे। आपको याद होगा कि यू.के. में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी अगर पूरी कहानी जाननी हो तो हासिम कुरैशी जो कि जे.के.एल.एफ. के बड़े नेता हुआ करते थे, जिन्होंने वर्ष 1971 में प्लेन हार्डजैक किया था, उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत में इसी तरह की स्थिति बनी रहे और इस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि भारत में ऐसी स्थिति बनी रहे। वहां के जो लोकल लोग हैं, वे कभी भी अपने राज्य में वापिस नहीं जा पाए। ऐसा हासिम कुरैशी की, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की पूरी स्टोरी है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude early. Other Members also have to speak.

**श्री निशिकान्त दुबे:** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।... (व्यवधान) डॉ. जितेन्द्र सिंह आपको संबंधित चीजों के बारे में बताना चाहते हैं।... (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं

कि 14 सितम्बर, 1966 को मकबूल बट ने सिक्थोरिटी इंस्पेक्टर अमर चंद को गोली मारी गई। इंस्पेक्टर अमर चंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद पाकिस्तान चला गया। उसके बाद उसने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया। आखिरकार भारत सरकार ने उसे कब्जे में लिया और वर्ष 1984 में फांसी दे दी गई। जब उसे फांसी दे दी गयी, तो कश्मीर में काफी हंगामा हो गया। उस वक्त श्री फारूख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का नहीं पटता था। यही कारण था कि उनके जो बहनोई गुलाम मोहम्मद गुलशा थे, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद पूरा कश्मीर कर्फ्यू में थका रहा, छिपा रहा। वहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जिसके बारे में अभी श्री सौगत राय साहब बता रहे थे कि यहाँ से जगमोहन साहब भेजे गये, लेकिन वे चूँकि इस देश में कश्मीर को रखना चाहते थे, उनको यहाँ से प्रौपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मैं इसलिए इस चीज को जानता हूँ क्योंकि उस वक्त जो वहाँ डीआईजी थे श्री एन.के. तिवारी, जिसके बारे में श्री जगमोहन जी पचासों बार 'फ़ोर्ज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर' में जिक्र किया है, वे मेरे मामा हैं और वे आज भी जिन्दा हैं। उनको कितनी गोलियाँ लगी थी और उन्होंने किस तरह से काम किया है, मुझे इसके बारे में पूरा पता है। मैं यह कह रहा हूँ कि आज सिचूएशन यह है कि वहाँ कश्मीरी पंडितों को जाना चाहिए और वहाँ पर बसना चाहिए। मैं केवल तीन उदाहरण देना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में कश्मीरी विस्थापित इस 1618 करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर कैसे रह सकते हैं? पहला उदाहरण है श्री सर्वानन्द कौल का, अनन्तनाग में सोफसाली विलेज है, वहाँ वे टीचर थे और बहुत ही फेमस टीचर थे। आप यह समझिए कि क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, पूरे अनन्तनाग में उनसे बढ़िया कोई टीचर नहीं था। जब लोग वहाँ से भागने लगे, लोगों को जब विस्थापन का शिकार होना पड़ा, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैंने तो सभी हिन्दू-मुसलमानों को पढ़ाया है। लेकिन उन्हें 28 अप्रैल, 1990 को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया और आज तक उन्हें और उनके परिवार को मारने वाला नहीं पकड़ा गया है। मैं एक टीचर की बात कह रहा हूँ।

दूसरा उदाहरण है, श्रीनगर के एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में इसी तरह से एक टीचर थे और उनका लड़का डॉक्टर था। सर, मैंने नाम के साथ कहा है। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। वे भी इसी तरह से रहते थे। उनको भी लगता था कि हिन्दू क्या, मुस्लिम क्या, कश्मीर की संस्कृति क्या, हम लोग सभी यहाँ रह सकते हैं। उनको भी गोली मार दी गयी।

तीसरा उदाहरण बडगाम तहसील के ओमपुरा विलेज का है। वहाँ के दीनानाथ ओमपुरी जी का उदाहरण है। उनके पुत्र भारत भूषण शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। वे एक छोटे-से इम्प्लाई

थे। आप कह रहे हैं कि लोगों को बस जाना चाहिए, हम लोग कोई बात नहीं कह रहे हैं। यह तीसरा उदाहरण है जिसमें लोग मर गये। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से हजारों-हजार लोग मारे गये हैं। वे इसलिए मारे गये थे, एक तरफ तो उनको यह कहा जाता है कि यदि आप हिन्दू हैं, मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों का विस्थापन नहीं हुआ है, जब लड़ाई होती है, जब मैंने अभी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही कि धर्म के आधार पर कोई देश या राज्य नहीं बंट सकता क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को फाइनली अलग-अलग होना पड़ा। लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हुआ, उसमें जो वहाँ पर रहने वाले खासकर हिन्दू हैं, उन लोगों को लगता है कि ये भारतीय सेना के मुखबिर हैं या सीआरपीएफ या बीएसएफ के मुखबिर हैं और वहाँ के लोकल लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता है। इस कारण से उनको वहाँ से हटना पड़ता है और जो कश्मीर के लोग हैं, जो एफिलेंट क्लास के हैं, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना होता है, तो उनको लगता है कि हमेशा कफ़रू होगा या इस तरह की चीजें होगी, तो जम्मू रीज़न का पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए न इसका फायदा हिन्दुओं को हो रहा है और न मुसलमानों को हो रहा है। माइग्रेशन एक बड़ा सवाल बन गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और डिमांड है कि कुछ चीजें इस सदन को अपने ध्यान में लेना चाहिए।

### **16.00 hrs**

Displaced persons who opt to return should be provided land, housing grant and loans to develop their own settlements, large enough to be able to have community sense and social security to re-develop their cultural and religious centres as well as infrastructure for overall development. यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने चीजों को बढ़ाया है, जिस तरह से इस सिचुएशन को बढ़ाया है, मैं यदि इस किताब को कोट करूंगा तो मैंने पहले जैसा कहा था, 70 ड्रेडेड टेरिस्ट्स को छोड़ा गया। आपने गलती की है। जुलाई और दिसम्बर, 1989 में 70 ड्रेडेड टेरिस्ट्स को तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकार ने रिलीज किया था। उसी तरह से 500 गावों के नाम हैं, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ सरकार ने जो सिचुएशन डेवलप की, उसे देखिए। इसमें 500 गांवों के नाम हैं। यह पूरा देखिए, जो उनका नोटिफिकेशन है, वह नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ। किस तरह से हिन्दू वहाँ से भागे हैं, इसका एक बड़ा सवाल इस तरह से है। उसके बाद जब वे वहाँ रहेंगे, such large settlements may be developed near the main business and administrative centres like Srinagar or around the religious places which have been the cementing force of the community. जैसे वहाँ खीर भवानी है, मार्तण्ड है, अवन्तिपुरा है, अमरनाथ है, गोकरनाग है, बैरीनाग है, इस तरह की जो जगहें हैं,

वहां आप यदि उनको बसाएं तो उसके साथ उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ नजर आएगा। Such settlements may be extension of the present cities or towns and need not be exclusively populated. It is the duty of the Government to ensure that separatist elements and terror groups do not interfere with the affairs of the displaced returnees and do not issue threats or dictate terms about settlements or political or social views of Kashmiri Pandits. जो की आज हो रहा है। यहां से रिजोल्यूशन लेकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। It is more important that not only the Government but also other political parties in nation and in Kashmir should not be influenced by the threats of propaganda unleashed by the fundamentalists and to be committed to the peaceful and practical settlement of Kashmiri displaced persons and all Hindus who may have migrated before 1989. A clear and definite space has to be created in Kashmir valley for all minorities to live in peace and honour. इसीलिए मेरा इस सभा से आग्रह है कि जो तीन तरह के विस्थापित हैं, जो लोग 1990 के बाद से, खासकर वर्ष 1982 के बाद विस्थापित हुए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारत सरकार और राज्य सरकार ने जिनका संज्ञान नहीं लिया है, पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे एरियाज जो इललीगली पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर का पार्ट है, अक्साई चिन है, नॉर्दन रेंज है, गिलगित-बाल्टिस्तान का एरिया है, इन सभी एरियाज को वापस लाने के लिए प्रयास होना चाहिए। फिलहाल, इन विस्थापितों के पुनर्वास के साथ-साथ, संविधान में एक आर्टिकल 370ए जोड़ना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर एसेम्बली में पाक आक्युपाइड जम्मू-कश्मीर के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसी तरह से यहां सेंटर में भी उनकी सीट्स रिजर्व हों, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन इस पार्लियामेंट में नजर आए, जिससे हमारे जैसे लोगों से ज्यादा वे अपने दुख-दर्द को बयां कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात पूरी करूंगा।

महोदय, मैं निशिकांत दुबे जी द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण संकल्प, कश्मीरी हिन्दू कहें, कश्मीरी पंडित कहें, उन विस्थापितों की पुनर्वापसी के संकल्प के साथ अपने आपको प्रतिबद्ध करता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आन्दोलनों में जेल गया और इस नारे के साथ ही मैं इस पार्टी में आया और आज इस सदन में खड़े होकर बोल रहा हूं। डेढ़ हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर का एक नौजवान सिर्फ कश्मीर के भूगोल से नहीं जुड़ता, मैं अपने जीवन में उसके पहले कभी कश्मीर नहीं गया, लेकिन वह दर्द मेरे जैसे लोगों के मन में था। इसलिए मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि जिसकी वह जन्मभूमि है, जो वहां पैदा हुआ है, वह उससे बाहर इस देश में निर्वासित है, उसके मन में वापसी के लिए कितना दर्द होगा, पहले इस पर विचार होना चाहिए।

मैं यह सब पढ़ता था, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी को कोई इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं किसी को इतिहास की दुहाई नहीं देना चाहता, वे पढ़ें जिन्हें कागजों से या आंकड़ों से खेलना है। लेकिन देश के इतिहास में इससे ज्यादा भीषण त्रासदी नहीं हो सकती कि 60-70 साल का आज़ादी के बाद हमारा अपना व्यक्ति, जिसका जन्म स्थान है, जो आज़ाद भारत का व्यक्ति है, वह अपने मतदान के लिए तरसे। उसकी चर्चा सदन में इसलिए न हो क्योंकि उसकी वोटों की संख्या कम है, यह दुख का विषय है। कम से कम सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जैसा निशिकांत जी ने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग यहां आए, वे अधिकांश हरिजन हैं, उन्हें आज तक मतदान का अधिकार नहीं मिला है। यहां तक कि उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हुई। वे लोग वहां से इसलिए भगाए गए, क्योंकि वे हिन्दू थे, मारकर भगाए थे और तब से आज तक उन्हें एक भी नागरिक सुविधा जम्मू-कश्मीर के भूगोल के भीतर नहीं है।

दूसरी तरफ जो जम्मू-कश्मीर में पैदा हुआ, मैं सदन का सदस्य था जिस दिन जगमोहन जी को वहां से हटाया गया। हम लोग इसी कुर्सी से उनका भाषण सुन रहे थे। उस भाषण से तय हो गया था कि जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है। विस्थापन 1982 से शुरू हुआ, जब गांवों के नाम बदले गए। उस वहां हिन्दू रह रहे थे, उनकी उपस्थिति में गांवों के नाम बदल दिए गए थे।

दूसरी घटना 1986 में हुई, जब सरेआम वहां घर जलाए गए। हम तब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमने अपने करबे को बंद किया था। हम जानते नहीं थे कि वहां क्या

हुआ है और न ही गांव का नाम जानते थे। मैं 1989 में सदन का सदस्य था, जब वह घटना घटी थी, तब मैं यहां खड़ा था। उस समय सैफुद्दीन सोज़ साहब यहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा के लिए ही चर्चा न करें। वहां की परिस्थितियां विपरीत हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

सदन इस बात का गवाह है कि इसी सदन ने सर्वसम्मति से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह प्रस्ताव पारित किया था। इसका भी हमें सदैव ध्यान रखना होगा, बोलने के पहले और कुछ करने के पहले इस संकल्प को निश्चित रूप से दोहराने और उसे पूरा करने के लिए हम, आप और सबको एक साथ प्रयास करने होंगे।

मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें पता है कि जम्मू-कश्मीर के कितने विस्थापित हैं? उपाध्यक्ष जी, 1989 में जो विस्थापित हुआ, उसे 26 साल हो गए हैं। अगर वह कश्मीर में पैदा हुआ था तो उसकी उम्र आज 26 वर्ष है, उसकी गिनती नहीं है। इनकी संख्या क्या है, इस बारे में कोई सात लाख कहता है, कोई आठ लाख कहता है। देश के भीतर जो कैम्प हैं, उनकी संख्या नहीं है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इसने इन लोगों को मतदान का अधिकार दिया। लेकिन मतदाता के रूप में क्या उनका नाम वहां दर्ज है, अगर मतदाता सूची से उसका नाम कट गया है तो उसे दिल्ली के मतदान केन्द्र पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह भी सच्चाई है। हमने इस समस्या का कभी पूरी तरह से समाधान नहीं खोजा। आज अगर चर्चा होती है तो जो विस्थापित हैं, जिन्हें हम कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी हिन्दू कहते हैं, अगर कोई विस्थापित दिल्ली में रहता है तो उसका वहां मकान है। लोगों ने मुझे फोटो दिखाई हैं। मेरे एक मित्र हैं विनोद फोतेदार, उन्होंने बताया कि मेरा घर आप गूगल पर देखिए। उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी थे, वहां की सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। उसने कहा कि मैं जब वहां जाता हूं और लौटकर आता हूं तो दो दिन तक सामान्य नहीं रह पाता। मैं तो उस समय सिर्फ चार साल का था, मेरे भाई यहां पर पैदा हुए, लेकिन संख्या नहीं पता है। उनका सबसे बड़ा दर्द है कि जब वे वापस जाएंगे, उसने यह भी बताया कि हम साल में एक बार वहां जाते हैं, चाहे विदेश में कोई रहता हो, तो वह भी साल में एक बार जरूर अपने घर को देखने के लिए वहां जाता है। आप उसकी कसक देखिए, यह एक अहम् बात है। फिर उसने कहा कि हम अपना कोई भी धार्मिक आयोजन आज़ादीपूर्वक वहां नहीं कर सकते, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार तो हमें दिल्ली में भी हासिल है। वह कौम लड़ाकू कौम है, उसने साबित कर दिया कि हम भीख मांगकर नहीं खाएंगे, हम अपने बलबूते पर खाएंगे और यह बात साबित भी कर दी। उन पर कभी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। लेकिन उसने जो सबसे अहम् बात कही कि जब हम वहां वापस

जाएंगे, तो क्या हमें हमारी धार्मिक आज़ादी मिलेगी। आज भी वहां का मुसलमान, जो उनका पड़ोसी है, आज भी दिल्ली आकर उनके पास बैठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

हिन्दू-मुसलमान की जो बातें कही जाती हैं, वह बातचीत तो यहां आकर वैसे ही करता है, जैसे पहले रिश्तेदारी की तरह करता था, एक अच्छे पड़ोसी की तरह करता था। लेकिन जब ये लौटकर जाएंगे तब उसे आज़ादी मिलेगी, ये उसे जिंदा बचा पाएंगे। क्योंकि वह कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से अपनी बहनों की इज्जत लुटते हुए देखी है। हमने अपनी आंखों के सामने अपने सम्बन्धियों को मरते हुए देखा है। भवन ढहाए जाएं, उनमें आग लगा दी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, उसके लिए उसने विकल्प सुझाए। आज भी जम्मू-कश्मीर की सीमा के अंदर जहां पर एक अच्छा पक्ष है, जहां धार्मिक स्थान है, लाखों की संख्या में वहां लोग जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अकेली बस्ती न बने। उन्होंने कहा है कि केवल हम लोगों की बस्ती न बने। वहां के लोकल लोग रहें। लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर होना चाहिए। कोई ऐसा प्रावधान कीजिए जो सेना की छावनियों के साथ हो। वहां हम सुरक्षित भी होंगे और हमारा रोजगार भी होगा। हमारे धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। हम नहीं कहते हैं कि केवल केवल पंडितों की या हिन्दुओं की कॉलोनी बसायी जाए। वहां मुसलमान भी हों, वहां के स्थानीय लोग भी हों और उनको भी रोजगार मिले। यह हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चाहत है कि हमें धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए। मैं कुछ सवाल यहां खड़े करना चाहता हूं कि इस देश की संसद को देश में कितने विस्थापित हैं, इसकी संख्या जानने का अधिकार नहीं है? यह सबसे अहम सवाल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस देश के भीतर इतना अमानवीय काम होता रहा है और उसके बावजूद भी हम वाजिब संख्या न जान पाए, क्या यह हम पर लानत नहीं है? क्या यह हमारे लिए चुनौती नहीं है? हम लोग कागजों के द्वारा सरकार से प्रश्न पूछें, इससे अच्छा यह होगा और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक बार इसको देखा जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की सीमा के बाहर वहां से भगाए गए लोगों की संख्या कितनी है? कितने परिवार हैं? वर्ष 1989 में उनकी संख्या कितनी थी और उसके बाद पैदा हुए लोगों के साथ उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है? यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा सवाल है कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अधिकांश शरणार्थी हरिजन हैं, जिनके पास नागरिक सुविधाओं के नाम पर एक भी चीज नहीं है। मैंने मजदूरों के क्षेत्र में काम किया है। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां छात्रावास है, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। छात्रावास में आप रहिए, मुफ्त में खाइए, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मैंने इसी सदन में काला कोट का सवाल उठाया था तो पहली बार उस कोयले की खदान में मजदूरी बढ़ी थी। मैंने इसी सदन में कहा था और उस समय लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट



के तहत पूरे हिन्दुस्तान में एक साल में किसी भी महंगी गाड़ी पर पचास हजार रुपये टैक्स नहीं लगता है। लेकिन शिवकोड़ी के मंदिर में खच्चर चलाने वाले से एक साल में पचास हजार रुपये का टैक्स वसूला जाता है। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बाद में उसे घटा कर 27 हजार रुपये किया था। वहां कानून नाम की चीज नहीं है। जो लोग धारा 370 का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां मुसलमान हैं, जो लोधी और साहू इत्यादि हैं। वह कभी हिन्दू था, इसलिए वह अपनी जाति आज भी हिन्दू की ही लिखता है। हमारे मजदूर मोर्चे का अध्यक्ष लोध है, वह लोधी जाति का है, जबकि वह मुसलमान है। वहां उस मजदूर को कोई हक नहीं है। वहां कोई कानून नहीं है। धारा 370 जिनको चाहिए, उनको दीजिए, लेकिन आप उस गरीब मजदूर के प्राण क्यों ले रहे हैं? क्या सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आप धारा 370 को भाजपा के चश्मे से देखना चाहते हैं, आप जनसंघ के आंदोलन से देखना चाहते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैं चाहता हूं कि संसद का डेलीगेशन वहां जाए, उन गांवों में जाए, जहां सौ फीसदी मुसलमान मजदूर और किसान हैं, उनके हालात देख कर आइए। उसके बाद अपनी छाती पर हाथ रख कर इस सदन में कहिए।

**श्री भर्तृहरि महताब:** विदआउट सिक्योरिटी जाना चाहिए।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** विदआउट सिक्योरिटी जाने का साहस कितने लोग करेंगे और मैं विदआउट सिक्योरिटी जाने के लिए तो नहीं कहता, यह अपनी इच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आप सुरक्षा के बीच में जाइए और वहां के हालात देखकर आइए। उसके बाद सदन में कहिए कि वहां धारा 370 रहनी चाहिए या नहीं। मेरा दावा है कि अगर आप हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और वहां जो तमाशा देख कर आएंगे तो आपको रो कर कहना पड़ेगा कि धारा 370 वहां नहीं होनी चाहिए। मैं मजदूरों को संरक्षण देने वाले एक कार्यकर्ता के नाते इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वहां के कुछ स्थान हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है, जो वैकल्पिक स्थान हो सकते हैं, वहां शरणार्थियों को, उनको शरणार्थी कहना शर्म की बात है, उन कश्मीरी ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान के लिए बनिहाल, अनंतनाग, जो सबसे ज्यादा क्रूर जगह मानी जाती है, वहां बसाया जा सकता है। कुलगाम में बसाया जा सकता है। अवंतीपुरा में बसाया जा सकता है। श्रीनगर में इंदिरा नगर में उनको बसाया जा सकता है। बडगाम में भी बसाने का रास्ता निकल सकता है। मेरा कहना है कि आप वहां किसी कश्मीरी हिन्दू की या कश्मीरी ब्राह्मण की कॉलोनी मत बनाइए। वे भी चाहते हैं कि वहां के लोग आएँ, लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर, कोई आर्थिक समूह हो, जहां उनको संरक्षण मिले और संरक्षण इस बात का हो कि वे अपना सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रम आजादीपूर्वक कर सकें। यह गारण्टी इस सदन को देनी चाहिए। यह सबसे अहम सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहस इस सदन के भीतर हो। मैं

बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता जम्मू-कश्मीर की इस चुनौती के कारण बना और मैंने अपनी बात वहां से शुरू की थी। इसलिए मैं अंत भी उसी के साथ करूंगा। मेरे जैसे लोग, जिनकी भूगोल की सीमा वहां नहीं जुड़ती, अभी इस बीच में इन चार वर्षों में जब मैंने मजदूरों का काम किया तो उन जिलों में मुझे जाने का मौका मिला, मैं सुरक्षा लेकर नहीं गया। महताब जी, सुरक्षा लेकर जाने में मरने की गारंटी है, लेकिन अगर वहां के कार्यकर्ता का भरोसा है तो मैं कहता हूं कि हम जैसे लोग आज भी जिंदा खड़े हैं। मैं 17 जिलों में गया हूं और उन जिलों में गया हूं, जहां कई जगहों पर हमारी पार्टी का काम भी नहीं था। मेरे जैसा व्यक्ति वहां होकर आया है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं दुनिया में सब कुछ जानता हूं। मैंने नड्डा जी का नाम लिया था, क्योंकि उस समय कहा गया था कि लाल चौक में आपको सेना के कैम्प से पैदल जाना पड़ेगा और मुझे इसलिए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मेरी लम्बाई ज्यादा थी। इसलिए मैं अपने आपको दुर्भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रवाद के लिए अगर मर जाएं तो उसी जमीन पर मरें तो हम उसे गर्व मानेंगे। मैं चाहता हूं कि हमने अपनी आंखों के सामने उस पूरे विशाल भारत, अखंड भारत का सपना इस सदन में प्रस्ताव के माध्यम से देखा है, वह एक दिन हम अपनी आंखों से देखें। वह दिन जल्दी आए और हमारी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले वे लोग, जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है, मैं चाहूंगा कि वे सम्मान की जिंदगी जीएं और इस सदन और सरकार का धन्यवाद करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, my esteemed colleague Shri Nishikant Dubey has brought forward the Resolution for the immediate steps for rehabilitation and welfare of the displaced persons from Kashmir. Kashmir is regarded as the crown of India. We recognize Kashmir as heaven on earth but, for the displaced persons, Kashmir has become a hell on earth.

First of all, I would like to draw the attention of the Ministry concerned to the fact that whether we have any national policy or any national law for the displaced persons in our country because it is a very fundamental question that needs to be resolved before going any further. What does it mean by “displaced persons?” What is the distinction among displaced, migrant and refugees? All the nuances sometimes confuse the common people.

As per the international parlance, the expression “internally displaced persons “ is defined as follows and I quote:

“Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violation of human rights or natural or human-made disasters and who have not crossed an international border...”

These are called the internally displaced persons. But, Sir, for those Kashmiri pandits who have been coerced into leaving the Valley, they have not been categorized as internally displaced persons. Rather, they are treated as migrants. What is the reason behind it? Is the Government keen on shirking its responsibility on its own population or any other reason thereof? I need to know about it. Our Law Minister is also present in this House. So, I seize the opportunity to draw his attention also. Displacement is not simply a phenomenon of our country. Displacement has assumed a global phenomenon.

Right now a large population in the West Asian Arab region are being displaced by the onslaught of ISIS. In African countries also, displacements have been continuing from Sudan to Libya, Hutu, Tutsi, etc. Therefore, displacement is not confined to India, it is a global phenomenon. As we are experiencing this kind of displacement, we need to have a comprehensive policy on it because displacement will not occur only in Jammu and Kashmir Valley. If you see the North-East, the multi-racial, multi-religious, and multi-ethnic nature of Assam closely parallels the character of other States in geographically nearer North Eastern Region of India. While conflict in the North Eastern occurred predominantly in the form of varying tribes and insurgents causing a highly volatile and unstable situation, much of this conflict takes place in the form of ethnic warfare which developed in the region since the beginning of the post-colonial era between tribes such as Bodos, Santhal. A few days earlier, we have witnessed grave killings in Bodoland also. The strategy of ethnic cleansing has been pursued for their own autonomy. These are various types of displacements that have been occurring in our country.

Those displaced persons have not crossed the international borders. Once they cross the international borders, they may be treated as refugees. Once they become refugees, then, he or she would have the international attention. However, still India is such a country, if you see the Kashmir Valley, where refugees still are waiting for their legal entitlements. Those who are the sons of the soil of J&K, have been displaced and are suffering a pitiable life.

Denial of displacement has overshadowed the creation of domestic legislation for Internally Displaced Persons. National responsibility has been accepted only for those displaced by the Kashmir conflict although these people are identified as migrants. It has been estimated that there are 6.50 lakh Internally Displaced Persons in our country but there is no Central agency or policy for monitoring and implementing strategies of IDP. Therefore, this is the occasion when we can at least ponder over the situation, along with all its implications and

ramifications, we can aim of resolving it permanently because Kashmir *Pandits*, those who have been displaced, those who are recognised in our country as migrants, they are suffering a sordid life, since they are displaced from the Valley.

First of all, they thought that these are the problems which will be overcome by months; months have been elongated to years; and now year after year, there is no light at the end of the tunnel for those poor and vulnerable Kashmiri *Pandits*. Issues may be raised here. We can easily pass the buck to some other's shoulder. But, that is not the end of the problem. Kashmiri Pandits were assured that they would be returned to the Valley once the NDA comes to power. Yes, it was the commitment made by the BJP. Even Rajnath Singh *ji*, our hon. Home Minister has sought land from Omar Abdullah *ji* also. But, if you ask any Kashmiri Pandit whether they would like to go back to the Valley, the first question they would ask, whether their lives will be secure there. It is because, it is the fear of security and the security for life along with honour which had compelled them to leave the Valley. They had been compelled to leave their birthplace because of lack of security. So, without pushing them into a world of illusion, first of all, we need to create a conducive environment, more precisely, I would say, a demographic environment. Insofar as demographic composition is concerned, the Muslims are the predominant population in the Valley. So, the demographic environment is not conducive for those Kashmiri migrants. Demographic composition always plays averse to the return of those migrants. Therefore, a secular culture, a secular environment needs to be developed in the Valley; the Government should strive for it.

Now, what we are experiencing is that even Pakistani flags are being unfurled there, are being waved there with impunity. These kinds of incidents do not inspire any confidence among the Kashmiri Pandits. Therefore, first of all, we need to have a conducive and security environment in Kashmir Valley.

I would simply ask our hon. Minister that a proposal with financial implications of Rs. 5,820 crore has been received from the Government of Jammu

& Kashmir in the existing PM's Package for Relief and Rehabilitation of Kashmiri migrants, 2008. The proposal envisages upward revision of the scale of the most of the items of existing package. It seeks enhancement of financial assistance for construction/ reconstruction of houses up to Rs. 20 lakh, financial assistance for providing 3000 Government jobs to the migrant youths, financial assistance of Rs. 10 lakh for self employment/ business venture, construction of 2000 transit accommodations in the Valley, financial assistance of Rs. 900 crore for acquiring land for establishing cluster accommodations etc. Jobs have been provided under 2008 package to 1,553 Kashmiri migrants.

Sir, I would refer to one paragraph of the Report of the Standing Committee on Home Affairs for drawing the attention of the Home Minister.

“The Committee is displeased to note that non finalization of projects or other procedural wrangles under rehabilitation of Kashmiri migrants’ scheme led to under expenditure and decrease in allocation during last financial year. The Committee recommends that the Ministry should pursue with Cabinet Secretariat for early approval of proposed rehabilitation plan. The Committee hopes that the Ministry would utilize allocated amount during this fiscal in time. The Committee feels that the Government should look positively into the proposal of the State Government of J&K in the existing PM’s package for Relief and Rehabilitation of Kashmiri Migrants as view of the State Government alongwith representative of migrants should be given priority while finalizing or reformulating any package or rehabilitation plan for the migrants. The Committee notes that the Ministry has accorded approval for enhancement of cash relief to the Kashmiri migrants from the present level of Rs. 1,650/- per person per month to Rs. 2,500/- per person per month and recommends that the matter should be pursued vigorously with the Ministry of Finance for their concurrence.”

With these words, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards my request. I also thank the mover of this Resolution.

---

HON. DEPUTY SPEAKER:Now, we will take up next item Private Members' Bills to be introduced.

**16.31 hrs**

**PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced**

**(i) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO  
STATE OF KERALA BILL, 2015\***

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Bills for introduction.

Item No. 66 – Shri M.K. Raghavan.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Kerala for the purpose of development of education, especially for girl child, power, transportation and agriculture.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Kerala for the purpose of development of education, especially for girl child, power, transportation and agriculture.”

*The motion was adopted.*

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

---

**16.32 hrs**

**(ii) WATERWAYS DEVELOPMENT COUNCIL BILL, 2015\***

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the development and promotion of waterways as an alternate means of transportation in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the development and promotion of waterways as an alternate means of

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015



transportation in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

*The motion was adopted.*

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

### **16.32 ½ hrs**

#### **(iii) EASTERN REGION TOURISM PROMOTION BOARD BILL, 2015\***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटन संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना करने और तत्संस्कृत तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of Tourism Promotion Board for the eastern region of the country and for matters connected therewith and incidental thereto.”

*The motion was adopted.*

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

### **16.33 hrs**

#### **(iv) FLOOD AND DROUGHT CONTROL BILL, 2015\***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाढ़ और सूखे का नियंत्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Flood and Drought Control Board to control flood and drought and for matters connected therewith and incidental thereto.”

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

### **16.33 ½ hrs**

#### **(v) NATIONAL FOOD SECURITY AUTHORITY BILL, 2015\***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Food Security Authority for providing food security to citizens for matters connected therewith or incidental thereto.”

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 41, Shri Kalikesh N. Singh Deo – Not present.

Item No. 42, Shri Kalikesh N. Singh Deo – Not present.

Item No. 43 – Shri Ravneet Singh.

### **16.34 hrs**

#### **(vi) CLINICAL ESTABLISHMENT (REGISTRATION AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015\*** ***(Substitution of new section for section 7, etc.)***

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010.”

*The motion was adopted.*

SHRI RAVNEET SINGH: I introduce the Bill.

**16.35 hrs**

**(vii) COMPULSORY SPORTS EDUCATION AND  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SCHOOLS BILL, 2015\***

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य खेल शिक्षा तथा विद्यालयों में अपेक्षित अवसंरचना का उपबन्ध और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory sports education from primary to senior secondary level and provision of requisite infrastructure in schools and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**16.35 ½ hrs**

**(viii) PRESERVATION AND PROTECTION OF  
HISTORICAL HERITAGE BILL, 2015\***

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐतिहासिक धरोहर का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for framing of a national policy for preservation and protection of historical heritage and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

**16.36 hrs**

**(ix) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
***(Amendment of article 348)***

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

---

**16.36 ½ hrs**

**(x) IDENTIFICATION OF CALLERS USING  
PUBLIC TELEPHONE BILL, 2015\***

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for identification of callers and maintaining record of calls made from public call office in the interest of national security and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for identification of callers and maintaining record of calls made from public call

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

office in the interest of national security and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

---

**16.37 hrs**

**(xi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of article 72)*

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

---

**16.37 ½ hrs**

**(xii) PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL  
 OFFENCES (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of section 4)*

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”

*The motion was adopted.*

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : I introduce the Bill.

---

**16.38 hrs**

**(xiii) GIRL CHILD (PROVISION OF EXTRA AMENITIES) BILL, 2015\***

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for extra amenities to the girl child having no male siblings in the family including incentives to parents of girl child irrespective of their financial status and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for extra amenities to the girl child having no male siblings in the family including incentives to parents of girl child irrespective of their financial status and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

SHRI PRALHAD JOSHI: I introduce the Bill.

---

**16.38 ½ hrs**

**(xiv) PRIVATE DRIVERS (WELFARE) BILL, 2015\***

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निजी चालक कल्याण निधि के नाम से एक निधि के गठन द्वारा निजी चालकों के कल्याण और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of private drivers by constituting a Fund to be known as the Private Drivers Welfare Fund and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

श्री महेश गिरी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

**16.39 hrs**

**(xv) COMMISSION FOR THE FORMATION OF THE  
STATE OF BUNDELKHAND BILL, 2015\***

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन कर पृथक बुन्देलखण्ड राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for the formation of a separate State of Bundelkhand by reorganisation of the existing States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and for matters connected therewith.”

*The motion was adopted.*

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

**16.40hrs**

**(xvi) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Substitution of new section for section 326A)*

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860. ”

*The motion was adopted.*

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.40 ½ hrs**

**(xvii) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2015\***

*(Amendment of section 357A)*

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.”

*The motion was adopted.*

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill

---

**16.41 hrs**

**(xviii) CONTEMPT OF COURTS (AMENDMENT) BILL, 2015\***

*(Amendment of section 1, etc.)*

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971. ”

*The motion was adopted.*

डॉ. संजय जायसवाल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---



---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015



**16.41 ½ hrs****(xix) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT  
GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2015\****(Amendment of section 2)*

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.”

*The motion was adopted.*

श्री नाना पटोले: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**16.41 ¾ hrs****(xx) PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES  
(PROHIBITION OF SEX SELECTION) AMENDMENT BILL, 2015\****(Amendment of section 2, etc.)*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.”

*The motion was adopted.*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, I introduce the Bill.

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

**16.42 hrs**

**(xxi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Insertion of new articles 112A and 202A)*

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY (ANANTAPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

SHRI J.C. DIVAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.42 ½ hrs**

**(xxii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of article 330)*

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

SHRI ANANDRAO ADSUL: Sir, I introduce the Bill.

---

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

**16.43 hrs****(xxiii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of article 25)*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

*The motion was adopted.*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.43 ½ hrs****(xxiv) TECHNOLOGY BANK OF INDIA BILL, 2015\***

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a Technology Bank to assist professionals engaged in research work in various disciplines.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Technology Bank to assist professionals engaged in research work in various disciplines.”

*The motion was adopted.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member may now introduce the Bill.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: Sir, I introduce the Bill.

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

**16.44 hrs****(xxv) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of section 304B)*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

*The motion was adopted.*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce the Bill.

---

**16.45hrs****(xxvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2015\***  
*(Amendment of article 16)*

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

SHRI ANANDRAO ADSUL: I introduce the Bill.

---

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.68, Shri Adhalrao Patil Shivajirao – Not present.

Item No.69, Shri Adhalrao Patil Shivajirao – Not present.

Item No.70, Shri Adhalrao Patil Shivajirao – Not present.

**16.45 ½ hrs**

**(xxvii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2015\***

*(Amendment of section 370A)*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

*The motion was adopted.*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: I introduce the Bill.

---

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 08.05.2015

**16.46 hrs****COMPULSORY VOTING BILL, 2014--Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the House shall take up Item No.74 –Further consideration of the motion moved by Shri Janardan Singh ‘Sigriwal’ on the 13<sup>th</sup> March, 2015 in respect of Compulsory Voting Bill.

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) :** महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने साथी श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी के अनिवार्य मतदान के विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, भारत के संविधान में जब संविधान सभा पेश हो रही थी, उस प्रस्तावना को पढ़ना चाहूँगा। उसमें कहा गया है, " हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व, सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं।"

महोदय, जब संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सोचा कि आखिर वे कौन लोग हैं, जिन सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को यह संविधान समर्पित हो रहा था, तो उन्होंने कल्पना की कि एक भी व्यक्ति इस राष्ट्र से अछूता न रहे। आजादी के इतने दिनों के बावजूद आज मतदान का जो प्रतिशत है, वह 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। हमको यह सोचना चाहिए कि जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, उनके इस कार्य को हम लोग किस रूप में रेखांकित करें? आखिर वे मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है कि मतदान में उनकी रूचि नहीं है? क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है? अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास न होता तो वे इस देश में नहीं रहते। यह लोकतंत्र ही है कि मेरे जैसा एक छोटे से मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा आज लोकतंत्र के कारण इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर आया है। यह लोकतंत्र ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ऐसी कोई और व्यवस्था नहीं है जिससे इस विविधता भरे देश में जहां हर पांच-दस किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, तब भी यह देश पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो यह लोकतंत्र है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों की मतदान में रूचि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि

लोकतंत्र में उनका विश्वास है। अगर विश्वास न होता तो यह देश इतनी मजबूती से आजादी के 68-70 बीतने के बाद बढ़ न रहा होता।

महोदय, जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इसमें रुचि नहीं है? जहां तक रुचि का सवाल है, तो उन्हें उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह सवाल देश के निर्माण का है, देश की एकता का है और देश की अखंडता का है। हम उनकी रुचि पर इसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह विषय रुचि का हो ही नहीं सकता है। यह देश की गरिमा का सवाल है। यह देश के सवा सौ करोड़ लोगों का सवाल है। इसे केवल उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतंत्र की नींव इसमें तभी मजबूत हो सकती है, जब इसमें एक-एक मतदाता भाग ले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि कुछ लोग अपने आलस्य के कारण मतदान में हिस्सा न लेते हों। यह आलस्य और रुचि का सवाल नहीं है। यह उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जब देश के संसाधन, विकास और अन्य सारी चीजों में उनका हिस्सा है, वे हर चीज में दावा करते हैं, देश उनको साथ लेकर चलता है तो यह उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह आलस्य का विषय भी नहीं है।

जो लोग इसके विरोध में हैं, जो लोग कहते हैं कि अनिवार्य मतदान नहीं होना चाहिए, कुछ लोग यह दावा करते हैं कि देश में राजनैतिक वातावरण नहीं है, इसलिए वे रुचि नहीं लेते हैं। आखिर राजनैतिक वातावरण को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या यह इस देश के नागरिकों की नहीं है? इस देश का वातावरण कैसे बदलेगा? किस माध्यम से इस राजनैतिक वातावरण को बदला जा सकता है। उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, वह माध्यम मतदान है। मतदान के अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप मतदान नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज को बदल नहीं सकेंगे। लोग बंद कमरों में बैठ कर राजनैतिक विश्लेषण करेंगे, राजनैतिक चर्चा करेंगे, सरकार को बनायेंगे और बिगाड़ेंगे और जिस दिन वोट देने की बात आयेगी, वोट देने का जो अधिकार संविधान में उन्हें मिला है, उनका वे प्रयोग नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया है।

कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्रत्याशी पसंद नहीं है। अगर प्रत्याशी नहीं पसंद है तो उसका क्या कारण है, उसको आप कैसे बदल सकते हैं, उसके प्रति आप अपनी अनिच्छा कैसे प्रकट कर सकते हैं? वह केवल घर में बैठ कर चर्चा करने से नहीं होगा, आपको नोटा का एक बटन मिला है, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन आपको वह प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मतदान के लिए जाना पड़ेगा। आप बिना मतदान के अपने प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? आप घर में बैठे-बैठे किसी विषय के प्रति कैसे राय बना सकते हैं?

कुछ लोग जो इसके घोर विरोधी हैं, जो अनिवार्य मतदान के विरोध में लिखते हैं उनके दो-तीन सवाल हैं, उनके सवाल ज्यादा नहीं हैं। वह भी मानते हैं कि देश में अनिवार्य मतदान होना चाहिए। वह कहते हैं कि आंतरिक पलायन और स्वास्थ्य का मामला है।

आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आज यह संभव नहीं है, आज से 68 साल पहले देश में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, दुनिया में इतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध होते तो शायद उसी समय अनिवार्य मतदान कर दिया जाता। आज देश में और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं कि जो जहां से चाहे वहां से मतदान कर सकते हैं। अनिवार्य मतदान केवल मतदान नहीं है, इसके माध्यम से बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, इसके माध्यम से देश से तुष्टीकरण दूर हो सकता है, देश में मतदाताओं की एक सूची बन सकती है, इस देश में जो चुनाव अव्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यह अनिवार्य मतदान इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कुछ समस्याएँ हो सकती हैं लेकिन जब इस पर चर्चा होगी और सरकार इस पर गंभीर रूप से विचार करके, जब इसके लिए नियमावली बनायेगी तो जितने विरोधियों के इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, वे अपने-आप ध्वस्त हो जायेंगे। अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से एक मतदान की व्यवस्था कर सकती है और जिस दिन इस देश में अनिवार्य मतदान हो गया, इस देश से तुष्टीकरण खत्म हो जायेगी, फिर देश के राजनैतिक कार्यकर्ता सिर्फ वोट के लिए नहीं दौड़ेंगे, वे क्षेत्र में जाकर समाज के विषय में बात करेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद।



SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTALA (NIZAMABAD): Sir, I primarily support the Bill on compulsory voting rights, but whenever we think of voting, I believe that as Indians, we should really go back a little bit into history. At the time of Independence, when Gandhiji said that ‘only the people who have passed matriculation should get voting rights’, Baba Saheb Ambedkar had said ‘everybody should get voting rights’. Everybody, who has a right to vote as a citizen of this country, is treated equally. So, right to vote has, in a greater sense, given a sense of respect to everybody in the village and particularly it has drowned the differences of caste and community and social inequality to a greater extent.

In the very same country which wanted voting rights for everybody, now we are in a situation where we are requesting everybody to come and vote. Primarily, this Bill speaks about certain interesting aspects where it proposes punishment if people do not vote and where it also proposes incentives when people come and vote. Before going into that, I would really say that all of us as politicians and public representatives today should think and introspect a little bit. Maybe few bad apples have rotten the whole basket. In the similar sense, few bad politicians or few bad examples have brought about a great bad name to our entire institution. People today feel that whatever a politician says is like वादा हमेशा खाली जाता है and they never fulfil what they say and so, what the point is in their voting.

When we clearly examine the voting pattern – illiterate *versus* literate votes – illiterates tend to vote more than the literates generally, somehow in the villages and rural areas. The literate people, who are very well educated, who know and understand the system, who know that they can change the system, they somehow do not come and vote. Now, the question is : How do we bring them to vote? Doing it by punishing somebody or by taking away somebody’s driving licence, I do not think, is a true meaning of democracy. People should be driven and people should be inspired so that they come on their own to vote. How do we make that happen? It can be done by increasing the respect of institutions like this.

When our colleague has brought this Bill, I would also request him to add a few more provisions. A political party has to get a minimum of 17 per cent votes to call itself a registered party, but when the very same party does not fulfil its promises, there is no provision anywhere in the rules of the Election Commission as to what that party is to do or what punishment the Election Commission can give to that party. Or individually as a Member of Parliament, I give ten promises to my people and if I cannot fulfil all of them, at the end of my term, I think, I should be, by law, liable to give explanation to the people. Until and unless that kind of accountability comes to our institution, I do not think that any amount of punishment will drive people to come and vote.

I sincerely understand the anguish, pain and concern of the fellow Member who has brought this Bill, but there are many sections which talk about punishing the citizens and many sections which talk about incentivising the citizens who vote. I do not agree with most part of it; I do agree with the spirit of the Bill.

I support the Bill, but I also request and recommend to all my fellow colleagues that let us be more accountable, let us try and improve the quality of debate in the House, let us try and improve the respect of our institution. Then, the people will automatically come and vote.

Thank you.

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने कम्पलसरी वोटिंग बिल, 2014 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं जनार्दन सिंह जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सोच जो डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना, उसे इस सदन के समक्ष लाने का काम किया।

### **16.59 hrs**

(Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

जहां इस बिल को पढ़कर खुशी हुई वहीं दूसरी ओर कई ऐसी खामियां भी दिखीं जिनके तहत मुझे लगता है कि इस बिल को दुबारा रिवाइज करना चाहिए। इसबिल को लाने की बात बहुत की जाती है। एक देश जिसकी जनसंख्या 123 करोड़ लोगों की है, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल कार्य अगर कुछ होगा तो वह यह होगा। 18 साल से ऊपर के एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना सबसे बड़ी समस्या होगी।

### **17.00 hrs**

जितने इलिजिबल वोटर्स हैं, उन सभी को एक दिन के अंदर पोलिंग बूथ में लाना और वोट डलवाना कठिन है, चुनाव आयोग की दिक्कतों को लाना, ये तमाम बैरियर हैं। इन बैरियरों को पढ़कर और समझ कर इसमें सुधार लाना पड़ेगा।

हम अक्सर टीवी और अखबारों में देखते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर हमारा वोट कोई और दे देता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो पोलिंग अधिकारी कहते हैं कि आपका वोट सुबह नौ बजे डाल दिया गया। आज आधार कार्ड के लिए फिंगर प्रिंट लिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक आई-स्कैन ली जा रही है। क्यों नहीं वोटिंग मशीन में भी फिंगर प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है? जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा हो, जिससे पता चल सके कि जो वोट डाला जा रहा है वह उसका खुद का वोट है न कि किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल जा रहा है। आज 20 से ज्यादा देशों में कम्पलसरी वोटिंग जैसा कानून है। सिंगापुर हमारे सिटी स्टेट के बराबर है, वहां कम्पलसरी वोटिंग सही तरह से चल रही है किंतु बड़े देश आस्ट्रेलिया में यह सुविधा सही तरह से नहीं चल रही है। अगर हम अपने देश में इस तरह का कानून लाएंगे तो सबसे बड़ा बैरियर हमारी जनसंख्या होगी। बिल के दूसरे पेज पर मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति वोट नहीं डालेगा उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, दो दिन की सजा, उसका राशन कार्ड छीन लिया जाना और दस साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की बात शामिल है। यदि आप इस तरह की सुविधाएं किसी व्यक्ति की छीनेंगे तो सबसे ज्यादा झटका गरीब आदमी को लगेगा। अगर आपको सुविधाएं छीननी है तो बिजली की सुविधाएं वापस लीजिए, पानी की सुविधा वापस लीजिए, गैस कनेक्शन की सुविधा वापस लीजिए। जब बड़े-बड़े बिजनेस मैन वोट डालने आते हैं तब वहां टीवी कैमरा लगा होता है

और अगले दिन उनकी फोटो छपती है। मगर गरीब आदमी की बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर एक दिन उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसको धक्के मारकर आप वोट नहीं डलवा सकते, उसकी सुविधाएं नहीं छीन सकते। मैं जनार्दन जी से अपील करूंगा कि वह इस बिल में संशोधन लाएं, यह प्रोसेस केवल एक दिन का नहीं होना चाहिए। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। दस दिन पहले से वोटिंग शुरू हो जाती है और आखिरी दिन वोटिंग खत्म होती है। हर स्टेट के अंदर अलग-अलग समय पर वोटिंग होती है, किंतु रिजल्ट एक दिन आता है। हमें भी ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर इस बिल में लाना पड़ेगा जिसके तहत हर नागरिक के पास बराबर का अधिकार हो, जिससे वह अपने हिसाब से वोट डाल सके। अगर हम मैनडेटरी वोटिंग लागू कर रहे हैं तो हर नागरिक के पास यह अधिकार भी होना चाहिए कि हमारे द्वारा निर्वाचित सांसद, विधायक, जिला परिषद् या सरपंच जब हमारी सोच के अनुसार कार्य न करे तो उसे दुबारा वोटिंग करके वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। चौधरी देवी लाल ने वर्ष 1989 में इसी सदन में कहा था कि जो लोग हमें चुन कर भेजते हैं उन लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे दुबारा वोटिंग करके हमें उस सीट से उतार सकें। राइट टू रिकॉल भी इस बिल में शामिल होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर हम वोटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम अपने आधार कार्ड को मोबाइल नम्बर से अटैच कर सकें। हम ऑन लाइन ऐसी व्यवस्था कर पायें कि आज जो भारतीय पढ़ाई या नौकरी करने के लिए विदेशों की धरती पर बैठे हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा पायें। वे भी ऑन लाइन वोटिंग करके या अपने मोबाइल के तहत वोटिंग करके इस देश की डेमोक्रेसी में अपना योगदान दे पायें।

माननीय सभापति महोदय, डिजिटल इंडिया का इस बिल में किस तरह से उपयोग होगा, उस बारे में मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचें। हमारे कई साथी इमर्जेंसी ड्यूटीज करते हैं, जो माइन्स ऑवर्स में काम करते हैं, जैसे डाक्टर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करने वाले जवान हैं या जो वोटिंग वाले दिन हमारे पोलिंग बूथ के बाहर बन्दूकें पकड़ कर बैठते हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं। वोटिंग बूथ के अंदर हमारे मास्टर्स, टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं। मैं अपील करूंगा कि जब हम वोटिंग मैनडेटरी कर रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं लेट ऑवर्स वोटिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि हर सिटिजन, चाहे वह कहीं पर भी ड्यूटी पर हो, वह भी आकर अपने वोट का इस्तेमाल कर पाये।

जहां तक वोटिंग बूथ की बात है, चूंकि यह मेरा पहला चुनाव था, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह देखने में आयी कि बुजुर्ग वोट देने नहीं जाते। मगर मैं एक बूथ चैक करने गया, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि चार युवा साथी एक 93 साल की महिला को चारपाई पर बैठाकर पोलिंग बूथ में भागकर घुसा रहे थे, क्योंकि छः बजने में केवल दस मिनट का समय बाकी था। वह माताजी 93 साल की उम्र में भी वोट

डालना चाहती थी, तो हमें ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी। चाहे हम मोबाइल वोटिंग मशीन्स बनानी पड़े, जो 75 साल की उम्र से ज्यादा आयु के व्यक्ति के घर पर जाकर वोट डलवाने का काम करे। उस समय मैं मानूंगा कि हमारे देश में हरेक को बराबर अधिकार है कि वह अपने वोट का उपयोग कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेनडेटरी वोटिंग कर दी जायेगी, अगर सदस्य मानेंगे तो उसका समय भी एक से दस दिन का कर दिया जायेगा, लेकिन इससे हमारे कई साथी नाराज भी होंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि यदि वोटिंग पीरियड दस दिन का होगा, तो इस दौरान एग्जिट पोल या टी.वी., अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, उसे कम्प्लीटली बैन करना पड़ेगा, क्योंकि दस दिनों में कहीं न कहीं ये लोग वोटर्स को इन्फ्लूअन्स भी करेंगे और जो रोल मेनडेटरी वोटिंग का है, वह भी डिस्टर्ब होगा। मैं माननीय सदस्य से यह भी आग्रह करूंगा कि वे इस पर भी सोच-विचार करने का काम करें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। माननीय सदस्य द्वारा बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं कि सरकारी नौकरी, एजुकेशन में भी कम्प्लसरी वोटिंग के तहत युवा साथी साथ दे रहा है, उनको सहायता देने का काम करेंगे। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि जितने सुझाव सभी सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उन्हें आप इस बिल में अमेंडमेंट्स के तौर पर लाने का काम करें। आपने बड़ी अच्छी सोच के साथ इस बिल को लाने का काम किया है। मैं अपनी ओर से आपका पूरा समर्थन करता हूँ और यही आग्रह करूंगा कि इनमें जो संशोधन जरूरी हैं, उन्हें आप लाने का काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Hon. Chairperson, thank you for giving me time to speak on the Compulsory Voting Bill in this august House. मैं अर्ज करना चाहूंगा कि India is a democratic Republic. इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी के तहत, प्रजातंत्र के तहत वोटर्स का राज है। हम सब यहां वोट्स के द्वारा आये हुए हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो हमारे मित्र हैं, जनार्दन सिंह जी एक लर्निंग मैम्बर हैं और यह अच्छे सुझाव के साथ अच्छा बिल लेकर आये हैं। आज की तारीख में चाहे म्युनिसिपैलिटी की वोटिंग हो, पीआरआईज की हो, लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए हो या पार्लियामेंट के लिए हो, 50 टू 60 परसेंट वोटिंग के आधार पर सरकार बनायी जाती है। Sometimes, it goes below 50 per cent and it is a matter which requires loud thinking. वास्तव में यह कैसे चलेगा कि 50 परसेंट वोट दे रहे हैं और उसके आधार पर गवर्नमेंट बनायी जा रही है? आपकी यह सोच सही है कि कम्पलसरी वोटिंग की जाये। उसके लिए आपने एक अच्छा बिल ड्राफ्ट किया और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं अपने विद्वान साथी को धन्यवाद भी दूंगा और कुछ हद तक इस बिल का समर्थन भी करूंगा, लेकिन जैसे मेरी विद्वान साथी चौटाला जी ने बताया कि इस बिल में कुछ कमियां भी हैं, उनका भी मैं दो मिनट में जिक्र करना चाहूंगा। Elections and voting are the lifeline. प्रजातंत्र बिना वोटिंग के अधूरा है इसलिए अच्छा बिल लाया गया है। 1892 में बेल्जियम में पहली बार कम्पलसरी वोटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। 1912 में आस्ट्रेलिया में इसे लाया गया। 32 देश कम्पलसरी वोटिंग के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 22 देशों में कम्पलसरी वोटिंग है, इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, चिल्ली, उरुग्वे है। विशेष तौर पर यह लैटिन अमेरिकी देशों में ज्यादा है।

भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यह बिल लाया गया है। भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। यहां एक बिलियन के लगभग मतदाता है। कम्पलसरी वोटिंग का क्या तरीका होना चाहिए? आपने यह नहीं लिखा है कि वोट नहीं देने वालों के खिलाफ क्या किया जाएगा। इसमें दो दिन के इम्प्रिजनमेंट के बारे में लिखा गया है। आस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, यहां 1912 से यह लागू है लेकिन वहां भी इस प्रकार की पनिशमेंट प्रपोज नहीं की गई है। मेरा मानना है कि इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को ट्रांसफर कराना होता है तो अपने पिताजी, माताजी या दादाजी को बीमार बताते हैं, इसी तरह लोग सर्टीफिकेट लेने जाएंगे कि उस दिन मैं बीमार था, इसलिए वोट देने नहीं गया। इस तरह वे पैसे खराब करेंगे और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह का प्रावधान न रखें।

क्या भारत को मैच्योर कंट्री के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसके कारण कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपको कम्पलसरी वोटिंग के लिए मैरिट्स को देखना होगा। कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा वोटों से जीतकर आता है इसका मतलब है कि उसकी लाएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग उसे पहचानते हैं, उसकी पापुलेरिटी ज्यादा लोगों में है इसलिए वह इलैक्शन जीत पाया। यह टॉपमोस्ट मैरिट है। डिमैरिट है कि आप किसी मतदाता को कम्पैल करके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। यह मतदाता की पर्सनल लिबर्टी है, अगर वह वोट नहीं देना चाहता, उसे कैसे इम्पोज कर सकते हैं? उसे कैसे हार्ड प्रैशर दे सकते हैं कि तुम्हें वोट देना पड़ेगा। यह तो उसकी पर्सनल लिबर्टी पर कुठाराघात हो। आपको मैरिट्स और डिमैरिट्स को देखना पड़ेगा। आपने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन आप इसे भी देखें।

कम्पलसरी वोटिंग में मतदान करने के लिए इन्सेन्टिव्स जरूरी हैं। आप देखें कि कम्पलसरी वोटिंग के लिए वर्तमान सिस्टम में इन्सेन्टिव्स इंट्रोड्यूस करके किस प्रकार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। कई बार पोलिटिकल पार्टियां बहुत ज्यादा जागरुकता से काम करती हैं, और वोटिंग 70 पर ले आती हैं। पार्लियामेंट की 70-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है, विधान सभा की 78-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है और यही कारण है कि रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। पोलिंग हाई होती है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी पार्टी आएगी। यह सिस्टम के आधार पर भी है लेकिन इन्सेन्टिव के कारण भी है। पोलिटिकल पार्टियां ऐसा नेटवर्क बनाकर और अच्छे लोगों से संपर्क करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकती हैं। लेकिन इससे पहले इन्सेन्टिव्स की जरूरत है, लोगों को जागरुक करने की जरूरत है ताकि वे वोट को अपना अधिकार समझें। वे समझ सकें कि वोट के क्या फायदे हैं। जो जोग अपने आपको हाइली क्वालिफाइड समझते हैं, वे भी वोट नहीं देते हैं। जैसा अभी उदाहरण दिया गया किया 93 वर्ष की लेडी ने वोट दिया। इसके लिए जागरुकता जरूरी है।

आपने जो बिल पेश किया है, इसमें फाइनैशियल ऑब्लीगेशन, रिपरक्शन आदि को देखा गया है। यह बिल वैल ड्राफ्टेड बिल है। मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग की जब परिस्थितियां आएंगी तो सरकार भी इस बारे में सोच सकती है। इस बिल में अभी और संशोधनों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इन्सेन्टिव्स को और जोड़ा जाए। जहां पर एक तरह से नकारात्मक तरीके से या कुठारात्मक तरीके से प्रोविजन्स किये जा रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए या उसका राशन कार्ड निलम्बित कर दिया जाए, वह नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जहां पर वोट न देने के कारण इतना अधिक उनको हैरेस किया जाए या उनको पनिश किया जाए, ऐसे प्रोविजन्स करना उचित नहीं है। अतः मेरे मित्र एवं विद्वान साथी जनार्दन जी से कहूंगा कि

इसको रीड्राफ्ट करें और इसको सही ढंग से लाएं, जैसे कि चौटाला जी ने कई सुझाव दिये हैं। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि इस बिल को वापस विद्वद्धा करके, पुनः नये सिरे से ड्राफ्ट करके, उसमें सारे एक्शंस, रिएक्शंस, रिपरकशंस सारी बातों को देखकर, समझकर ड्राफ्ट करके पेश करें तो ज्यादा उचित होगा। ऐसा मेरे साथी से निवेदन है। धन्यवाद।



**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** माननीय सभापति जी, एक अति महत्वपूर्ण विषय अनिवार्य मतदान पर जो विधेयक हमारे साथी जनार्दन जी लेकर आए हैं, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ कि अच्छा प्रस्ताव आया है। लोकतंत्र की सेहत और सूरत मजबूत और बेहतर हो, इसके लिए यह प्रस्ताव आया है।

सभापति जी, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते, आजादी के महान दीवाने नहीं होते, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सैनानियों ने और हमारे नेताओं ने भारत को आज़ाद कराने में कफ़ी बलिदान और अपना खून बहाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान रचा, उस संविधान में उन्होंने सबको एक वोट का अधिकार दिया। हमारे भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भी है। उसी संविधान ने जो अधिकार दिया कि सभी को मतदान करने का अधिकार है, यहां तक कि चाहे कोई राजा हो या रंक हो या राजा हो या मेहतरानी हो, यानी चाहे कोई महल में रहता हो या झोंपड़ी में रहता हो, मतदान के अधिकार के मामले में सभी एक हो जाते हैं। इसमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं है।

इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजा हो या रंक हो, सभी मतदान केन्द्र पर एक संग दिखेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है लेकिन हमें मतदान को अनिवार्य मतदान करना है। हमारे लोक तंत्र की यह महिमा है जिसके कारण हम आज पार्लियामेंट में हैं। चाहे नर हो या नारी हो, समता के साथ हम वोट करते हैं। जो हमारा वोट देने का अधिकार है, उस वोट देने के अधिकार को हम लूट में नहीं बदल सकते हैं।

मतदान किसी की जमींदारी नहीं है। यह हिस्सेदारी है, भागीदारी है और अपनी मर्जी से मतदान देने की स्वीकृति हरेक को होती है जिसे हमें और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण बनाना है। वोट के अधिकार को छोट का अधिकार कहा जाता है। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यानी गरीब का अधिकार है। हजारों साल से दबे हुए लोगों का अधिकार है। जो उपेक्षित हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, नाई हैं या कुम्हार जाति के लोग हैं या जिन्हें आप छोट कहते हैं, यानी वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यही हमारा अधिकार है। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो यहां पर डॉ. राम मनोहर लोहिया नहीं आते, कर्पूरी ठाकुर साहब नहीं आते, मुलायम सिंह यादव जी नहीं आते और लालू प्रसाद यादव जी नहीं आते, नीतिश कुमार जी नहीं आते। ऐसा सभी राज्यों में है।

भारत के विभिन्न राज्यों में है। वोट का अधिकार गरीब को, शोषित को, दलित को, लाचार को, माइनोंरिटी को और मुस्लिम को, सभी को दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि वोट का अधिकार किसी

की जमींदारी नहीं है। पासवान जी आए, रामसुंदर दास आए, जीतन राम मांझी भी आए। सब आए। इसीलिए मैंने कहा कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। भय मुक्त होना चाहिए। लालच नहीं होना चाहिए। आज दुनिया दौलत, माल-खजाने पर नज़र डालती है लेकिन दौलत, दुनिया, माल-खजाना दुनिया में रह जाएगा, वोट के अधिकार को संविधान में हमें मजबूत करना है। यही लोक तंत्र की गरिमा है। वोट नहीं तो हजारों साल से सताये हुए लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वोट की सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। वोट की ताकत मजबूत होनी चाहिए और अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे न उतरें तो सीढ़ी से उतारने का भी अधिकार रहना चाहिए। श्री लोकनारायण जयप्रकाश जी कहा करते थे कि नीचे उतारने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर जनता नाराज हो जाती है तो जिस लोकतंत्र की सीढ़ी से नेता ऊंचाई पर जाते हैं, उसे उतारने की ताकत भी मतदाता में है। मतदाता अगर सीढ़ी पर चढ़ाता है तो उसे उतार भी लेता है। चाहे कोई भी हो कभी भी इतराना नहीं चाहिए। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। आज चाहे एमएलए हो या एमपी हो या सरपांच हो या वार्ड कमिश्नर हो, किसी भी पद पर नर-नारी का भेदभाव नहीं है इसीलिए हम आज इस माइक पर सदन में बोल रहे हैं। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो मैं उनके की चोट पर कह सकता हूँ कि हमारा जो आदिवासी भाई वहां बैठा है, वह गौरव के साथ बैठा है। हमारी छाती ऊंची होती है कि गरीब को वोट देने का अधिकार मिला है। यही हमारी गरिमा है, यही हमारी ताकत है। चाहे जिस भी राज्य में हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं, वे आज तक ठीक नहीं हुई हैं। मतदाता सूची के नामों में भी हेराफेरी होती है। पुरुष के पहचान पत्र पर महिला की फोटो लग जाती है और महिला के पहचान पत्र पर पुरुष की फोटो लगी होती है। यह स्वयं मैंने देखा है। आज इसे सुधारना सबसे कठिन काम है। उम्र लिखने में भी गड़बड़ी दिखाई देती है। गरीबों के नाम मतदाता सूची में से काट दिए जाते हैं। बूथों पर उनके नाम हटा दिए जाते हैं, इस चालाकी पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है। गरीब लोग चाहे किसे भी वोट दें, लेकिन उनके वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें यातायात की सुविधा भी मिलनी चाहिए। लोगों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र देना सरकार का जिम्मा है। वोटिंग जरूरी है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी है। जंगल में, पहाड़ में, गांवों में रहने वाले लोगों को सताया जाता है। उन्हें अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि यह इलाका आदिवासी लोगों का है, यह गरीब का इलाका है, यहां उग्रवाद है और उग्रवाद के नाम पर वहां के बूथों को 15-15 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है। गरीब आदमी को वोट देने के लिए पांच-पांच नदियां पार करनी पड़ती हैं। बूढ़े लोग, विकलांग लोग इतनी दूर वोट देने के लिए कैसे जाएंगे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। उग्रवाद के नाम पर बूथों पर कब्जा किया जाता है।

मैं अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित किया जाए।

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

महोदय, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वोटिंग कंप्लसरी क्यों होनी चाहिए, वोट देने का अधिकार हमें भारत माता के उन सपूतों ने दिलाया है, जैसा अभी जय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारा देश वर्ष 1947 से पहले गुलाम था। राजगुरु, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद आदि ऐसे भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें वोट देने का अधिकार दिलाया। देश का एक संविधान बना। संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक हमें कुछ अधिकार मनुष्य जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। वोट देना अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 32 यह भी कहता है कि अधिकार न मिले तो सुप्रीम कोर्ट दिलवा देगा और किसी की मर्जी है, वह अपने अधिकार का उपयोग करे या न करे। लेकिन यहां मौलिक अधिकार के साथ-साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमारे देश के प्रति हमारी कमिटमेंट कितनी है। वोट न देने से कभी-कभी ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं, जो निश्चित रूप से देशद्रोही काम करते हैं और अपने स्वार्थ की बात करते हैं। ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते हैं, शिक्षाविद कहे जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, देश के लिए मार्ग बताते हैं कि देश के रणनीतिकारों को इस प्रकार से चलना चाहिए, लेकिन उनको चुनकर भेजने वाले देश के ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों को अपने पेट की भूख पूरी करनी होती है, उनको देश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि मैं वोट दूंगा तो यह नेता बन जाएगा और मुझे पांच वर्ष तक कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आज जो मिलता है, उसे मैं ले लूँ। ऐसे लोगों को लाभ का लालच दिया जाता है और वे लोग वोट कास्ट कर देते हैं। वोट का महत्व क्या है, कौन लोग चुनकर आने चाहिए, किन लोगों को देश की गति आगे बढ़ानी है या यदि यह देश आजादी के रूप में हमें मिला है तो इसीलिए मिला है कि हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। अब राजा केवल रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा किसी गरीब की झोपड़ी से भी पैदा हो सकता है। उसके लिए वोट का अधिकार हमें लोकतंत्र में मिला हुआ है। अब ऐसी रानियों के पेट से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं कि बेचारे बोल भी नहीं पाते, भाषण भी नहीं दे सकते, प्रजेंटेशन भी नहीं रख सकते, पढ़कर बोलते हैं तो आंकड़े भी सही नहीं बोल पाते, फिर भी लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। यह लोकतंत्र का अधिकार हमें इसलिए मिला है कि अगर कोई कैपेबल व्यक्ति है, कोई इस देश को चलाने वाला व्यक्ति है, जो इस देश को दुनिया में आगे ले जा सकता है, देश का नाम आगे बढ़ा सकता है तो

उसके लिए वोट की ताकत है। देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से सरकार को भी चाहिए कि उन लोगों में यह जागरूकता पैदा की जाए कि आपके वोट की इतनी बड़ी कीमत है।

देश आजाद होने के बाद जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक बार वह किसी राज्य में गए, वहां एक प्रधान ने उनका गिरेबान पकड़ लिया। नेहरू साहब की गिरेबान पकड़कर वह बोले - तुम कहते थे, हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। तब नेहरू जी ने कहा था कि इसी को आजादी कहते हैं कि तुम्हें देश के प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़ने का अधिकार मिला हुआ है। यही आजादी है, लेकिन आज कुछ लोग इसका मिसयूज करते हुए, केवल सुशासन के नाम से टोपियां पहनकर आज भी लोगों को भटकाव के मार्ग पर ले जा रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं। उनको आजादी का मतलब समझाने के लिए देश में इस कानून में बदलाव लाया जाना चाहिए, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। अगर सड़क नहीं बनती है तो उस गरीब आदमी की चप्पल टूट जाएगी, साइकिल टूट जाएगी, लेकिन सड़क नहीं बनती है। अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो देश का विकास करने की सोचेंगे। जिन लोगों को वोट के नाम पर शराब पिलाई गयी है या थोड़ा सा लालच दे दिया गया है, वे बेचारे पांच वर्ष तक पाप भोगते रहते हैं। अभी जिक्र किया गया है कि गांवों में पानी नहीं जाता है, सड़कें नहीं जाती हैं, वह इसी कुण्ठित मानसिकता के कारण है कि हम वोट पैसे देकर ले लेंगे, लालच देकर वोट ले लेंगे, जाति के नाम पर ले लेंगे। मेरी जाति का मैं उत्थान करूंगा, इसलिए लोग मुझे वोट देंगे। ऐसे भी लोग वोट दे देते हैं। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं जो कानूनविद् लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे घरों में बैठे रहते हैं कि इतनी तेज धूप में मैं क्यों जाऊं, आखिर मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है और अपने राज्य का, अपने देश के भाग्य का फैसला वे लोग कर देते हैं, इसको कोई व्यक्ति अन्यथा न ले, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जिन लोगों को अपने भविष्य की जानकारी नहीं होती है, जो सुबह मजदूरी करने जाते हैं और शाम को आते हैं, उन 100 प्रतिशत लोगों को लालच में वोट डालने के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए समझदार लोग भी वोट डालें, देश के प्रति उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उन्हें आलस्य त्यागना चाहिए। इसलिए वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में मैं यह बात कहूंगा, मैं सरकार वाली बात न कहते हुए, यह कहूंगा कि जब यह कानून लागू होगा तो अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, लेकिन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालता है तो पांच वर्ष तक उसे सब्सिडी आदि सरकारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा प्राविजन देश के कानून में होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता तो उसे सरकार से कोई ग्राण्ट लेने का भी राइट नहीं बनता है। ऐसा कोई प्राविजन होना चाहिए और देश में वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) :** सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और अच्छे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। The Bill to provide compulsory voting by the electorate in the country and matters connected therewith देश भर में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में बने कानून में एक संशोधन पहले भी कर चुके हैं।

कई वर्ष पहले लोग वोटिंग के लिए बहुत ही कम संख्या में जाते थे और लोगों को मतदान केन्द्रों पर लाना पड़ता था। उस समय करीब 52-53 प्रतिशत मतदान होता था। बड़े-बड़ शहरों में तो 27 से 30 प्रतिशत तक ही मतदान हो पाता था क्योंकि, अधिकांश लोग वोट डालने नहीं जाते थे। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं देने जाता तो उसे अगले पांच साल तक सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित रखना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ और इसलिए मेरा भी मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। जब चुनाव होता है, लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, अगर किसी को उसकी पसंद का उम्मीदवार अपने क्षेत्र में नहीं लगता तो अब वोटिंग मशीन में 'नोटा' का भी सिम्बल है, वह उसे दबाकर वोटिंग कर सकता है और अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है।

हमने यह भी देखा है कि कई जगह किसी एक बस्ती के लोग वोट ही नहीं करते। उनसे पहले ही किसी उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे इसलिए आप वोट करने मत जाना। मैं इसी बात पर एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। मैंने उन बस्ती वालों से पूछा कहा कि इस बस्ती के लोग वोट करने नहीं आए, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें पैसे दे दिए गए हैं इसलिए हम वोट करने नहीं जाएंगे। इस तरह दूसरे लोग वोट का हक ले लेते हैं और सही मायने में वह जनाधार नहीं कहलाता। इस तरह से कई जगह आज भी वोटिंग के समय भ्रष्टाचार होता है।

हम यह भी देखते हैं और समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि लोग चर्चा करते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वे ही अधिकांश लोग वोट नहीं करते और फिर सरकार पर या जनप्रतिनिधि पर हमला बोलते हैं कि कोई काम नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वोट नहीं करता, तो उसे फिर इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप वोट करते हैं, तब आप सरकार या अपने जनप्रतिनिधि के बारे में बोलने का अधिकार सही मायनों में रखते हैं। लेकिन देखा गया है कि वही लोग सरकार या जनप्रतिनिधियों की आलोचना ज्यादा करते हैं जो वोट नहीं डालते। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी पसंद की सरकार या जनप्रतिनिधि चुनना चाहता है तो वह वोट देने अवश्य जाता है।

मैं आपको इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब पिछले लोक सभा चुनाव हो रहे थे तो विदेश में रहने वाले मित्र हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने वोट डाला। वे अपने पैसे से यहां आए, वोट डाला और अपने खर्चे से ही वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को वोट डालने आए हैं, क्योंकि मोदी जी की लहर है, वह देश को आगे ले जाएंगे। जब विदेश से यहां लोग वोट करने आ सकते हैं तो यहीं के लोग अपना वोट क्यों नहीं डाल सकते। इस मामले में अभी कुछ सुधार हुआ है और मतदाता सूची में अब व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाती है, जिससे जाली वोट न डाला जा सके।

13वीं लोक सभा में जब एनडीए सरकार थी। उस समय ममता जी एनडी की लीडर थीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी को सिर्फ चार-पांच सीट्स ही मिली हैं, समझ में नहीं आता कि इतने कम वोट कैसे मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन करने के लिए एक टीम एनडीए की तरफ से भेजी जाए। तब मैं और किरीट सौमेया जी एनडीए के दो प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल गए। हमने वहां चुनाव के दौरान विजिट किया और कई जगह शूटींग भी कराई। हमने कई एरियाज में जाकर लोगों से पूछा और एक मतदान केन्द्र पर हमने देखा कि वहां मतदाताओं की कुल संख्या 800 है और वोट 840 पड़े हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसने ऐसा काम कराया, लेकिन हमने देखा कि फारवर्ड ब्लाक को दो, कांग्रेस पार्टी को एक और तृणमूल कांग्रेस को एक ही मत मिला। जब हमने कहा कि इतनी वोटिंग कैसे हुई और जब हमने इसकी छानबीन की तो वास्तविकता पता चली। फिर मैंने और किरीट सौमेया जी ने रिपोर्ट बनाई और आडवाणी जी दे दी। उसके बाद हम आडवाणी जी के साथ चुनाव आयोग के पास गए और कहा कि देखिए यह कैसे हो रहा है। वहां लोगों ने वोट नहीं किया, फिर भी उनके नाम का वोट डल गया है।

सभापति जी, मेरा मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते, उनसे सरकारी सुविधाएं जो इस देश में मिलती हैं, वापस ले लेनी चाहिए। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर मतदाता को अधिकार है अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का और उसे वापस बुलाने का भी अधिकार मतदाताओं को होना चाहिए।

मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और मेरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर था। वह वर्ष 1986 की लोक सभा थी। मेरे कलेक्टर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे। हमारी वहां मीटिंग चल रही थी। उसी समय एक लेडी वहां आयी। वह काफी एजुकेटेड थी। उसने डबल पीएचडी की हुई थी। वह मीटिंग में आ गयी। मैंने पूछा कि क्या बात है? वह कहने लगी कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। आप किस तरह के गार्डियन मिनिस्टर हैं। मैंने कहा कि आप अपना काम बताइए। उन्होंने कहा यह-यह काम है। मैंने कहा कि ये काम तो मैंने पहले ही कर दिए हैं। मेरा यह दूसरा काम नहीं हुआ, इस तरह की बातें मुझे सुना रही थी। तभी मेरी नजर उनकी अंगुली पर गयी। जिस प्रकार से मेरी अंगुली पर परसों की वोटिंग का निशान है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने वोट डाला है? उन्होंने कहा कि हां किया है। मैंने कहा कि अगर किया है तो आप अपनी अंगुली पर वोटिंग का निशान दिखाइए। उनकी अंगुली देखी तो निशान नहीं था। वह घबरा गयी। हाईली एजुकेटेड मैडम जो हमें सिखा रही थी, उसने वोट नहीं डाला था। वह कहने लगी कि वहां मैं गयी थी, लेकिन वहां वोटिंग नहीं हुई। आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लोग घरों में वोटिंग पर्चियां बांटते हैं, लेकिन उस समय पार्टी के कार्यकर्ता ही घर-घर जाकर वोटिंग स्लिप्स बांटते थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हमारे कार्यकर्ता ने आपको वोटिंग स्लिप दी थी? उन्होंने कहा कि हां दी थी। मैंने कहा, फिर आप वोट डालने क्यों नहीं गए? वह बोलने लगी कि मैं वहां गयी थी, लेकिन मुझे वहां अपना नाम नहीं मिला, इत्यादि। जब आप लोग वोट नहीं डालते हैं तो आपको इतना बोलने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने उनका काम किया। इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वे वोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए कम्प्लसरी वोटिंग होनी चाहिए। अगर कम्प्लसरी वोटिंग होगी तो उनका अधिकार है हम लोगों को बोलने का। अगर हम काम नहीं करते हैं, तो उनको बोलने का अधिकार होता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के द्वारा अच्छा भारत बनाने के लिए और लोग जब कहते हैं कि संसद में अच्छे लोग जाने चाहिए तो उसके लिए वोटिंग भी लोगों को करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि आप कम्प्लसरी वोटिंग का कानून बनाइए। कम्प्लसरी वोटिंग में नोटा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन कम्प्लसरी वोटिंग में यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उसको पांच साल तक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।



SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for allowing me to speak on Compulsory Voting Bill, 2014 which makes voting compulsory for every citizen who is eligible to vote.

In a country like ours which has a huge population, the election process is a strenuous job which is being done efficiently by the Election Commission of India. One has to commend this job of the Election Commission of India. Having said that, voting percentage in our country is not to the expected level.

In the recently concluded elections, in Tamil Nadu, the polling percentage was 75 per cent and above. This shows the awareness level of the citizens of our country and the State of Tamil Nadu.

Each country has a different selection pattern of Members of Parliament or Members of Legislatures or whatever it is. In certain countries, there are percentage-based representations in which elections are held. The total number of votes are calculated, each party gets a number of seats and they get elected according to the number of votes. But in our country, in each constituency, it is the number of votes polled which determines the winner. Some constituencies have 75 to 80 per cent of polling and in some other constituencies; the percentage is less than 50 per cent. This needs to be addressed. We have to see that those who boycott the elections and deliberately avoid voting should be brought to book and some sort of suitable measures or steps should be taken to see that everybody who has got the eligibility to vote should come and cast their votes or exercise their franchise.

It is a good thing that some suggestions are brought forward by the hon. Member like punishment. It is harsh to say it as a punishment. It has to be said that awareness should be created among the citizens so that everybody comes and votes. I do not agree to the suggestion that Government should give some incentive. Since many people are eligible to those types of incentives in a huge country like ours, it is difficult to go in for incentives.

The other thing is to make voting easier. The polling booths should be very near. This is a very good suggestion brought forth by the hon. Member. The polling booth should be within the limit of 500 metres so that everybody casts his vote within the area in which he is living. So, it is a very good suggestion.

One more suggestion is that voting should be made compulsory. If it is made compulsory, punishment is not the thing which I believe in. Awareness is needed and it should be made known to the citizens of India. They should be aware of their right to vote. It is their main right. The person who is going to be selected in their constituency should be selected by hundred per cent voters present in the constituency so that the selected candidate is held responsible and accountable to the people for future development of the constituency. So, in that regard, I welcome this Bill. The Government should make voting compulsory by bringing forward suitable measures and steps should be taken in this regard. Certain measures and amendments are needed to do this.

Finally, I really support this Bill. I once again thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

**श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) :** सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूँ। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन जब हम अपने देश की वोटिंग परसैन्टेज को देखते हैं तो हमारे देश में 40-45 परसैन्ट तक वोटिंग होती है। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग के बारे में एक प्राइवेट बिल सदन में लाया गया है। इसे कानून के रूप में लाने की गरज अब निर्माण हुई है। क्योंकि हमने देखा है कि 100 परसैन्ट वोटिंग नहीं हुई तो उसमें जो भी लोग अवैध रूप से पैसा, दारू और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से चुनाव जीतकर आते हैं, उनके बारे में कोर्ट में केसिज चलते हैं और उनके माध्यम से हमारे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकलता है। किंतु जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इन सब रास्तों से ऐसे लोगों का चुनकर आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 100 परसैन्ट वोटिंग का कानून हमारे देश में आया तो इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलेगा। डा.बाबासाहेब अम्बेडकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और इस संविधान को बनाने में लगभग दो से ढाई वर्ष का समय लगा।

डा.बाबासाहेब अम्बेडकर को उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, वह यह थी कि वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए तो बाबासाहेब का कहना था कि इस देश में जिन लोगों की उम्र 21 साल हो गई है, उन सभी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। लेकिन उस समय संविधान की जो समिति थी, उसमें कुछ लोगों का आग्रह था कि जो लोग टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों को ही वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उसमें जिद पकड़ी कि इस देश के सभी लोगों को, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और बाबासाहेब के आग्रह के आधार पर आज हमारे देश में, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है और इस अधिकार का सही उपयोग होने की आज गरज निर्माण हुई है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल को ऐसे पारित करना चाहिए, जैसे हमने नोटा का बिल पारित किया है। आज नोटा के बिल के बाद समाज में एक अलग प्रवृत्ति आ रही है। अगर हमें किसी को वोट नहीं करना है, गढ़चौली जो महाराष्ट्र में है, वहां पर नोटा दूसरे स्थान पर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर सौ टका वोटिंग को हम लोग इम्प्लिमेंटेशन करेंगे और उसके लिए कानून को और सख्त करेंगे तो मुझे लगता है कि इस नोटा के कानून की गरज नहीं पड़ेगी। अगर सौ टका वोटिंग हुई तो जो लोग 40 परसेंट वोटिंग करते हैं और 60 परसेंट एण्ड 100 परसेंट लोगों ने वोटिंग किया तो इस देश का

लोकतंत्र और मज़बूत होगा तथा अच्छे लोग लोक सभा, विधान सभा या हमारी लोकशाही के जितने भी मंदिर हैं, इन सभी जगहों में अच्छे लोगों को जाने का मौका मिलेगा।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह कानून आप बनाएंगे और सरकार भी उसका समर्थन करेगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the time allotted for the discussion of the Bill is almost completed. As there are six more Members to take part in the discussion on the Bill, the House may be extended for further discussion on the Bill. If the House agrees, the time for discussion of the Bill may be extended by one hour. This extension is only for the sake of the Bill. This is a Private Member's Bill and we have six more Members.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, आज तो संभव नहीं है।

माननीय सभापति: सिर्फ बिल का टाईम बढ़ा रहे हैं, सदन का नहीं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We would discuss this Bill up to 6 o' clock. Then, we would take up 'Zero Hour'. Is that okay?

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We are extending the time of the House only for the Bill, afterwards, there would be 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Or are we agreeing to extend the time of the House by one hour?

... (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I am on a point of order. I just wanted a clarification. We are talking about the compulsory voting. ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Okay. We would sit up to 6 o' clock.

... (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : When we are talking about democracy; democracy means freedom. ... (Interruptions) I just want a clarification from the hon. Member who has moved this Bill, how can you make voting compulsory

when the basic tenet or belief of democracy is freedom. That is one clarification I wanted. ... (*Interruptions*)

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Mr. Chairman, Sir, the intention of the hon. Member who has brought this Compulsory Voting Bill is good. But the question is not about compulsory voting. The question lies in the whole process of electioneering. The whole process of electioneering is to be a good one. So, the need of the hour is the change in the election process, to maintain the democratic form of Government really of the people, by the people and for the people. For this, I, on behalf of CPI (M), believe that if the proportional representation is used for all the legislature in our country, then only the real thinking of the people can be observed.

I think the proportional representation is good. Throughout the world, 94 countries have taken up the process of proportional representation. As we see, only in the year 1971, the then Government got more than 50 per cent votes. By getting less than 50 per cent votes in our country all the subsequent Government has been running. So, this system should not be there.

We can culture the real process of electioneering and we can raise the consciousness of the people in our country. We see, in those States where we could raise the consciousness of the people, where the people could believe that the people who were in the election fray, they are really their friends, they can save their interest, then the people do come to cast their votes in our country.

I am from a tiny State, Tripura. Just two days back, one election result has come out in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. In this vote process, near about 85 per cent voting was there. In our State, in Lok Sabha, in Assembly and in other elections we saw that around 85 per cent to 90 per cent voters are coming to cast their votes. So, it is not the matter of compulsory voting but the matter that the Government should sit with all the political parties and discuss for proper representation in the Legislature. It is our demand from the side of the CPI (M) that proportional representation should be there so that the actual position of the party strength should be reflected in the House.

We see today that by getting 31 per cent votes, the BJP is having the majority. The Congress got 18 per cent votes. By this, 31 per cent and 18 per cent votes, the major two Parties got not more than 50 per cent votes. They got less than 50 per cent votes.

But both of them is having near about 60% seats. Actually, the real representation is not being seen in our House. So, it is my demand that this should be kept in mind and the Government should take proper measure for the proper representation. Thank you, Sir.



**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य जनार्दन जी के द्वारा जो अनिवार्य मतदान का निजी विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, जब मतदान और अनिवार्य मतदान की चर्चा होती है तो मन में एक रोमांच सा उठता है कि -

“मतदान का जिन वीरों ने यह अधिकार दिलाया,

मिली न उनको एक दिवस भी इसकी शीतल छाया।”

जब भी मतदान की बात आती है तो भारत माँ के उन अमर सपूतों के प्रति भी एक बार सिर झुक जाता है जो कभी इसी असम्वली से उस समय की ब्रितानिया हुकूमत को जगाने की खातिर और अपने इस मतदान के अधिकार को पाने की खातिर फाँसी के फंदे पर भी लटकाए गए। ऐसी परिस्थिति में देश के आज़ाद होने के बाद आज छः से सात दशक होने जा रहे हैं और मतदान के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। सभापति जी, हम लोग भी गाँव-देहात से आते हैं। जब मतदान के दिन जाकर बूथों की स्थिति देखते हैं तो बूथों पर आज भी हमारे गाँव की गरीब महिलाएँ जो मतदान के पूरे इतिहास को शायद नहीं जानती हैं, लेकिन मतदान के अधिकार को ज़रूर जानती हैं कि मतदान उनका लोकतंत्र में कितना बड़ा अधिकार है। उनको अपने इस हथियार के बारे में पता है लेकिन आज जिसे हम बुद्धिजीवी तबका कहते हैं, वह बंद कमरे में किन्तु और परंतु की समीक्षा तो बहुत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पावन हथियार का उपयोग जब करना होता है तो मतदान से अपने को विमुख करके अनिवार्य मतदान के ऊपर कुठाराघात करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी है जहाँ पर सर्वाधिक सिविल सर्विसेज़ के लोग रहा करते हैं। 2007 में मैं अपने गाँव में मतदान डालकर लखनऊ गया चूँकि दो-तीन चरणों में मतदान था। हमारे पिताजी विधान परिषद् के सदस्य थे तो उस समय वहाँ रहते थे और उस आधार पर उनको वहाँ बटलर पैलेस में आवास मिला था। जब मैंने वहाँ जाकर बूथ की स्थिति देखी तो घोर आश्चर्य हुआ कि बटलर पैलेस कॉलोनी में 1568 मतदाता उस समय थे और शाम को जब मतदान बंद हो गया तो मात्र 152 मत पड़े हुए थे। सोचिए कि उसके प्रति उपेक्षा का भाव कौन रख रहा है, जो कहीं न कहीं व्यवस्था के मज़बूत तंत्र को संभालकर बैठा है। ऐसी स्थिति में मैं बधाई देना चाहूँगा इसी देश के गुजरात प्रांत की सरकार को कि जिस सरकार ने इसके लिए एक शुरुआत करने का काम किया और स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य बनाया।

समय की कमी है। चर्चा तो इस पर बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन पुनः मैं सीग्रीवाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा देश के सामने रखी। मैं इसका समर्थन करता हूँ इस विश्वास के साथ कि इसकी खामियों को दूर करते हुए इसको अनिवार्य बनाया जाए।

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कंपलसरी वोटिंग बिल 2014, जो कि श्री जनार्दन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बहुत सूझ-बूझ और देश को दिशा देने वाला बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, यह बड़ी निराशा की बात है कि आज हमारे देश में जो पढ़ा-लिखा और समझदार वर्ग है, जिसके पास देश की नीति बनाने की ज़िम्मेदारी है, जो बड़ी नौकरियाँ करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो तरह-तरह की तकलीफें उनको होने लगती हैं और आलस उन पर छाने लगता है। मैंने 2009 में लोक सभा चुनाव लड़ा तो कुल 36 परसेंट मतदान हुआ जो कि बड़ा निराशाजनक है।

**17.59 hrs**

*(Dr.P. Venugopal in the Chair)*

महोदय, यह बिल एक ऐसा बिल है जिसके माध्यम से हम देश को एक अधिकार के साथ कर्तव्य की भावना का भी अहसास करा सकते हैं। महोदय, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण मतदान कम होता है। यह बिल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एकत्रित करता है लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैनल्टीज़ लगाती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैनल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मतदान करता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

**18.00 hrs**

पैनल्टी के अलावा किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, हमें इसकी बात करनी चाहिए। दो कारण होते हैं, जिसकी वजह से मतदाता उदासीन हो जाता है। पहली चीज़ होती है कि देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं। समय-समय पर पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं। पांच साल में एक मतदाता पांच-पांच, दस-दस बार मतदान करता है तो उसकी वजह से उसे परेशानी होती है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Just a minute. Now, it is six o' clock. You can continue next time. Now, we take up 'Zero Hour'. If the House agrees, we can extend the time of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: All right.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended.

---

HON. CHAIRPERSON: Shri Sharad Tripathi.

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** सभापति महोदय, नेपाल में आये भूकम्प से अभी तक हम लोग सबक नहीं ले पाये हैं, जबकि दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत भूकम्प के मुहाने पर बैठा हुआ है। दिल्ली में एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर लगभग 70 परसेंट ऐसे मकान हैं, जो भूकम्प की चपेट में कभी भी आ सकते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, जो विशेषकर भूकम्प से ही जुड़ा हुआ है। हमारी भारत सरकार ने बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश में 28 राजकीय कन्या महाविद्यालय देने का कार्य किया है। मैं अपनी सरकार की माननीय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन आज पीड़ा होती है, भूकम्प की इस त्रासदी को देख करके कि आज जो 28 कन्या महाविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने दिये हैं, उन 28 महाविद्यालयों का टेंडर मनमाने तरीके से किया गया है और उसमें यह आंकलन नहीं कराया गया है कि भूकम्परोधी वह भवन बन रहा है कि नहीं, जहां हमारे भारत का भविष्य कन्याएं पढ़ने जाएंगी, जो हमारी बहनें पढ़ने जाएंगी, वह बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है।

अतः मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार की तरफ आग्रह करना चाहूंगा कि विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा कोई एक तकनीकी कमेटी स्थापित की जाये और जहां-जहां सरकारी भवन भूकम्प के मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बन्द करा करके, जबकि पैसा उसमें भूकम्परोधी भवन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है, को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

मैं आपके माध्यम से सरकार का उत्तर प्रदेश पर मैं विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा, चूंकि बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राजकीय कन्या महाविद्यालयों को बनाने की खातिर दी है व 70 परसेंट धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, लेकिन उसमें भूकम्परोधी मानकों का पालन नहीं हो रहा है। वहां पर इसे पालन करवाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.

**श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय को शून्य काल में उठाने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर में मानव निर्मित एशिया की सबसे बड़ी झील गांधीसागर है, जो कि चम्बल नदी पर बने डैम के कारण विकसित हुई है। मगर उक्त झील के पानी का सम्पूर्ण उपयोग हो, ऐसी कोई योजना बड़े पैमाने पर वहां नहीं आई है। कृषक उक्त पानी का सिंचाई में अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं और औद्योगीकरण की बड़ी सम्भावनाएं इस पानी के उपयोग से सम्भव हो सकती हैं। इससे मिलने वाली नदी शिवना प्रदूषण का शिकार है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय शिवना को

प्रदूषणमुक्त करे व चम्बल नदी के पानी का उपयोग करे तो मध्य प्रदेश व राजस्थान में कृषि, उद्योग व पर्यटन का विकास सम्भव हो सकेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के कृषकों ने बड़े पैमाने पर 1957 में उक्त चम्बल डैम के निर्माण में अपने गांव, अपने खेतों की जमीनें डूब क्षेत्र को सौंपी थीं। उस क्षेत्र की सिंचाई का और क्षेत्र का रक्बा बढे, इसके लिए इस क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई के अवसर देंगे तो उससे कृषकों का आर्थिक विस्तार सम्भव होगा।

**श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) :** माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में धनौरा से गजरौला शहर होते हुए बगद नदी बहती थी, जो कि विकास खण्ड गंगेश्वरी, हसनपुर, गजरौला के गांवों से होकर आगे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। परन्तु, अब यह नदी मात्र एक नाला बनकर रह गयी है। इसमें कई औद्योगिक फैक्ट्रियां अपना रसायनयुक्त प्रदूषित पानी छोड़ते हैं। इसके कारण विकास खण्ड गंगेश्वरी, हसनपुर, गजरौला के ग्रामों तथा हसनपुर विधानसभा के अधिकतर गांवों में लाखों लोग दूषित तथा संक्रमित जल पीने को मजबूर हैं और इसके कारण वे कैंसर, हेपेटाइटिस-सी जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हैं।

सभापति जी, अगर मैं आपको वहां का पानी दिखा दूं तो आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। वहां के पानी का रंग बिल्कुल पेट्रोल या डीज़ल के रंग के जैसा है। वहां के लोग बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तथा वहां पानी की टंकी जल्द-से-जल्द लगवाने की व्यवस्था करें। यहां के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उनके स्वास्थ्य जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाए, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रभावी नीति बनाई जा सके।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** सभापति महोदय, मैंने रेल भूमि से संबंधित विषय पर बोलने के लिए निवेदन किया था। सड़क चौड़ाकरण के कारण कटनी में सौ साल पुराने मकान गिराए जाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ वहां रेलवे की भूमि है। लेकिन, मैंने इसके लिए भी निवेदन किया था कि आप मुझे अपना विषय बदलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय, केरल में जहां चार महिला खिलाड़ियां ने आत्महत्या की कोशिश की है, मैं दो महीने पूर्व, उसी इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स लॉ के कॉन्फ्रेंस में गया था। तब ये परिस्थितियां वहां कुछ चर्चा में थीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो भी खिलाड़ी है और जिस खिलाड़ी का भी

शोषण होता है, उसे बिना स्पोर्ट्स लॉ के रोका नहीं जा सकता है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि सरकार स्पोर्ट्स लॉ लाने की तैयारी करे। जो ड्राफ्ट्स आज तक हैं, और जितने मैंने पढ़े हैं, उस आधार पर कभी भी किसी खिलाड़ी को उसके सुनिश्चित अधिकार नहीं मिल सकते। अगर कोई उनके साथ गलती करता है तो उसे सजा मिले, ऐसा कोई प्रावधान आज तक इस देश के कानून में नहीं है। अगर कोई मेरे फीचर्स को खराब करे या मेरे साथ दुराव का कोई व्यवहार करे, तो आज भी कोई कानून उसे सजा देने की स्थिति में नहीं है।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी इस सदन में स्पोर्ट्स लॉ लेकर आए या उसको देश के सामने डिस्कसन के लिए लेकर आए, क्योंकि यहां स्पोर्ट्स फेडरेशंस की तानाशाही है। जो अधिकारी हैं, उनकी तानाशाही है। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी मध्य वर्ग और गरीब परिवारों से आते हैं। वे शोषण का शिकार होते हैं और इसके कारण वे बाद में इस तरह के कदम उठाते हैं। इसलिए, इसका स्थायी हल ढूंढने की जरूरत है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Prahlad Singh Patel.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Sir, my Parliamentary Constituency, Karimganj is bordering Bangladesh. In New Delhi, January, 2010, India and Bangladesh decided to set up Border Haats to boost local trade and people-to-people contact. Trading would initially take place once a week among the people living in the border, who would sell and buy locally-produced goods and crops etc. No taxes would be imposed on the items to be sold in the Haats; and currencies of both the countries would be allowed to run the trading.

Sir, the Joint Secretaries of the Ministry of Commerce from India and Bangladesh had signed a Memorandum of Understanding on 23<sup>rd</sup> October, 2010 and finalized the modalities to set up the Border Haats. It was decided that a total of 70 Border Haats will be set up along the border with Bangladesh. Of them, four are to be set up with Assam border.

As per agreement, some border *haats* are already being set up in Meghalaya and Tripura with Bangladesh border. Though there was a proposal to set up such

kind of *haats* in my constituency, it was not initiated till to date. So, through this august House, I would request the Union Commerce Ministry and also the Industry Ministry to set up the same for the greater interest of the locality. Thank you.

SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon. Chairman, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the problems being faced by the silk cocoon farmers and silk weavers in Andhra Pradesh.

I would like to state that Andhra Pradesh State occupies the second highest position in silk cocoon farming in the country and also it occupies the first position in handloom weaving in the country.

The weakening position of handloom sector has posed a serious threat to the socio-economic status of silk weavers and silk cocoon farmers. Both silk cocoon farming and silk weaving are inter-related activities. Both are under the control of the Ministry of Textiles and are in a major crisis due to various reasons.

On one side, the silk weavers are committing suicide due to debts and on the other side the silk cocoon farmers are also attempting suicide because of not getting the Minimum Support Price.

To save the lives of silk weavers, silk yarn may be provided at a subsidized rate of 50 per cent per kilogram. Then only the silk weavers will survive. Silk cocoon farmers are not getting the Minimum Support Price for the cocoons. The silk farmers may also be provided subsidy at the rate of Rs.150 per kilogram on cocoons. Then only the silk farmers will survive.

Another important issue is that the National Horticulture Board is providing Rs.2 lakh subsidy for horticultural farmers for the unit cost of Rs.4 lakh in the name of pack house whereas the Central Silk Board is providing only Rs.1 lakh subsidy on Rs.5 lakh of unit cost in the name of silk 'rearing shed'.

I would also like to ask the Government why there is discrimination between agricultural farmers and sericulture farmers when both are doing farming activities.

In this regard, I would like to request the Government to increase the subsidy on silk rearing shed up to Rs.2.5 lakh.

Hence, I urge upon the hon. Minister of Textiles, through the Chair, to kindly look into the issue and take necessary steps to overcome the problems of silk weavers and silk cocoon farmers to improve their socio and economic status. Thank you.

**श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):** महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू जिला शेखावाटी क्षेत्र में आता है। यह शौर्यवान वीरों की भूमि है। इस महान सदन को मैं बताना चाहूँगी कि हिन्दुस्तान की सेना में सबसे अधिक सैनिक झुंझुनू जिले से हैं और सबसे अधिक शहीद मेरे जिले से हुए हैं। उन्होंने शेखावाटी के क्षेत्र में परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र आदि दिलाकर देश की सच्ची सेवा की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उन सैनिक परिवारों की सेवा के लिए अपने जिले में सैनिक अस्पताल की माँग कर रही हूँ। सरकार अवश्य मेरी माँग पर ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri P.P. Chaudhary and Shri Prahlad Singh Patel are allowed to associate with the matter raised by Shrimati Santosh Ahlawat.

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

With the guidance of hon. people's Chief Minister, *Puratchi Thalaivi Amma*, the Tamil Nadu Government has allotted a record amount of Rs.6,613.68 crore for agriculture in its Budget for the year 2015-16. Various special schemes have also been proposed in this Budget for the development of agriculture and for the welfare of farmers such as forming of Tamil Nadu Seed Development Agency, construction of store houses with air condition facility, etc.

In this connection, I request the Central Government to lend its share in the development of agriculture in Tamil Nadu.



1. The drip irrigation scheme may be implemented with 100 per cent subsidy by the Central Government.
2. Central Agriculture University may be started in the delta district.
3. Funds may be released for de-silting of channels and rivers by the Central Government.
4. Electricity may be provided from the Central share for agriculture purposes.
5. The ICAR may come forward to start research station for oil seeds and cashew in Tamil Nadu.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to present an important issue before the Government. Four years back the Human Rights Commission had suggested for setting up a medical college with all equipments in Kerala, especially in Kasargod district. The decision had come in the context of the serious situation prevailing due to continuous use of Endosulfan in the district.

The suggestion was to start the college as a part of the Central University because the fund was to come from University Grants Commission (UGC). When the Central University came into existence, the then HRD Minister had made it clear that the medical college would be set up here itself. But, till now no action has been taken by the Government. Sufficient land and other facilities have already been availed by the Government of Kerala and district administration. As it was promised by the Government and as it was a part of the Central University, I urge the Government to take this issue seriously.

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :** सभापति महोदय, एम्स में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को नामांकन और नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, प्रोन्नति में भी पक्षपात किया जा रहा है, चयन समिति के सदस्य सही मूल्यांकन नहीं करते हैं। चयन समिति में इस वर्ग के प्रतिनिधि को रखा जाये, एम्स के बाहर के विशेषज्ञों को चयन समिति में रखा जाये और जो भी धांधली हुयी है उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनायी जाये।

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinod Khanna is permitted to associate with the issue raised by Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र बागपत के उपेक्षित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत ही उपजाऊ जमीन है। वहाँ के लोगों के शरीर सुंदर एवं सुडौल हैं। हमारे क्षेत्र ने देश को 70 प्रतिशत निशानेबाज दिए हैं। हमारे क्षेत्र के 350 खिलाड़ियों में 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 50 राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे एथलेटिक्स हैं। हमारे क्षेत्र में बास्केटबॉल और तिरंदाजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, विशेष रूप से खेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया जाये। उसका फायदा न केवल उस क्षेत्र को होगा, बल्कि दिल्ली के आस-पास के शहरों के खिलाड़ियों और युवाओं को भी उसका फायदा मिलेगा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकें।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir. The passengers of the Nizamuddin-Thiruvananthapuram Rajdhani Express are fleeced in premium trains by TTEs and other staff, including attendants and pantry car employees. Pantry car employees forcefully collect money from the passengers. They have fixed an amount as tip and demand the same from all passengers. A separate tip has also been fixed by the coach attendants in charge of supply of bedrolls.

The quality and quantity of food supplied is not as per the requisite standard. The railway employees, including TTEs, are supporting these illegal acts. TTEs are collecting money from passengers for allotting vacant seats without giving them any receipts. Railway officials are also not initiating any action on the complaints lodged by passengers. When we approached the railway officials of Thiruvananthapuram, they said that this train is wholly controlled by the Northern Railway and they are not able to take any action except to send these petitions to the Northern Railways.

I urge upon the Government to conduct an enquiry and initiate action against the persons responsible and also ensure good services in Rajdhani Express because this is a long travel train.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Sir, I would like to draw, through your good offices, the attention of the Government and this august House to the problem of non-mitigation of fluoride and arsenic in drinking water of Haldihati in Akashiganga GP of Nagaon district, Assam.

Sir, a UNICEF reports says that more than one-third people, mostly children, in this area are affected either by skeletal fluorosis or by dental fluorosis. The Estimates Committee headed by Dr. Murli Manohar Joshi has also in its First Report declared this area as the most affected area.

Sir, I have got two albums which I would like to show to you and the hon. Health Minister who is here. These will illustrate ably how badly the children are affected. Children who are 4, 5, 6, 7 or 8-year old, they look like old people of 80 years. Their hands and legs have become like rubber. What will happen to these people? The State Government does not help because that constituency belongs to AIUDF. They say that they will not extend any help. I had been trying as an MLA for eight years and now I have been trying as an MP for last one year. The State Government says that they will not give them even one rupee.

Sir, can I please put this in front of the House?

HON. CHAIRPERSON: No.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: I would request hon. doctor *saheb* that it is heartrending. I am telling that you will cry, if you see this. I would request the House to please take note of this and do something very special for these highly and badly affected people of Haldihati in Akashiganga area of Assam.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, he has made a submission. We will bring it to the notice of the concerned hon. Minister

that he has put this whole issue so passionately and it should definitely be looked into. We can definitely consider that.

**श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) :** सभापति महोदय, भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया ने डा. ताजुद्दीन अंसारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु 11.04.2011 को अवैतनिक आधार पर नेशनल कोऑर्डिनेटर-ओबीसी नियुक्त किया था। यह नियुक्ति अवैतनिक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि और वायरलैस विभाग को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कॉर्ट आदि व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी किए।

दिनांक 27 अगस्त, 2012 को ओबीसी संसदीय कमेटी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार की जाति आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के तहत ओबीसी की समस्याओं के निदान हेतु सुनवाई करने हेतु गलत ठहराया था। इसके बावजूद भी 27 अगस्त, 2012 के बाद डा. ताजुद्दीन अंसारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर-ओबीसी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वायरलैस विभाग को राज्य सरकारों के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव आदि को सुरक्षा, प्रोटोकाल, एस्कॉर्ट आदि की व्यवस्था करने हेतु पत्र के माध्यम से आदेश जारी करते रहे।

मैं कहना चाहता हूँ कि आयोग ने जो कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है, वह ओबीसी के लोगों पर अन्याय करते हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, फिर भी गृह मंत्रालय से उन्हें पूरा प्रोटोकाल दिया जाता है। सरकार की निधि का पैसा लूटा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर उन्हें न्याय दिया जाए।

**SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL):** Hon. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak in Zero Hour on an important issue of my constituency, Mumbai South Central.

Long back, many cessed buildings, *chawls* and other properties came into being in Dadar area of Mumbai on land belonging to the State Government of Maharashtra. These buildings are now in a very dilapidated condition and poor state, due to negligence. No specific policy has been made of their redevelopment by the Central Government. The LIC and PSUs are misusing the Public Premises (Eviction) Act and are forcefully evicting tenants/occupants by threatening them to

sign a lease agreement of ten years otherwise face exorbitant increase in rent amounting to Rs. 100 per square feet.

The tenants are being asked to appear before the so-called High Powered Committee forcefully. This is leading to mental torture of the illiterate and helpless tenants/occupants under the threat of eviction. Their applications for transferring the tenancy to legal heirs are pending with the concerned Departments.

The LIC blatantly refused to grant ownership rights to tenants / occupants living in these buildings. My demand to the Central Government is to kindly direct LIC and other PSUs to help the tenants / occupants of these cessed buildings and grant ownership to them. Further, it is requested to frame a policy for the area, and provide Central grants to the affected occupants of these lands. Thank you, Sir.

**श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) :** महोदय, सड़क मार्ग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत को सड़क मार्ग की अच्छी सुविधा देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस योजना की प्रगति बहुत ही धीमी है। जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है तथा अनुरक्षण का कार्य जो निर्माणकर्ता द्वारा कराया जाना चाहिए, वह नहीं कराया जा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की गति बढ़ाई जाए तथा जो भी कार्य निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं या पूर्ण हो चुके हैं, इन सबकी जानकारी हर तिमाही हम सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए तथा अनुरक्षण संबंधी जानकारी भी दी जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा निर्माण कराई गई सड़कें जो टूट चुकी हैं, उनका फिर से निर्माण कराया जाए।

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Bhairon Prasad Mishra, Shrimati Riti Pathak and Shrimati Santosh Ahlawat are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Anju Bala.

\*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. The Union Government through University Grants Commission (UGC) allocates grant-in-aids for Universities in order to promote higher education in the country during every five year plan. There have been complaints regarding irregularities on the functioning of University Grants Commission. UGC has decided to stop sending Review Committees. During Eleventh five year plan only Rs. 20 Crore was allocated by UGC for Universities in Tamil Nadu. But UGC has provided grants amounting more than Rs.100 Crore to University of Mumbai and University of Pune. UGC has decided to provide Rs.120 Crore at the maximum. If we look into this we will come to know that the Universities in Tamil Nadu may be provided only an amount of Rs.60 Crore altogether whereas the Universities in North India may get more than Rs.300 Crore. Instead of rectifying the errors in the Review Committee, UGC has decided to do away with the system of reviewing and evaluation through Review Committees. It is unfair. After evaluation and review an University, I urge that UGC should provide grants on the basis of number of students, researches and various developmental work undertaken by the University. Hon. Chairman Sir, UGC has stopped release of grants to Avinasilingam University of Coimbatore. I therefore urge the Union Government to allocate adequate funds to all the Universities and continue with the previous guidelines for providing such grants. Thank you.

---

\* English translation of the speech originally delivered in Tamil

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र जिला धौलपुर राजस्थान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। धौलपुर जिले में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या काफी है। कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु धौलपुर में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से भी मैं इस संदर्भ में आग्रह कर चुका हूँ। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धौलपुर जिले में जल्द से जल्द एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।

**SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD):** Sir, I would like to draw the attention of the Railway Minister, through you, to an important issue. The Fairlie Place reservation office is a heritage office previously having a setup of 24 counters in the Eastern and Western Hall. The Air Conditioning system of both the halls was failing since 2013, for which Eastern Hall was finally closed from 01 April, 2014 and it was told that after completing the Air Conditioning work it will be reopened as usual. Now, I have come to know from some reliable sources that it will not be reopened.

So, I would request, through you, to the concerned Minister to reconsider the administrative decision of closing down the Western Hall having foreign tourists, *Maitree Express* and a few counters for Railway passengers, which can be helpful to avoid the prevailing condition, and for maintaining harmonious industrial relations.

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। देश भर में भारत सरकार या राज्य सरकारों की नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों को अपने चंगुल में फंसाने वाली कई फर्जी कम्पनियां लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को ठग रही हैं। हाल ही में राजस्थान में भारतीय किसान सेवा केन्द्र में नियुक्ति देने के नाम पर एक फर्जी कम्पनी द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र सहित राज्य के कई जिलों के युवाओं से ठगी की गयी है। फर्जी कम्पनी द्वारा उस समय बेरोजगार युवाओं को साढ़े 32 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का झांसा दिया गया। डाक के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को भेजे गए नियुक्ति पत्रों के साथ कम्पनी ने काफी शर्तें ऐसी लगा रखी थीं, जिन्हें पढ़ने के बाद एक बार तो कोई भी उसके चंगुल में फंस जाए।

बेरोजगार युवाओं को भारत सरकार या राज्य सरकार के नाम से भेजे जाने वाले नियुक्ति पत्र में सिक्क्योरिटी राशि जमा कराने के लिए फोन पर बैंक एकाउंट नम्बर द्वारा या अन्य तरीकों से पैसे ठगे जा रहे हैं तथा रुपये जमा कराने के बाद बेरोजगारों को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है।

महोदय, वर्तमान में मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती सुविधाओं के साथ ही इन सुविधाओं की माफ़त किये जाने वाले आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार एवं आधुनिकीकरण शीघ्र किया जाना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी फर्जी कम्पनियों पर लगाम लगाकर बेरोजगार युवकों को लूटने से बचाया जा सके।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak during 'Zero Hour'. The matter relates to the rural youth of my State.

It has come to our notice that there is a plan to change the funding norm under National Rural Livelihood Mission from the current ratio of 75:25 to be shared by the Centre and the State respectively to a ratio of 50:50. States like Odisha are deeply concerned about such a change, especially with reference to skill component of NRLM, which has immense potential to open up sustainable economic opportunities for the rural youth of the State.

The hon. Minister of Rural Development may be aware that NRLM also encompasses the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana with its sub-component 'Roshini', both of which uniquely address the ambitions of rural youth from the vulnerable sections of society. 'Roshini' provides productive growth opportunities for young people in the Maoist-affected districts.

Both NRLM and DDU-GKY are uniquely and unambiguously focussed on the rural poor. The design, the delivery structure and the programme norms are so designed to ensure that skill training meets the aspirational desires of the youth. Therefore, in the interest of a State like Odisha, where we have a lot of skills, it can be utilized for this type of development. So, our hon. Chief Minister, Shri



Naveen Patnaik, has written to the Union Rural Development Minister to focus on skill development for the rural youth. Therefore, the funds allocated to the State should not be decreased. Instead, I would urge upon the Union Government to increase the funds.

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** सभापति महोदय, इस समय पूरे देश में किसानों पर आयी प्राकृतिक आपदा की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पहले आसमानी कहर के कारण फसलें बर्बाद हो गयीं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बहुत कम मुआवजे तथा बाउंस होने वाले चैक देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

इस साल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की वजह से खेत उजड़े, फसलें बर्बाद हुईं। जब हताश-निराश हमारे किसान भाइयों ने कहीं कर्ज के कारण, कहीं बेटी की शादी के कारण, कहीं अन्य जिम्मेदारियों की वजह से तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय पर सरकारी राहत उपलब्ध न होने के सदमे के कारण आपदाग्रस्त एक हजार से ज्यादा किसानों की मौत 18 अप्रैल तक हो चुकी है। 20-21 अप्रैल, यानी मात्र 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 54 किसानों की मौत हुई। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के प्रशासन ने एकाध अपवाद को छोड़कर इन मौतों को सामान्य मौतें बताया है।

एक तरफ तो पूरे उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि, आंधी-पानी की वजह से फसलों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनके मंत्री भव्य आयोजनों में सोने के मुकुट पहन रहे हैं व विदेशी संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं किसानों को 1500 रुपये से कम के चैक न देने की घोषणा के बाद भी कम राशि के चैक दिये जा रहे हैं। फसलों के नुकसान का ठीक से आंकलन भी नहीं हो रहा है तथा किसानों को जो चैक दिये जा रहे हैं, वे बाउंस हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों के मन में आक्रोश है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता के कारण वहां के किसानों को सदमे व हताशा से उबारने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की बजाय स्वयं योजना बनाकर प्रदेश के किसानों की सहायता करे। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.

**श्री रमेश बिधुड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** माननीय सभापति जी, मैं सदन में दिल्ली के बहुत सेंसिटिव मामले को उठाना चाहता हूँ। दिल्ली में लैंड रिफार्म एक्ट में सैक्शन 81 और धारा 33 है। ग्राम सभा की भूमि के लिए सैक्शन 81 को यूज़ किया जाता है, अगर किसान अपनी जमीन पर कुछ बना ले या दो भाई अलग होकर कुछ बना लें तो उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही नहीं हैं। पिछले बीस वर्षों से हर पार्टी अपने मैनिफैस्टो में कहती आ रही है कि सैक्शन 81 और धारा 33 को वेव ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। अभी दिल्ली में सरकार बनी है। मेरा निवेदन है कि सैक्शन 81 में अगर कोई किसान अपनी जमीन को बेचता है, 20 या 25 साल पुराने मकानों को बेचता है तो पटवारी, एसडीएम उनको नोटिस देकर डराते हैं कि तुम्हारी जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में ग्राम सभा है ही नहीं और यह काला कानून आज तक चल रहा है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

धारा 33 में किसान आठ एकड़ जमीन बेच सकता है। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो वह एक या आधा एकड़ जमीन नहीं बेच सकता है। उसे पूरी आठ एकड़ ही बेचनी पड़ेगी। यह कानून अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। वह आठ एकड़ नहीं बेच सकता है, उसे आठ एकड़ पर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी इसलिए वह पावर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन बेच देता है। इससे रैवेन्यू सरकार को नहीं मिल पाता है और रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। इस कारण दूसरे व्यक्ति मालिक नहीं बन पा रहे हैं। यह राज्य सरकार का मसला है इसलिए उसे केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजना चाहिए। मैंने माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मंगाई जाए। इन दोनों धाराओं का औचित्य दिल्ली में नहीं है क्योंकि दिल्ली में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नहीं है। एसडीएम और रैवेन्यू रिकार्ड के अधिकारी ग्राम सभा में जमीन वेस्ट होने के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

\*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Senior citizens are valuable assets of our country. Only because of their hard work our society has developed to a stage where it is now. It is the primary duty of all of us to help senior citizens. As per the Report of United Nations Population Fund, there were 90 million elderly persons during the year 2011 and as per the said report, it may increase to 173 million during the year 2016. Out of these 90 million senior citizens, 60 million live in isolation. Around 90 per cent of them are earning their livelihood on their own. I therefore urge that the Government should bring welfare schemes meant for senior citizens. There is a need for more schemes as regards health and security of senior citizens. At a stage when they live in isolation these elderly people need care and security. I can cite an example in this regard which is followed in Tamil Nadu. Under the guidance of Hon. Puratchithalaivi Amma, a scheme is being implemented in Tamil Nadu wherein a police constable at the beat would visit these senior citizens living in isolation at their homes and ensure about their safety and other health needs. Verification of antecedents of those who visited these senior citizens recently was also done by the police. Such a scheme should invariably be implemented throughout the country. The health of senior persons should be given utmost importance. I therefore urge that the Union government should set up Senior Citizen Welfare Fund to take care of the health care of elderly. Unclaimed funds amounting to approximately Rs. 30,000 Crore lying unutilized in PPF, EPF, LIC should be made useful in creating a Senior Citizen Welfare Fund. I believe that several lakhs of senior citizens will be benefitted as we owe them a lot. I also urge that the report of Mohini Giri Committee set up in the year 2011 for the well-being of senior citizens, should be implemented immediately. Thank you.

---

\* English translation of the speech originally delivered in Tamil

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट जनपद में सैकड़ों ग्रामों एवं मजरे में विद्युत व्यवस्था नहीं है। 1000 से 1500 तक की और 2000 तक की आबादी इस व्यवस्था से वंचित है। इसमें 500 से 1000 तक की बहुत से मजरे छूटे हुए हैं। यहां 100 से 500 तक की आबादी के सैकड़ों मजरे हैं। भारत सरकार ने विद्युत विभाग से सर्वे करा लिया है। 100 तक की आबादी के क्षेत्रों का विद्युतीकरण कराया जाएगा।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने निर्देश दिया है कि हम सौ तक के बदले करा लेंगे लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन गांवों में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अधिकारियों से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। क्षेत्र में लोगों में भारी रोष है। लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में बिजली न रहने से तमाम तरह की दुर्व्यवस्था फैल रही हैं और लोगों का जीना मुश्किल है तथा सरकारी कार्य बाधित हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा में चित्रकूट के जो जनपद छूट गये हैं जहां आज आज्ञादी के बाद भी कोई विद्युत व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां यथाशीघ्र विद्युत व्यवस्था कराने की कृपा करें।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र में अतिवृष्टि से वर्ष 2014 में खरीफ की फसलें जनपद जालौन में 50 प्रतिशत से अधिक बर्बाद हो जाने पर तहसीलवार सर्वे करवाकर एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत जिलाधिकारी जालौन द्वारा मांगी गई धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई जिसे तहसीलवार बांटा गया। इस कारण से 50 प्रतिशत ग्राम व कृषक वंचित रह गये। इस संबंध में उ.प्र. सरकार ने शेष धनराशि क्यों नहीं भेजी जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है व उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्यवाही नीति संगत नहीं है। मेरी मांग है कि शेष डिमांड का 50 प्रतिशत पैसा कृषकों को दिया जाए।

जनपद जालौन की शीर्ष सहकारी बैंक जालौन को-ऑपरेटिव लि. उरई है। जनपद की समस्त 64 सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के खाद, बीज, व ऋण वितरण, खरीफ 2014 में लेने पर 6 प्रतिशत धनराशि बीमा में प्रीमियम के रूप में काट ली गयी। बीमा का कुल प्रीमियम 1,72,35,587.99 रुपया जालौन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (लोम्वार्ड जनरल इंश्योरेंस, लखनऊ) को बैंक द्वारा 25-08-2014 को भेजा गया। यह धनराशि 580 ग्राम पंचायतों के कृषकों से ली गयी जिसमें 217 ग्राम पंचायतों को बीमा का लाभ मिला तथा 363 ग्राम पंचायतों को बीमा नहीं दिया गया जिससे जनपद जालौन में 16961 कृषकों में से 9379 कृषकों को लाभ नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा

बीमा क्लेम भी जिलाधिकारी जौलान द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार न देकर मनमाने ढंग से भेजा जिया जिसका कोई आधार नहीं बताया जा रहा है।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Sir, regarding promotion of export of Sona Masoori rice, I would like to draw your kind attention to some areas of my constituency like Raichur, Sindanorr, Bellary, Koppal and Siruguppa, a part of North Karnataka. These areas are very much blessed by nature where water is always available through the Thungabadra Project for paddy crops, with a huge number of agro-based industry, that is, rice mills with modern technology which are especially suited for Sona Masoori.

This is the place where farmers are producing a huge quantity of Sona Masoori rice over six lakh hectares of paddy crops by the Thungabadra Project. Out of this, 90 per cent is only for Sona Masoori of good quality and the quality of this rice is very much in demand in India as well as in some other countries. If we get permission from the Government to export it to other countries, it will be helpful to meet the livelihood of our farmers as well as for our economic growth. Hence it is requested that this may be considered as a part of 'make in India' and permission for export may be granted by which our farmers as well as agriculture industry will get a boost from the Government.

Thank you.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Thank you, Mr. Chairman for giving me an opportunity to raise an important matter in this 'Zero Hour'.

I would like to draw the attention of this House, though you Chairman, to the most pathetic and unjustifiable plight of undertrials languishing in jails in India. More than 2,78,000 people are undertrials. ... (*Interruptions*)

I am compelled to raise this issue. Yesterday, all the TV channels and the newspapers were full of reports of a celebrity hitting down to death a poor man who was sleeping in a pavement of Mumbai. This celebrity was convicted. This convicted person, a mega film star, immediately within a few minutes or hours got an interim bail. Now, it is heard that the Mumbai High Court has also given the

bail for four months for this personality. Mr. Chairman, yesterday the way a section of the celebrity in Mumbai acted.... (*Interruptions*) I do not want to speak anything *sub judice*.

HON. CHAIRPERSON: The matter is in the court.

SHRI M.I. SHANAVAS: There is a paradox. About 2,78,000 people are in different jails but when a celebrity is convicted he gets the bail immediately. The Supreme Court in December, 2014 gave a verdict and the judgement says that a person who is in jail for half of the sentence which he would have got if he had been convicted, he should be released. The problem in India is there are two kind of justice. The poor people, the minority people, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people who are languishing in jails do not get bail but a celebrity even if convicted gets the bail. The Supreme Court order, which came in December, 2014, is there to release them all.

Steps may be taken to release those under-trials who have been in jails for so many years without any reason. The hon. Minister Shri Harsh Vardhan is sitting here. I would request him to bring it to the notice of the Prime Minister.

**श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) :** सभापति महोदय, प्राचीन समय से बिहार ज्ञान एवं विज्ञान का केन्द्र रहा है। जहां दुनिया भर के देशों से लोग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर आया करते थे। किन्तु आज वहां की शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है। बिहार के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त हजारों शिक्षक महीनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका समर्थन अस्थायी शिक्षक भी कर रहे हैं, जिससे विद्यालयों में लाखों छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन ठप्प है एवं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर संवेदनहीन बनी हुई है। संविदा शिक्षकों को मात्र पांच से सात हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। साथ ही शिक्षकों द्वारा वेतनमान के निर्धारण को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सरकार उनकी समुचित समस्याओं का समाधान न कर, उन पर लाठियां बरसाते हुए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है। दैनिक मजदूर के समकक्ष उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गयी है एवं शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। अतः केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय अविलम्ब हस्तक्षेप कर संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को न्याय दिलाने की दिशा में पहल करने का कष्ट करे, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहाल हो। साथ ही विक्रमशिला

विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करे जिससे बिहार गौरवमय रूप से आगे बढ़ता रहे।

**श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर):** महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, ओडिशा में रेलवे लाइन की बहुत कमी है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिलों में तो बिल्कुल भी रेल लाइन नहीं है। ओडिशा सरकार ने जयपुर-नबरंगपुर के लिए पचास प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट और जमीन फ्री में देने एवं जयपुर से मलकानगिरी तक के प्रोजेक्ट के लिए 25 प्रतिशत कॉस्ट का देने के लिए कमिटमेंट किया है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में एक और प्रोजेक्ट है जो खुरदाब्लांगिर का 112 किलोमीटर से 289 किलोमीटर तक का प्रोजेक्ट का पचास प्रतिशत कॉस्ट और जमीन फ्री में देने के लिए जनवरी, 2014 में कमिटमेंट किया है और पहले दो प्रोजेक्ट के लिए सितम्बर, 2014 में कमिटमेंट किया है। इतना समय होने के बाद भी केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग ने कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्दी-जल्दी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करके तीनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए।

**श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):** धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होकर आया हूँ। बिलासपुर दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय है, साथ ही वहां रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। मैं कहना चाहूंगा कि पशु-पक्षी को भी पानी और छाया की जगह दी जाती है, परन्तु रेलवे विभाग के द्वारा सन् 1890 में वहां रहने के लिए जमीन पिछड़ी जाति-समाज के लोगों को दी गयी थी। इनमें डोमार, महत्तर, स्वीपर आदि लोग रहते हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और लगभग ये सभी लोग रेलवे विभाग में ही सफाई का काम करते हैं। इनको वहां से हटाने के लिए बार-बार नोटिस दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप वहां अवैध रूप से रह रहे हैं। जबकि जिस समय रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहित की गयी, उस समय उनको रहने के लिए वह जमीन दी गयी थी। महात्मा गांधी जी के नाम पर वहां बापू उपनगर बसाया गया था, उसी क्षेत्र में ये लोग निवासरत हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि इन लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा तो वे बेघर हो जाएंगे, वे लोग घर बनाने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। साथ ही, सामाजिक परिवेश के कारण उन लोगों को वहां किराए पर भी मकान नहीं मिलता है।

इसलिए रेलवे विभाग से मेरा निवेदन है कि इनके लिए समुचित व्यवस्था करके ही वहां से हटाया जाए ताकि ये गरीब परिवार, अनुसूचित जाति के लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवासों में व्यवस्थित ढंग से रह सकें।

आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 11<sup>th</sup> May, 2015 at 11.00 a.m.

G181

**18.52 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock  
on Monday, May 11, 2015/Vaisakha 21, 1937 (Saka).*

---